भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र (सीआइटीयू)

जनरल कौंसिल
की
बैठक

दस्तावेज़

1. कार्यसूची तथा कार्यक्रम
2. अध्यक्षीय भाषण
3. महासचिव की रिपोर्ट

01–03 अगस्त, 2008

पुरी, उड़ीसा

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

पुरी, उड़ीसा

1–3 अगस्त, 2008

कार्यक्रम

1. शोक प्रस्ताव;
2. दिल्ली में 6–8 अक्टूबर, 2007 को सम्पन्न सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक की कार्रवाई की पुष्टि;
3. अध्यक्षीय भाषण;
4. महासचिव की रिपोर्ट;
5. प्रस्ताव;
6. अध्यक्ष की अनुमति से उठाया जाने वाला कोई अन्य विषय।

कार्यसूची

01.8.2008	10.30 बजे	झण्डा रोहण
		शहीद बेदी पर माल्यापर्ण
	10.45 से 12.00 बजे तक	अध्यक्षीय भाषण
		प्रस्ताव
	12.15 से 01.30 बजे तक	शोक प्रस्ताव
		महासचिव की रिपोर्ट
		प्रस्ताव
		महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	01.30 से 04.00 बजे तक	भोजनावकाश
	04.00 से 05.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	06.00 से 07.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
02.08.2008	09.30 बजे से 11.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	12.00 बजे से 01.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	01.00 बजे से 03.30 बजे तक	भोजनावकाश
	03.30 बजे से 05.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	05.30 बजे से 07.00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	07.00 बजे	सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट की बैठक
03.08.2008	09.30 बजे से 10.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
	11.00 बजे से 01.30 बजे तक	ईएसआइ दस्तावेज पर बहस
	01.30 बजे से 04.00 बजे तक	भोजनावकाश
	04.00 बजे से 05.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस का जवाब
		रिपोर्ट स्वीकार करना
		अध्यक्ष का समापन भाषण
04.08.2008		जन सभा

नोटः चाय के लिए अवकाशः 01.08.2008 – दोपहर 12.00 से 12.30 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 06.00 बजे तक
02.08.2008 – दोपहर 11.30 से 12.00 बजे तक और शाम 5.00 बजे से 05.30 बजे तक
03.08.2008 – सुबह 10.30 से 11.00 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 06.00 बजे तक
रात का खाना प्रतिदिन 08. 00 बजे होगा।

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय साथियो,

हमने अक्टूबर 6–8, 2007 को नयी दिल्ली में कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया था। उसके बाद की अवधि में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएं घट चुकी हैं। जनरल कौंसिल को निष्पक्ष भाव से इन सभी घटनाओं की समीक्षा करनी होगी ताकि हम आगामी अवधि के लिए समुचित ढंग से अपनी नीतियों एवं गतिविधियों की योजनाओं का निर्धारण कर सकें।

महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में पूरे विस्तार के साथ राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं और हमारे देश के मजदूर वर्ग तथा जन साधारण पर उनके पड़े उनके प्रभावों की चर्चा की है। मैं, इसलिए मुख्य तौर पर अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की चर्चा करने तक स्वयं को सीमित रखूंगा और राष्ट्रीय स्थिति के कुछ पहलुओं को संक्षेप में छूने का प्रयास करूंगा जिनका हमारे आंदोलन और मेहनतकश अवाम की स्थिति पर असर पड़ता है।

विश्व की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय पूंजी की जकड़

भूमण्डलीयकरण ने तात्कालिक रूप में विश्व की अर्थव्यवस्था पर वित्तीय पूंजी की जकड़ को और मजबूत बना दिया है। विकसित पूंजीवादी देशों की विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 84 प्रतिशत भाग पर अपना नियंत्रण रख रही हैं।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड इन्वेस्टमैंट रिपोर्ट 2007 (विश्व निवेश रिपोर्ट) के अनुसार वर्ष 2006 के दौरान भूमण्डलीय प्रत्यक्ष चिदेशी निवेश के अन्तर्वाह में 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह बढ़ कर 56.2 लाख करोड़ (1,306 बिलियन डालर) तक पहुंच गया है।

वर्ल्ड इन्वेस्टमैंट रिपोर्ट में विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी का वर्णन करते हुए रेखांकित किया गया है, *"भूमण्डलीय स्तर पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बढ़ोतरी कुछ हद तक विश्वव्यापी स्तर पर कार्पोरेट घरानों के मुनाफों में बढ़ोतरी के कारण हुई है जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर स्टाक मूल्यों ने अन्तर्देशीय विलीनीकरण एवं अधिग्रहणों के मूल्य बढ़ा दिए हैं।"*

मजदूरों को उनके उचित वेतनों और सामाजिक सुरक्षा के लाभों जिन पर उनका अधिकार है, से वंचित करके पूंजीपतियों द्वारा कमाए गए मुनाफों की दर बहुत ऊंची हो गई और वे बाजार पर अपनी इजारेदारी स्थापित होने के कारण वे उत्पादों के बहुत ऊंचे दाम वसूल करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक उपक्रमों के विलीनीकरण एवं अधिग्रहणों की प्रक्रिया के माध्यम से पूरे विश्व में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद देने के लिए पूंजी का केन्द्रीयकरण हो रहा है।

कम्पनियों द्वारा कमाए गए मुनाफों का पुनर्निवेश किए जाने के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में बहुत वृद्धि हो रही है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से स्वयं इस रिपोर्ट की टीका टिप्पणी में प्रतिबिम्बित हो रहा है, "उच्चतर कार्पोरेट मुनाफे के परिणामस्वरूप पुनर्निवेशित आमदनियां होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का महत्वपूर्ण अंग बन गई हैं। एक अनुमान के अनुसार यह वर्ष 2006 में विश्वव्यापी स्तर पर पूंजी के कुल अन्तर्वाह का 30 प्रतिशत था और अकेले विकासशील देशों में ही लगभग 50 प्रतिशत रहा था।

वर्ष 2005–2006 के लिए देशवार आंकड़े अधोलिखित तस्वीर पेश करते हैं।

प्रमुख पूंजीवादी देशों किया गया विदेशी निवेश
(2005–2006)

1) अमरीका	–	217 बिलियन डालर	(9.3 लाख करोड़ रुपए)
2) फ्रांस	–	115 बिलियन डालर	(4.9 लाख करोड़ रुपए)
3) स्पेन	–	90 बिलियन डालर	(3.9 लाख करोड़ रुपए)
4) स्विटजरलैंड	–	83 बिलियन डालर	(3.6 लाख करोड़ रुपए)
5) यू के	–	79 बिलियन डालर	(3.4 लाख करोड़ रुपए)
6) जर्मनी	–	79 बिलियन डालर	(3.4 लाख करोड़ रुपए)
7) बेलजियम	–	63 बिलियन डालर	(2.7 लाख करोड़ रुपए)
8) जापान	–	50 बिलियन डालर	(2.1 लाख करोड़ रुपए)
9) कैनेडा	–	46 बिलियन डालर	(2.0 लाख करोड़ रुपए)
10) इटली	–	43 बिलियन डालर	(1.8 लाख करोड़ रुपए)

उपरोक्त अनुमान केवल एक वर्ष के लिए लगाए गए हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां किस तरह दिन प्रतिदिन तेजी के साथ अपनी जकड़ मजबूत बनाती जा रही हैं, इन आंकड़ों को देखने से पता चल जाता है। अमरीका अब भी सब से बढ़ा विदेशी निवेशक है और युरोपीय संघ के साथ मिल कर तो वह इस भूमण्डल के लोगों का सबसे बड़ा शोषक बन जाता है।

विलीनीकरण तथा अधिग्रहणों के माध्यम से पूंजी का केन्द्रीयकरण अधिक से अधिक मुनाफा कमाने और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए हो रहा है। वर्ष 2005–2006 के दौरान इस तरह के लेन–देन के केवल 6974 मामलों में ही उनके मुनाफों में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसकी कुल राशि तो भारी भरकम है। यह 880 बिलियन करोड़ डालर अर्थात् 6.2 लाख करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमे 23 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। भूमण्डलीयकरण के परिणामस्वरूप विलीनीकरण और अधिग्रहणों के अधिकांश मामले अन्तराष्ट्रीय प्रकृति के हो गए हैं। इसके एक और पहलू को भी रेखांकित किया जाना चाहिए। इन लेन–देन का बड़ा हिस्सा मैगा ट्रांजैक्शन का है जो एक बिलियन डालर अर्थात् 4300 करोड़ रुपए है। अकेले वर्ष 2006 में 72 ट्रांजैक्शन हुए थे; वे सभी मैगा ट्रांजैक्शन थे जो उस वर्ष भूमण्डलीय स्तर पर हुए ट्रांजैक्शन अथवा लेन–देन का दो तिहाई भाग हैं। क्योंकि भूमण्डलीय स्तर पर पूंजी के केन्द्रीयकरण के साथ उच्चतर लाभकारिता निकट रूप से जड़ी हुई है इसलिए अगले वर्ष में इस रुझान के जोर पकड़ लेने की सम्भावना है।

भूमण्डलीयकरण ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादन में अपना शिकंजा और मजबूत करने में मदद दी है। एक अध्ययन के अनुसार 78,000 और उनकी 7,80,000 विदेशी सब्सिडेयरीज ने वर्ष 2006 में अपनी बिक्री में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है; उनकी सकल आय में 10 प्रतिशत ओर निर्यातों में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में 10 प्रतिशत और विश्व में कुल निर्यातों के एक तिहाई भाग के मालिक हैं। इससे पता चलता है कि विश्व व्यापार संगठन ने पूरी दुनिया में भूमण्डलीय निर्यातों के अधिक से अधिक भाग को अपने नियंत्रण में लेने में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मदद की है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सेवा क्षेत्र की भूमिका बढ़ रही है; यह भूमण्डलीयकरण का एक और पहलू है। वर्ष 1990 में कुल एफडीआइ में सेवा क्षेत्र का 49 प्रतिशत योगदान था जबकि वर्ष 2005 में यह बढ़ कर 66 प्रतिशत हो गया। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भूमिका इस अवधि में 41 प्रतिशत से कम होकर 30 प्रतिशत रह गई है जबकि इस पूरी अवधि में प्राथमिक क्षेत्र का भाग निरंतर कम अर्थात् 10 प्रतिशत बना हुआ है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की विदेशी परिसम्पत्तियों में बढ़ोतरी होते चले जाना इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि समग्र रूप में पूरे भूमण्डल की अर्थव्यवस्था में उनकी सरदारी बढ़ती चली जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1982 के दौरान बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के से सम्बद्ध विदेशी फर्मों की कुल परिसम्पत्तियां 2,206 मिलियन डालर (9.5 हजार करोड़ रुपए की थीं जो 1990 में बढ़ कर 6,036 बिलियन डालर की हो गई। तथापि बाद की अवधि में इसमें कहीं अधिक तेजी से बढ़ोतरी हुई है और इन कम्पनियों की कुल परिसम्पत्तियां बढ़ कर 51,187 मिलियन डालर (2.2 लाख करोड़ रुपए) की हो गई। यह चौंका देने वाला आंकड़ा है।

इस तरह पूरी दुनिया पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शिकंजा भूमण्डलीयकरण की शुरूआत होने के बाद असाधारण तेजी के साथ कसता चला गया है।

विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विकास बहुत तेजी से हआ है। क्योंकि इन देशों की सरकारों में उनकी तूती बोलती रही है; इसका लाभ उठा कर वे उन पर दबाव डालती रही हैं; वे मांग करती रही हैं कि ये सरकारें करों तथा शुल्कों के मामले में उन्हें अधिक से अधिक छूटें देने के लिए उदारता से काम लें; उन्हें कमाए गए मुनाफे अपने देशों में भेजने की अनुमति दें; अंदरूनी ढांचे की सुविधाएं उपलब्ध कराएं और श्रम कानूनों को लागू न करें। फिर भी विश्व के कुछ देशों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बारे में अपने कटु अनुभव के कारण अपनी स्वदेशी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है।

विश्व इनवेस्टमैंट रिपोर्ट 2007 में भारत का उल्लेख करते हुए अधोलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

''दक्षिण एशिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 126 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई अर्थात् यह 22 बिलियन डालर (94.6 हजार करोड़ रुपए) हो गया है। देश में पहले से कहीं अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (17 बिलियन डालर अर्थात् 73.1 हजार करोड़ रुपए) हुआ है अथवा वर्ष 2005 की तुलना में 153 प्रतिशत अधिक। यह 2003–2005 की अवधि के दौरान देश में पूंजी के कुल अन्तर्वाह के बराबर है।''

रिपोर्ट में आगे चल कर उल्लेख किया गया है, ''भारत सरकार के अनुसार 2006–07 के वित्तीय वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के 9.2 प्रतिशत तक विकास किए जाने की सम्भावना है। आय में धारणीय विकास ने देश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का राह देखने वाले देश के तौर पर अधिक से अधिक आकर्षक बना दिया है। वास्तव में, वाल–मार्ट जैसे विदेशी खुदरा व्यापारियों ने भारत के बाजार में दाखिल होना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही जनरल मोटर्स तथा आइबीएम जैसी अमरीका की अनेक विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस देश में अपनी उपस्थिति तेजी से बढ़ा रही हैं। इसी तरह टोयटा तथा निशान जैसी जापान की अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां –प्राइवेट एक्विटी फर्में भी अपनी–अपनी भूमिका निभा रही हैं। उदाहरण के लिए कोल्हबर्ग क्राविस रोबर्ट एण्ड कम्पनी (अमरीका) फलेक्सट्रानिक्स साटवेयर लिमिटेड पर नियंत्रण के लिए उसके 85 प्रतिशत शेयर खरीद लिए हैं। इसके लिए उसने 900 मिलियन डालर अर्थात् 3870 करोड़ रुपए का निवेश किया है।

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिसम्पत्तियों का मूल्य 1990 में 1.7 बिलियन डालर अर्थात् 7310 करोड़ रुपए से बढ़ कर 2000 में 17.5 बिलियन डालर अर्थात् 75 हजार करोड़ रुपए हो गया और वर्ष 2006 में बढ़ कर 50.7 बिलियन डालर हो गया। अमरीका में मंदे के रुझान होने के बावजूद भारत में परिसम्पत्तियों के संचय की रतार जारी है। भारत में विलीनीकरण तथा अधिग्रहणों की प्रक्रिया में भी इस अवधि में तेजी आई है। वर्ष 2004 में 80 कम्पनियों का अधिग्रहण किया गया जिनकी संख्या 2005 में बढ़ कर 126 हो गई और 2006 में अधिग्रहित कम्पनियों की संख्या 163 तक पहुंच गई। यह प्रक्रिया अब भी जारी है और इस तरह धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का शिकंजा कसता चला जा रहा है।

आइएलओ द्वारा हाल ही में प्रकाशित रोजगार के भूमण्डलीय रुझानों के अनुसार वर्ष 2008 में भूमण्डलीय बेरोजगारी

में पचास लाख की बढ़ोतरी होने की सम्भावना है और इस तरह बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर 19 करोड़ हो जाएगी। यह अनुमान सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं और लगता है कि उनमें इस रुझान को बहुत कम करके देखा गया है।

रिपोर्ट में आगे चल कर कहा गया है कि दुनिया में श्रम शक्ति का 16.4 प्रतिशत भाग अथवा 48.7 करोड़ मजदूर इतना नहीं कमा पाते कि वे अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह कर सकें। दूसरे शब्दों में उनकी आय प्रति दिन प्रति व्यक्ति एक डालर से अधिक अथवा गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं हो पाती जबकि विश्व में श्रम शक्ति का 43. 5 प्रतिशत हिस्सा आज भी प्रति व्यक्ति प्रति दिन की 2 डालर से कम आय की दहलीज पर खड़ा है।

आइएलओ की ओर से कराए गए एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में 77.2 प्रतिशत रोजगार इस तरह का है जो स्थायी नहीं होता और किसी भी समय समाप्त हो जाता है। ये मजदूर पूरी तरह असुरक्षित हैं; उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं दिए जाते और न ही उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकार होते हैं। आइएलओ के महानिदेशक जिस रोजगार को गरिमापूर्ण मानते हैं वह आज बेहद कम है।

युनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षो में डेयरी उत्पादों के दामों में लगभग 80 प्रतिशत और गेहूं के दामों में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन उत्पादों के दामों में तीखी बढ़ोतरी के कारण एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में विरोध की जोरदार कार्रवाईयां हुई। वाशिंगटन की अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में जैव ईंधन के दामों में एक चौथाई भाग से लेकर एक तिहाई भाग की बढ़ोतरी हुई है। दामों की यह बढ़ोतरी भूमण्डलीय स्तर पर हुई बढ़ोतरी के कारण हुई। अनाज की फसल के पांचवें भाग का उपयोग एथनोल के उत्पादन के लिए किया जाने लगा है। इसके चलते किसानों में एथनोल का उत्पादन करने की दौड़ सी लग गई है जिसके कारण सोयाबीन तथा दूसरी फसलों की काश्त में कमी आई है। इसका परिणाम इन फंसलों के दामों की बढ़ोतरी के रूप में निकला है।

युनैस्को की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पर लोगों की आय का 60 से लेकर 80 प्रतिशत भाग खर्च हो जाता है।

बीआरआइसी गठबंधन का गठन

रूस, चीन, भारत और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की बैठक 14 मई 2008 को युराल (रूस) के येकाटरिनबर्ग नामक स्थान पर हुई थी। यह बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक बहुत बड़ी घटना थी। माना जाता है कि यह बड़ी उभर रही अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह में इकट्ठे होने और भूमण्डलीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है जबकि उनका मिला जुला जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद जी 8 देशों के जीडीपी से आधा है और वर्ष 2020 तक यह उससे आगे निकल जाएगा।

संयुक्त विज्ञप्ति में बताया गया था कि चारों विदेश मंत्रियों ने *''अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को मजबूत बनाने के हित में आपस में और दूसरे देशों के साथ मिल कर काम करने की बीआरआइसी की अपेक्षाओं की पुष्टि की है।''*

संयुक्त विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, *''मंत्रियों ने रेखांकित किया कि भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में धारणीय (Sustainable) विकास एक दीर्घावधि की अवधारणा है। इसके साथ ही यह हमारे समय की भीषण भूमण्डलीय समस्याओं जैसे गरीबी, भूख तथा बीमारियों का समाधान करना तभी सम्भव हो सकता है यदि सभी राष्ट्रों के हितों का ध्यान रखा जाए और यह सब एक न्यायपूर्ण भूमण्डलीय व्यवस्था के अन्तर्गत होना चाहिए।''*

यह गठबंधन शंघाई सहयोग संगठन के साथ मिल कर विश्व को एक ध्रुवीय बनाने के अमरीकी हथकण्डों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रभावशाली हथियार का काम देगा। इस अवधि की एक और सकारात्मक घटना भारत की ओर से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के लिए व्यक्त की गई इच्छा है।

यदि भारत अपनी नीतियों में अमरीका के पक्ष में झुकाव के रुझान का त्याग कर देता है और इन दोनों गठबंधनों की गतिविधियों में मजबूती लाने के लिए काम करता है तो इसके फलस्वरूप निश्चित रूप से स्थायी शांति के लिए विश्वव्यापी संघर्ष को मजबूती मिलेगी।

सोमालिया में खून की होली खेली गई

अमरीकी साम्राज्यवादी सोमालिया की जनता के खून की होली खेलने के लिए इथोपिया की अमरीका समर्थक सेना की पीठ थपथपा रहे हैं। यह सब सोमालिया के तेल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। वहां के 35 लाख लोग पहले ही अपने घरबार छोड़ कर भाग चुके हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। खाद्यान्नों की कमी उन्हें भूखों मरने पर मजबूर कर रही है और उनमें से अनेक लोग भूख से तड़प–तड़प मर चुके हैं। राजधानी मोगादिशू से सात लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ कर भागने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि इथोपिया की गोलन्दाज फौज ने उनके घरों को तोड़ दिया है। वे बर्बाद हो चुके हैं।

इथोपिया की सेना भेड़ो बकरियों की भांति बेकसूर लोगों का खून बहाती रहे इसके लिए अमरीका संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करके भी इथोपियाई सेना को आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति कर रहा है। तथाकथित कठपुतली सोमालिया सरकार तथा अस्थायी सरकार भी लोगों पर हमले कर रही है और उन्हें उनकी अपनी भूमि से उखाड़ कर वंचना की स्थिति में धकेल रही है। अमरीका ये सभी कार्रवाईयां इसलिए कर रहा है ताकि सोमालिया के तेल भण्डारों की सुलभता यकीनी बन सके और उन पर उसका नियंत्रण हो। अमरीका को होने वाली 30 प्रतिशत तेल की आपूर्ति अफ्रीका से होती है।

पारागुवे में वाम पक्ष की जीत

लातीनी अमरीकी देश पारागुवे में कोलोराडो पार्टी के नेतृत्व वाली प्रतिगामी सरकार जिसने देश में 61 वर्ष शासन किया था, को 20 अप्रैल 2008 के चुनावी युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। 20 सामाजिक आंदोलन के 9 दलों पर आधारित बदलाव के लिए देशभक्त गठबंधन ने इन चुनावों में अभूतपूर्व विजय हासिल की है। उसकी विजय से उस महाद्वीप में अमरीकी हथकण्डों को जोरदार धक्का पहुंचा है। इस गठबंधन का नेतृत्व बिशप फर्नांडो लुगो कर रहे थे जिनके परिवार के सदस्यों को जनरल अलफ्रेडो स्ट्रोइस्सनेर की तानाशाही सत्ता ने प्रताड़ित किया; उन्हें यातनाएं दी गई और उन पर मुकद्दमें चलाए गए।

बदलाव के लिए देशभक्त गठबंधन ने वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर देश में भूमि सुधार करेगा तथा लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए सामाजिक–आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। भूमि सुधारों से 2.5 प्रतिशत लोगों पर असर पड़ेगा जिनके कब्जे में इस समय देश की 70 प्रतिशत भूमि है। लातीनी अमरीकी देशों की प्रगतिशील सरकारों की संख्या में यह नयी बढ़ोतरी हुई है। इससे साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के खिलाफ चल रहे संघर्ष के लिए लातीनी अमरीकी देशों की जनता को उत्साह मिलेगा।

फलस्तीन पर हमले

जहां भारत का इस्राइल के साथ सैनिक समझौता तेजी से अपने पांव जमाता चला जा रहा है वहीं दूसरी ओर गाज़ा

में पचास लाख की बढ़ोतरी होने की सम्भावना है और इस तरह बेरोजगारों की संख्या बढ़ कर 19 करोड़ हो जाएगी। यह अनुमान सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित हैं और लगता है कि उनमें इस रुझान को बहुत कम करके देखा गया है।

रिपोर्ट में आगे चल कर कहा गया है कि दुनिया में श्रम शक्ति का 16.4 प्रतिशत भाग अथवा 48.7 करोड़ मजदूर इतना नहीं कमा पाते कि वे अपना तथा अपने परिवार का निर्वाह कर सकें। दूसरे शब्दों में उनकी आय प्रति दिन प्रति व्यक्ति एक डालर से अधिक अथवा गरीबी की रेखा के ऊपर नहीं हो पाती जबकि विश्व में श्रम शक्ति का 43. 5 प्रतिशत हिस्सा आज भी प्रति व्यक्ति प्रति दिन की 2 डालर से कम आय की दहलीज पर खड़ा है।

आइएलओ की ओर से कराए गए एक अध्ययन के अनुसार दक्षिण एशिया में 77.2 प्रतिशत रोजगार इस तरह का है जो स्थायी नहीं होता और किसी भी समय समाप्त हो जाता है। ये मजदूर पूरी तरह असुरक्षित हैं; उन्हें सामाजिक सुरक्षा के लाभ नहीं दिए जाते और न ही उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकार होते हैं। आइएलओ के महानिदेशक जिस रोजगार को गरिमापूर्ण मानते हैं वह आज बेहद कम है।

युनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षो में डेयरी उत्पादों के दामों में लगभग 80 प्रतिशत और गेहूं के दामों में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इन उत्पादों के दामों में तीखी बढ़ोतरी के कारण एशिया तथा अफ्रीका के अनेक देशों में विरोध की जोरदार कार्रवाईयां हुई। वाशिंगटन की अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति शोध संस्थान की रिपोर्ट में बताया गया है कि हाल ही में जैव ईंधन के दामों में एक चौथाई भाग से लेकर एक तिहाई भाग की बढ़ोतरी हुई है। दामों की यह बढ़ोतरी भूमण्डलीय स्तर पर हुई बढ़ोतरी के कारण हुई। अनाज की फसल के पांचवें भाग का उपयोग एथनोल के उत्पादन के लिए किया जाने लगा है। इसके चलते किसानों में एथनोल का उत्पादन करने की दौड़ सी लग गई है जिसके कारण सोयाबीन तथा दूसरी फसलों की काश्त में कमी आई है। इसका परिणाम इन फंसलों के दामों की बढ़ोतरी के रूप में निकला है।

युनैस्को की रिपोर्ट में किए गए उल्लेख के अनुसार विकासशील देशों में खाद्य सामग्री पर लोगों की आय का 60 से लेकर 80 प्रतिशत भाग खर्च हो जाता है।

बीआरआइसी गठबंधन का गठन

रूस, चीन, भारत और ब्राजील के विदेश मंत्रियों की बैठक 14 मई 2008 को युराल (रूस) के येकाटरिनबर्ग नामक स्थान पर हुई थी। यह बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की एक बहुत बड़ी घटना थी। माना जाता है कि यह बड़ी उभर रही अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह में इकट्ठे होने और भूमण्डलीय राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या इन्ही देशों में रहती है जबकि उनका मिला जुला जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पाद जी 8 देशों के जीडीपी से आधा है और वर्ष 2020 तक यह उससे आगे निकल जाएगा।

संयुक्त विज्ञप्ति में बताया गया था कि चारों विदेश मंत्रियों ने *''अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को मजबूत बनाने के हित में आपस में और दूसरे देशों के साथ मिल कर काम करने की बीआरआइसी की अपेक्षाओं की पुष्टि की है।''*

संयुक्त विज्ञप्ति में आगे कहा गया है, *''मंत्रियों ने रेखांकित किया कि भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में धारणीय (Sustainable) विकास एक दीर्घावधि की अवधारणा है। इसके साथ ही यह हमारे समय की भीषण भूमण्डलीय समस्याओं जैसे गरीबी, भूख तथा बीमारियों का समाधान करना तभी सम्भव हो सकता है यदि सभी राष्ट्रों के हितों का ध्यान रखा जाए और यह सब एक न्यायपूर्ण भूमण्डलीय व्यवस्था के अन्तर्गत होना चाहिए।''*

यह गठबंधन शंघाई सहयोग संगठन के साथ मिल कर विश्व को एक ध्रुवीय बनाने के अमरीकी हथकण्डों के खिलाफ लड़ाई में एक प्रभावशाली हथियार का काम देगा। इस अवधि की एक और सकारात्मक घटना भारत की ओर से शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य बनने के लिए व्यक्त की गई इच्छा है।

यदि भारत अपनी नीतियों में अमरीका के पक्ष में झुकाव के रुझान का त्याग कर देता है और इन दोनों गठबंधनों की गतिविधियों में मजबूती लाने के लिए काम करता है तो इसके फलस्वरूप निश्चित रूप से स्थायी शांति के लिए विश्वव्यापी संघर्ष को मजबूती मिलेगी।

सोमालिया में खून की होली खेली गई

अमरीकी साम्राज्यवादी सोमालिया की जनता के खून की होली खेलने के लिए इथोपिया की अमरीका समर्थक सेना की पीठ थपथपा रहे हैं। यह सब सोमालिया के तेल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। वहां के 35 लाख लोग पहले ही अपने घरबार छोड़ कर भाग चुके हैं और शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। खाद्यान्नों की कमी उन्हें भूखों मरने पर मजबूर कर रही है और उनमें से अनेक लोग भूख से तड़प–तड़प मर चुके हैं। राजधानी मोगादिशू से सात लाख से अधिक लोग अपने घर छोड़ कर भागने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि इथोपिया की गोलन्दाज फौज ने उनके घरों को तोड़ दिया है। वे बर्बाद हो चुके हैं।

इथोपिया की सेना भेड़ो बकरियों की भांति बेकसूर लोगों का खून बहाती रहे इसके लिए अमरीका संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन करके भी इथोपियाई सेना को आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति कर रहा है। तथाकथित कठपुतली सोमालिया सरकार तथा अस्थायी सरकार भी लोगों पर हमले कर रही है और उन्हें उनकी अपनी भूमि से उखाड़ कर वंचना की स्थिति में धकेल रही है। अमरीका ये सभी कार्रवाईयां इसलिए कर रहा है ताकि सोमालिया के तेल भण्डारों की सुलभता यकीनी बन सके और उन पर उसका नियंत्रण हो। अमरीका को होने वाली 30 प्रतिशत तेल की आपूर्ति अफ्रीका से होती है।

पारागुवे में वाम पक्ष की जीत

लातीनी अमरीकी देश पारागुवे में कोलोराडो पार्टी के नेतृत्व वाली प्रतिगामी सरकार जिसने देश में 61 वर्ष शासन किया था, को 20 अप्रैल 2008 के चुनावी युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा था। 20 सामाजिक आंदोलन के 9 दलों पर आधारित बदलाव के लिए देशभक्त गठबंधन ने इन चुनावों में अभूतपूर्व विजय हासिल की है। उसकी विजय से उस महाद्वीप में अमरीकी हथकण्डो को जोरदार धक्का पहुंचा है। इस गठबंधन का नेतृत्व बिशप फर्नाडो लुगो कर रहे थे जिनके परिवार के सदस्यों को जनरल अलफ्रेडो स्ट्रोइस्सनेर की तानाशाही सत्ता ने प्रताड़ित किया; उन्हें यातनाएं दी गई और उन पर मुकद्दमें चलाए गए।

बदलाव के लिए देशभक्त गठबधन ने वादा किया है कि वह सत्ता में आने पर देश में भूमि सुधार करेगा तथा लोगों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने के लिए सामाजिक–आर्थिक कदम उठाए जाएंगे। भूमि सुधारों से 2.5 प्रतिशत लोगों पर असर पड़ेगा जिनके कब्जे में इस समय देश की 70 प्रतिशत भूमि है। लातीनी अमरीकी देशों की प्रगतिशील सरकारों की संख्या में यह नयी बढ़ोतरी हुई है। इससे साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के खिलाफ चल रहे संघर्ष के लिए लातीनी अमरीकी देशों की जनता को उत्साह मिलेगा।

फलस्तीन पर हमले

जहां भारत का इस्राइल के साथ सैनिक समझौता तेजी से अपने पांव जमाता चला जा रहा है वहीं दूसरी ओर गाज़ा

पट्टी में रहने वाले लोगों पर इस्राइली सेना के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। गाज़ा में रहने वाले 15 लाख लोगों पर शासन करने वाले हम्मास पर आर्थिक प्रतिबंध लगा कर फलस्तीन के लोगों को एक तरह से भूखों मरने के लिए खुला छोड़ दिया गया है; उन पर अमानवीय बर्बर अत्याचार किए जा रहे हैं और इस्राइली सेना के बर्बर हमलों के कारण निर्दोष पुरुष, महिलाएं एवं बच्चे अकारण मारे जा रहे हैं। अमरीकी साम्राज्यवादी खुले तौर पर इस्राइल की सेनिक कार्रवाईयों का समर्थन कर रहे हैं।

बराक मिसाइल सौदे में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुल जाने के बावजूद भारत सरकार लगातार इस्राइल से हथियार खरीद रही है। वह भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा प्रदायक बन गया है।

इस्राइल की सरकार ने खुले तौर पर इस्राइल के बगल में स्थिति वेस्ट बैंक (पश्चिमी किनारे) इलाके को हथियाने और उसे यहूदियों की जनसंख्या वाले क्षेत्रों के रूप में तबदील कर देने के अपने मन्सूबों की घोषणा कर दी है। इस तरह के ग्यारह इलाके बना भी दिए गए हैं और फलस्तीन के लोगों को अपनी मातृभूमि में दाखिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही। पूर्वी येरुशलम को फलस्तीन होमलैंड की राजधानी बनाने सम्बन्धी फलस्तीन के लोगों के दावे को स्वीकार करने की बजाए ग्रेटर येरुशलम के नाम पर वेस्ट बैंक को विभाजित करके पच्चर डाला जा रहा है और इस तरह इसे दो रेतीले क्षेत्रों में तबदील किया जा रहा है जहां फलस्तीन के लोगों के लिए फलस्तीनी इलाके में दाखिल होने के लिए कोई सम्पर्क मार्ग नहीं होगा।

वेस्ट बैंक इलाके में स्थिति फलस्तीन के लोगों के छोटे–छोटे घेटोस घरों को एक तरह से कैद खानों में तबदील कर दिया गया है और उनमें रहने वाले लोगों को किसी तरह की कोई आजादी नहीं दी जा रही। इस्राइली और फलस्तीनी जनता को एक दूसरे से अलग करने के लिए दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। फलस्तीन इलाके में कुछ सड़कें बनाई गई हैं जिनका उपयोग केवल यहूदी लोगों द्वारा किया जाता है।

इस तरह की दुःखदायी नसल भेदी घटनाएं इक्कसवीं शताब्दी में घट रही हैं और अमरीकी साम्राज्यवाद का इसे पूरा समर्थन हासिल है। इस तरह की स्थिति में अमरीका को दखल देने की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही जबकि वहां फलस्तीन की जनता को तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी जा रही हैं। तथापि फलस्तीन के बहादुर लोग यहूदीवादी सरकार के इन दबावों के आगे नहीं झुके और वे पूरी दृढ़ता के साथ इस्राइल के हमलों का मुकाबला कर रहे हैं।

इस्राइल द्वारा हाल ही में भूमध्यसागर में किए गए सैनिक अभ्यासों का स्पष्ट उद्देश्य ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करना है। इन अभ्यासों में सौ से अधिक जंगी जहाज लगाए गए हैं जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि इस्राइल के शासकों के आक्रमणकारी मन्सूबे क्या हैं। यह सब अमरीका के समर्थन से हो रहा है।

इराक में अमरीका को धक्के लगना

इराक में युद्ध छेड़ने का अमरीका का असल उद्देश्य क्या था। इसका रहस्योदघाट्न न्यू यार्क टाइम्स ने अपने 30 जून, 2008 के अंक में किया है। अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस की चार बड़ी तेल कम्पनियों एक्सान–मोबाइल, शैल, ब्रिटिश पेट्रोलियम तथा टोटल विल ने अपनी आंखें इराक के तेल पर गड़ा रखी हैं। एक अनुमान के अनुसार वहां 115 बिलियन बैरल तेल पाया जा रहा है। इसके लिए बगदाद में अमरीका की कठपुतली सरकार के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इस सम्बन्ध में न्यू यार्क टाइम्स का समाचार है, *"इस सौदे की घोषणा 30 जून को किए जाने की सम्भावना है। अमरीकी हमले के बाद यह सौदा इराक में चार बड़ी कम्पनियों के काम के लिए नींव का काम देगा। और इस तरह इन कम्पनियों के लिए एक नए, भारी भरकम मुनाफा देने वाले देश के किवाड़ खुल जाएंगे।"*

इराक में अब तक 4000 अमरीकी सिपाही मारे जा चुके हैं और 30,000 से अधिक घायल हुए हैं; उन्हें तेल के

अन्तर्राष्ट्रीय इजारेदारों की मुनाफा कमाने की भूख को शांत करने के लिए अपने प्राण गंवाने पड़े हैं। इन इजारेदार कम्पनियों का अंतिम लक्ष्य मुनाफा कमाना ही तो है। लाखों इराकी नागरिक भी मारे जा चुके हैं और उन्होंने इराकी तेल पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहूति दी है। उल्लेखनीय है कि इराक दुनिया में तेल का सबसे बड़ा स्त्रोत है। मध्य पूर्व में इस समय तक की सबसे क्रूर जंग ने साम्राज्यवादी हमले के असल चेहरे को बेनकाब कर दिया है।

इराक की जनता द्वारा झेली जा रही मुसीबतों एवं कष्टों का उल्लेख एक पत्रिका हार्डन्यूज ने इस प्रकार किया है, *''सामान्य तौर पर इराकी घरों को दिन में तीन घण्टे से कम समय के लिए बिजली मिलती है; कम से कम 40 प्रतिशत लोग को सुरक्षित पेय जल नसीब नहीं होता और वहां बेरोजगारी की दर 40 से 70 प्रतिशत के बीच बनी हुई है।''*

ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद ने हाल ही में इराक का दौरा किया और वहां पहुंचने पर उनका जिस गर्मजोशी से स्वागत किया गया उससे पता चलता है कि वर्तमान में दोनों देशों की जनता के बीच दोस्ताना सम्बन्धों में सुधार आया है। अमरीकी सेनाओं की वापसी के बारे में हाल ही में इराक के प्रधान मंत्री द्वारा की गई मांग एक और घटना है जिससे अमरीकी की स्थिति को धक्का पहुंचा है। यदि इराक की विभिन्न श्रेणियों के लोग एक साथ मिल कर नया गठबंधन बना लेते हैं तो अमरीका को इराक में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए गम्भीर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ये दिक्कतें लम्बे समय तक बनी रहेंगी।

ईरान के साथ सम्बन्ध

ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद अहमदीनेजाद ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भारत का दौरा किया था। इससे भरत–ईरान सम्बन्धों में व्याप्त तनाव जो भारत द्वारा ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए अमरीका के साथ मिल कर वोट देने, भारत की धरती से इस्त्राइल के जासूसी उपग्रह को उड़ान भरने की अनुमति दिए जाने, ईरान–पाकिस्तान–भारत के बीच गैस पाईपलाईन बिछाने के प्रश्न पर बातचीत को लम्बा खींचने के लिए अपनाए गए दांवपेचों और ईरान की कम्पनियों के साथ वित्तीय लेन देन बंद करने के लिए अमरीका के दबाव के आगे झुक जाने इत्यादि के कारण पैदा हुआ था, को कम करने में सहायता मिली है।

ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा की अनेक अमरीकी प्रवक्ताओं ने आलोचना की थी। उनकी ओर से भारत पर दबाव डालने की कोशिश की गई कि वह पाईपलाईन के मामले में आगे न बढ़े, इस पर आगे की बातचीत न करे और न ही ईरान के साथ मैत्री सम्बन्धों को प्रगाढ़ बनाने का प्रयास करे।

पाकिस्तान की सरकार ने अमरीकी दबाव की परवाह न करके ईरान के साथ पाईपलाईन पर समझौता किया। इन परिस्थितियों में यदि भारत ईरान के साथ समझौता करने में विफल रहता है तो यह गैस पाकिस्तान के रास्ते चीन चली जाएगी। यह एक तथ्य है जिसे सामने रख कर भारत को पाईपलाईन समझौता करने की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाना ही होगा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की आकाश छूती कीमतों के कारण पैदा हुई स्थिति में पाईपलाईन के माध्यम से गैस आ जाने के फलस्वरूप भारत लाभकारी स्थिति में आ जाएगा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय हित भारत पर अमरीकी दबावों से अधिक महत्त्व रखते हैं।

ईरान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप दूसरी अनेक संयुक्त परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। ये हैं: तेल उत्पादन, ईरान में गोदी और सड़कों का विकास इत्यादि। इसलिए यह भारत के हित में है कि वह ईरान के साथ इस तरह के किसी भी समझौते के मामले में अमरीका के दबाव के आगे न झुके और भारत के इस परम्परागत पड़ोसी देश के साथ अपने मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करे।

अफगानिस्तान की स्थिति

अमरीका तथा नाटो के लगभग 75,000 सैनिक इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने वहां अपने कब्जे को लगातार बनाए रखा है। इस पर भी इस देश की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती चली जा रही है। अफगानिस्तान में वर्ष 2007 के दौरान अमरीका तथा नाटो के लगभग 250 सैनिक मारे जा चुके हैं। हाल ही में तालिबान के आत्मघाती हमलों में भी बढ़ोतरी हुई है। इन दोनों ताकतों अथवा पाटों के बीच स्थानीय जनता बुरी तरह पिस रही है और भीषण कष्ट झेल रही है।

इस वर्ष 13 जून को कंधार जेल पर जोरदार हमला किया गया और इस हमले में नाटो सेना द्वारा बंदी बना कर अफगानिस्तान के अधिकारियों को सौंपे गए एक हजार से अधिक तालिबानी लड़ाकों को रिहा करा लिया गया। यद्यपि नाटो गठबंधन ने अफगानिस्तान का पुनर्निमाण करने के लिए वहां 201 बिलियन डालर खर्च करने का फैसला किया है इस पर भी इस हमले से नाटो की कोशिशों को धक्का पहुंचा है।

अफगान राष्ट्रपति करजई पर घातक हमला देश की स्थिति को अस्थिर बनाने की तालिबानी सेना की एक और कोशिश थी। भले ही करजई की हत्या करने की कोशिश नाकाम रही है किन्तु इससे अफगानिस्तान की असुरक्षित हालत प्रतिबिम्बित होती है। करजई ने खुले तौर पर इसके लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाया है और कहा है कि पाकिस्तान उनके देश की स्थिति को और जटिल बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि तालिबानी पाकिस्तानी इलाकों में रह कर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। पाकिस्तान सरकार के प्रवक्ता ने करजई पर हमले में अपनी भूमिका से इन्कार किया है और अपने अंदरूनी मामलों में इस तरह की दखलंदाजी के खिलाफ चेतावनी दी है।

अमरीकी सेनाओं द्वारा पाकिस्तान की सैनिक टुकड़ी पर हमला किए जाने के कारण 11 पाकिस्तानी सिपाही मारे गए थे। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे आक्रमणकारी कार्रवाई करार दिया था। इस घटना ने पाकिस्तान की समस्याओं को एक नया आयाम दे डाला है।

अमरीका की ओर से जुलाई के पहले सप्ताह अफगान–पाकिस्तान सीमा पर एक और हमला किया गया जिसमें 64 व्यक्ति मारे गए। मरने वालों में अधिकांश लोग महिलाएं तथा बच्चे थे; वे एक बारात में शामिल थे। इस तरह नागरिकों पर बेवजह सैनिक हमला किए जाने से पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में कड़ी प्रतिक्रिया हुई है।

अफगानिस्तान में निर्माण तथा विकास की परियोजनाओं में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा के लिए एक हजार से अधिक भारत–तिब्बत पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है; तालिबानियों द्वारा उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। पिछले 6 महीनों के दौरान कुछ भारतीय मजदूरों और इंजीनियरों को अगवा कर लिया गया।

काबुल में भारतीय मिशन पर हाल ही में बमों से प्राण घातक हमला किया गया जिसमें भारत के एक बरिष्ठ राजनयिक मारे गए। इस घटना से उस देश में बढ़ती असुरक्षा की भावना का पता चलता है।

अफगानिस्तान में नशीली दवाओं का धंधा तालिबानियों के लिए धन उपलब्ध कराने का एक प्रमुख स्रोत रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान में वर्ष 2007 में 8200 टन अफीम का उत्पादन हुआ था। इस वर्ष के दौरान दुनिया भर में पैदा हुई अफीम का यह सबसे बड़ा भाग था। करजई सरकार के कुछ बरिष्ठ अधिकारी भी नशीली दवाओं के इस धंधे में संलिप्त पाए गए हैं। ये लोग नशीली दवाओं का धंधा करने वालों के लिए कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होने दे रहे। यहां तक कि अमरीका तथा ब्रिटेन की फर्में भी अफगानिस्तान में नशीली दवाओं के धंधे में शामिल हैं। नाटो के दावे कितने खोखले हैं इस कारोबार से इसकी पोल भी खुल गई है।

चीन और जापान के सम्बन्धों में सुधार

चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ और जापान के प्रधान मंत्री यासुओ फाकुदा के बीच 7 मई को शिखर वार्ता हुई थी जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी चीन के समुद्र में तेल के भण्डारों का पता लगाने और उनका विकास करने पर सहमति व्यक्त की गई। इस सहमति अथवा सर्वानुमति को 18 जून को जारी एक संयुक्त वक्तव्य द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। उसमें इसे ठोस स्वरूप प्रदान किया गया जिसमें पूर्वी चीन के सागर क्षेत्र को शांति, सहयोग एवं मित्रता का क्षेत्र बनाने" पर जोर दिया गया। यद्यपि चीन और जापान के बीच समुद्री सीमा का परिसीमन अभी तक नहीं हो सका तथापि इस शिखर वार्ता ने ऊर्जा स्त्रोतों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त जरूर किया है। यद्यपि आज भी चीन और जापान के बीच अनेक मतभेद बने हुए हैं; ये मतभेद चीन पर जापान के औपनिवेशिक शासन तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पैदा हुए थे फिर भी बनी इस सर्वानुमति से दोनों देशों के बीच विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने की दिशा में आगे की बातचीत का रास्ता खुल गया है।

ताईवान के चुनावों में स्वतंत्रता समर्थक प्रत्याशी की हार और उसके बरिष्ठ आधिकारिक प्रतिनिधियों का चीन की मुख्य भूमि के दौरे ने मुख्य भूमि तथा चीन के ताईवान प्रांत के बीच परस्पर सम्बन्धों में सुधार की सम्भावनाओं का द्वार और खोल दिया है। यद्यपि देश के एकीकरण की प्रक्रिया अभी दूर की बात दिखाई दे रही है तथापि ताईवान के प्रतिनिधियों और चीन के नेतृत्व के बीच बातचीत होने से पारस्परिक सम्बन्धों को मजबूती मिली है। चीन की मुख्य भूमि के शहरों तथा ताईवान के बीच हवाई उड़ानें शुरू हो जाने से आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच के सम्पर्कों में सुधार होना शुरू हो गया है।

चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने तथा लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण सम्बन्धों की जरूरत है। इन घटनाओं से चीन को निश्चित रूप से निकट भविष्य में आर्थिक विकास की गति को लगातार और तेज करने में सहायता मिलेगी।

बीजिंग ओलम्पिक में बाधाएं डालने की कोशिशें

बीजिंग ओलम्पिक का समय निकट आ रहा है। कई देशों से होती हुई ओलम्पिक मशाल बीजिंग पहुंच गई है। प्रतिगामी ताकतों और दलाई लामा के समर्थकों ने कुछ देशों में ओलम्पिक मशाल का रास्ता रोकने की कोशिशें की थीं। तिब्बत में भी कुछ रुकावटें खड़ी करने का प्रयास किया गया था।

दलाई लामा ने खुले तौर पर पश्चिम देशों से अनुरोध किया था कि वे चीन पर दबाव डालें। अमरीका, जर्मनी, फ्रांस तथा यूके ने खुल कर दलाई लामा के दावे का समर्थन किया है।

तथापि, ओलम्पिक मशाल के कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया है। चीन सरकार ने दलाई लामा के साथ बातचीत के दो चक्र चलाए थे किन्तु यह बातचीत लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकी। भारत में दलाई लामा के समर्थकों ने भारत की धरती से घुसपैठ करके तिब्बत में घुसने का प्रयास किया। भारत सरकार ने इस प्रयासों को सफल नहीं होने दिया इसलिए ये लोग अपने मकसद में सफल नहीं हो सके।

तिब्बत ने बहुत शानदार आर्थिक प्रगति की है। इस प्रगति के फलस्वरूप इस अत्यंत पिछड़े और सामंती राज्य का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। बीजिंग–लहासा रेल मार्ग जिसे अपने में ही एक अजूबा कहा जा सकता है तथा औद्योगिक विकास की दूसरी अनेक परियोजनाओं के फलस्वरूप वहां के लोगों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

बीजिंग ओलम्पिक खेलें अगस्त मास में होंगी। यह एक यादगारी घटना होगी। ये खेलें बिना किसी रुकावट के समय पर आयोजित कर ली जाएंगी।

नेपाल एक गणतंत्र बना

नेपाल में राजतंत्र का बिस्तर गोल हो जाना और 28 मई 2008 को संविधान सभा की ओर से नेपाल को गणतंत्र घोषित किए जाने की घटना इस अवधि की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटना है। इसके चलते लोगों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है जिसे पूरे देश में आयोजित बड़े प्रदर्शनों के रूप में प्रतिबिम्बित होते देखा गया है।

संविधान सभा के 10 अप्रैल को सम्पन्न चुनावों में माओवादियों को 605 में से 240 सीटें हासिल हुई हैं। ये परिणाम अप्रत्यक्ष पार्टी वार आनुपातिक मतों की गणना के बाद निकले हैं। नेपाली कांग्रेस को 107 सीटें हासिल हुई जबकि सीपीएन (यूएमएल) को 105 सीटें प्राप्त हुईं। माओवादियों तथा सीपीएन (यूएमएल) को इस तरह पूर्ण बहुमत हासिल हो गया है। एक क्षेत्रीय दल मादेशी ने भी काफी सीटें हासिल की हैं।

नरेश ज्ञानेन्द्र को 15 जुलाई तक राज महल खाली करने का आदेश दिया गया और इस महल को राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में तबदील कर दिया जाएगा।

सत्ता में भागीदारी को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों में मतभेद बना हुआ है। क्योंकि कोयराला बहुमत का समर्थन खो चुके हैं इसलिए माओवादियों ने उनसे त्याग पत्र देने की मांग की। माओवादियों और सीपीएन (यूएमएल) के बीच सत्ता में भागीदारी को लेकर आपसी समझदारी आसानी से बन जाने की सम्भावना थी किन्तु इसे अमल में उतारा नहीं जा सका और नेपाल में इन दलों के आपसी सम्बन्धों की अनिश्चितता अब भी बनी हुई है।

श्री लंका में भाई द्वारा भाई का खुन बहाए जाने वाला युद्ध

श्रीलंका की स्थिति लगातार जटिल बनी हुई है। वहां भाई द्वारा भाई का खून बहाया जा रहा है। इसके कारण अनेक बहुमूल्य जीवन समाप्त हो गए हैं। मरने वालों को कोई कसूर नहीं था फिर भी वे मारे गए या मारे जा रहे हैं। श्रीलंका की सरकार ने युद्ध बंदी के समझौते के लिए नार्वे की पहलकदमी को समाप्त करने का निर्णय ले लिया और इसके बाद श्रीलंका निगरानी मिशन का बिस्तर गोल कर दिया गया। इसके फलस्वरूप महेन्द्र राजपक्षे की सरकार और लट्टे के बीच शत्रुतापूर्ण नए टकरावों की शुरूआत हो गई है।

भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस भगवती की अध्यक्षता में गणमान्य व्यक्तियों के एक स्वतंत्र अन्तर्राष्ट्रीय दल तथा विभिन्न देशों के दस और व्यक्तियों ने श्रीलंका सरकार में "राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव" होने के कारण 31 मार्च 2008 से अपना मिशन बंद कर दिया। श्रीलंका सरकार ने इसके बदले में मिशन पर आरोप लगा दिया कि वह विदेशी ताकतों के आदेश पर श्रीलंका के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है।

इस समस्या का सैनिक समाधान निकालने की श्रीलंका सरकार की नीति और तमिल एलम नाम के एक अलग स्वतंत्र राज्य के लिए लड़ने के लिए लट्टे द्वारा अपनाया गया रुख इस समस्या के राजनीतिक समाधान में बाधा बना हुआ है। लट्टे के आत्मघाती मानव बमों द्वारा श्रीलंका के मंत्री जयराज फर्नांडो पुल्ले की 6 अप्रैल को हत्या किए जाने से उस देश के हालात और खराब हो गए हैं।

हाल ही में 10 मार्च 2008 को बाटीकोला जिले में स्थानीय निकायों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं। श्रीलंका के लट्टे समर्थक प्रमुख प्रतिपक्षी दल तमिल नेशनल एलायंस, युनाइटिड नेशनल पार्टी (यूएनपी) तथा जनता विमुक्ति पेरुमुना (जेवीपी) ने शांति एवं कानून व्यवस्था का उल्लेख करते हुए इन चुनावों का बहिष्कार किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह तमिल माकाल विदुथालाई पुलिगाल (टीएमवीपी) को हथियार फैकने के लिए मजबूर नहीं कर सकी। श्रीलंका की सरकार ने दावा किया कि 60 प्रतिशत लोगों ने मतदान में भाग लिया और यह चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न हुआ है। फ्रंटलाईन की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, "शांतिपूर्ण ढंग से चुनावों को सम्पन्न

करा लेना इतना बड़ा कारण नहीं है कि सरकार इस पर भाव विभोर हो जाए।'' श्रीलंका में रहने वाले हजारों तमिलों को वहां से भाग कर तमिलनाडु में शरणार्थी बनना पड़ा है और उनका विस्थापन एक बड़ी समस्या बन गया है। श्रीलंका में तमिल बहुल वाले क्षेत्रों को पूर्ण स्वायत्ता प्रदान किए जाने से ही वहां स्थायी शांति की स्थापना की जा सकती है और यह सब बातचीत के द्वारा होगा युद्ध के द्वारा नहीं।

पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध

भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी की पाकिस्तान यात्रा और पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ उनकी बातचीत ने दोनों देशों के बीच बातचीत के द्वारा एक बार फिर से खोल दिए हैं। यद्यपि दोनों देशों के बीच व्यापार सम्बन्ध और दोनों देशों के लोगों के बीच अधिक से अधिक पारस्परिक सम्पर्क बढ़ाने पर समझौते हुए हैं किन्तु इस बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई। फिर भी इसमें आगे की प्रगति का रास्ता खुल गया है।

यद्यपि कश्मीर के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने अलग–अलग विचार व्यक्त किए हैं फिर भी इस समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से करने पर सहमति हुई। आतंकवाद के प्रश्न पर दोनों पक्षों ने ''आतंकवाद की सभी स्वरूपों एवं अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ने का संकल्प किया और इस खतरे को पूरी तरह समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाने पर सहमति व्यक्त की है।''

दोनों देशों के लिए जरूरी हो जाता है कि वे आपसी विवादों का समाधान बातचीत के द्वारा करें और अमरीका को दोनों देशों के बीच की समस्याओं का लाभ उठा कर अपनी खेल खेलने की अनुमति न दें।

परमाणु मुद्दे पर हथियार डालना

जहां अमरीकी साम्राज्यवादियों को दुनिया में अपनी सरदारी कायम करने की नीतियों के चलते धक्के पर धक्के लग रहे हैं वहीं मनमोहन सिंह की सरकार ने भारत–अमरीका परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है – इसके परिणामस्वरूप देश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है और वाम पक्षी दलों के आगे यूपीए सरकार को अपना समर्थन वापस लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था।

जब भारत सरकार ने सितम्बर 2007 में अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) के साथ बचाव समझौता (safeguard agreement) करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया तो वाम दलों ने इस पर घोर आपत्ति की थी। उन्होंने इस पर यूपीए सरकार को दिया गया अपना समर्थन वापस लेने की चेतावनी भी दे डाली थी। यदि एक बार आइएईए इस प्रारूप को स्वीकार कर लेता है तब भारत की कोई भूमिका नहीं रहेगी। अमरीका इस मुद्दे को न्यूकलीयर सप्लाई ग्रुप के पास ले जाएगा और इसके बाद अमरीका कांग्रेस भारत को नाभिकीय ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए 123 समझौते पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाएगी।

वाम पक्षी दलों ने बताया था कि 123 समझौते पर हाईड एक्ट की छाया बनी रहेगी जिसे अमरीकी कांग्रेस ने पारित किया है और जिसमें भारत के लिए अनेक अपमान जनक प्रावधान शामिल हैं। क्या भारत इस एक्ट का पालन कर रहा है? इसकी पुष्टि करने के लिए अमरीका के राष्ट्रपति द्वारा उसे हर वर्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस समझौते में यह परिकल्पना भी की गई है कि भारत की विदेश नीति अमरीकी साम्राज्यवादियों के हितों की गुलाम बनी रहेगी। यदि अमरीका सरकार अनुभव करेगी कि भारत अमरीकी सरकार की पसंद की नीतियों पर अमल नहीं कर रहा तो उसके पास परमाणु संयंत्र वापस लेने और अमरीका द्वारा परमाणु ईंधन की आपूर्ति बंद कर दिए जाने का अधिकार हासिल होगा। ईरान के साथ सम्बन्ध रखने वाले मुद्दों का उल्लेख भी हाईड एक्ट में किया गया है। यद्यपि भारत द्वारा परमाणु परीक्षण किए जाने के बाद अमरीका के आर्थिक प्रतिबंध लागू किए जाने के मामले में भारत का अपना

अनुभव बहुत कटु रहा है इस पर भी प्रधान मंत्री ने उस और से अपनी आंखें मूंद रखी हैं और वह हकीकत को देखना एवं पहचानना नहीं चाहते।

वाम पक्षी दल अमरीका–भारत सामरिक भागीदारी तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ किए जा रहे संयुक्त सैनिक अभ्यासों के एक भाग के रूप में भी इस समझौते को देखते हैं। इस तरह भारत एकध्रुवीय विश्व के लिए अमरीकी हथकण्डों का गुलाम बन कर रह जाएगा।

वाम दल इस शर्त पर बचाव समझौते (safeguard agreement) का प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से सरकार के आइएईए के पास जाने के लिए सहमत हो गए थे कि भारत सरकार वाम दलों और भारत सरकार के बीच चल रही वार्ता के निष्कर्षो को अंतिम रूप दिए जाने तक इस दिशा में और कदम नहीं उठाएगी।

इस पर भी भारत सरकार अपने आश्वासन से पीछे हट गई। वाम दलों को बचाव समझौते (safeguard agreement) का प्रारूप नहीं दिखाया गया और यहां तक कि वाम पक्षी दलों के साथ चल रही बातचीत के निष्कर्ष निकलने से पहले ही प्रधान मंत्री ने 7 जुलाई को जब वह जी 8 देशों की बैठक में भाग लेने के लिए जापान जा रहे थे, भारत सरकार के इस फैसले की घोषणा कर दी कि बचाव समझौता (safeguard agreement) आगे बढ़ाया जाएगा। प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुनने के बाद वाम पक्षी दलों ने यूपीए सरकार को दिया अपना समर्थन वापस लेने का फैसला कर लिया।

विदेश मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी ने यह घोषणा की थी कि संसद में विश्वास मत हासिल किए बिना भारत आइएईए के पास नहीं जाएगा। इस पर भी सरकार ने बचाव समझौते (safeguard agreement) को अंतिम रूप देने के लिए आइएईए के साथ सम्पर्क स्थापित कर लिया और इसके लिए उसने संसद की राय लेने की जरूरत भी महसूस नहीं की।

आइएईए की ओर से 9 जुलाई को सभी सदस्यों के बीच प्रारूप की प्रतियां भेजी गईं और इस प्रारूप को आधिकारिक तौर पर प्रकाशित किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा झूठ मूठ ही एक कलासिक अथवा कालजयी दस्तावेज कह कर प्रचरित किया गया।

यूपीए सरकार ने वाम पक्षी दलों के साथ जो वादा किया था उसने उसे तोड़ डाला अथवा दूसरे शब्दों में सरकार ने इस मामले में वाम पक्षी दलों के साथ गद्दारी की है। इससे उसकी यह पोल भी खुल गई कि उसे देश को एक गहरे राजनीतिक संकट में डाल कर भी राष्ट्रपति बुश को खुश करने की कितनी जल्दी अथवा हड़बड़ी थी।

यूपीए सरकार ने समाजवादी सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए हर तरह के संदिग्ध हथकण्डे चले हैं और समाजवादी पार्टी उपयुक्त अवसर पर उसकी सहायता करने के लिए आगे आ भी गई। संसद में 22 जुलाई को यूपीए सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल किया जाएगा जिससे यह तय होगा कि देश में आगे चल कर किस तरह का घटनाचक्र चलेगा।

सीआइटीयू यूनियनों को इस बदनाम समझौते के खिलाफ देश भर में एक शक्तिशाली अभियान चलाना होगा; उसे मजदूर वर्ग को आगाह करना होगा कि इस समझौते के कारण देश को क्या–क्या नुकसान होने वाला है। हमें मजदूर वर्ग तथा जन साधारण की समस्याओं को उठाने के साथ–साथ इस मुद्दे को भी उचित महत्त्व देना होगा ताकि मजदूर वर्ग को सीधे तौर पर इस समझौते विरोध में लामबंद किया जा सके।

देश भर में झूठ से भरा और कपटपूर्ण प्रचार किया जा रहा है कि भारत–अमरीका परमाणु समझौते से देश के ऊर्जा संकट का समाधान करने में सहायता मिलेगी। इस तथ्य को पूरी तरह छिपाया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा के लिए

ईंधन बाहर से मंगाया जाएगा और इस तरह पैदा होने वाली बिजली का मूल्य उस बिजली से दो गुणा होगा जो ताप बिजली संयंत्रों में पैदा होती है और उस बिजली से तीन गुणा अधिक होगा जो पण विद्युत परियोजनाओं से पैदा होती है। हमें अपने प्रचार अभियान के समय इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना होगा और हमें भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विकास के मामले में आत्म निर्भरता की नीति का प्रचार करना होगा।

20 अगस्त 2008 की हड़ताल को जोरदार तरीके से सफल बनाओ

बीस अगस्त की हड़ताल के लिए पूरे देश में अच्छे ढंग से तैयारियां चल रही हैं। राज्य एवं उद्योग स्तर पर आयोजित अनेक कन्वेंशनों के लिए मजदूरों ने जिस उत्साह के साथ प्रत्युत्तर दिया उससे श्रमिक वर्ग में पनप रहा असंतोष उजागर होता है। तथापि, हमें हड़ताल को सफल बनाने के लिए पूरी शक्ति के साथ काम करना होगा ताकि इससे भूमण्डलीयकरण की नीतियों के खिलाफ श्रमिक वर्ग की संयुक्त आवाज प्रतिध्वनित हो सके।

अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के आसमान छूते दामों के कारण एक साधारण मजदूर का जीना बहुत मुशकिल हो गया है। विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की जीवन स्थितियां बेहद खराब बन गई हैं; क्योंकि उन्हें महंगाई भत्ता नहीं मिलता जिससे बढ़ते दामों से होने वाली क्षति दूर हो सके इसलिए उनकी जीवन स्थितियों में तेजी से गिरावट आती चली जा रही है। खेत मजदूरों की हालात तो और भी अधिक बदतर बनी हुई है किन्तु मनमोहन सिंह की सरकार को इसकी कतई चिंता नहीं है। इसकी बजाए वह ऐसे काम कर रही है जिससे जनता की विशाल बहुसंख्या की हालत और अधिक शोचनीय एवं बदतरीन हो जाए। सरकार को उनसे कहीं अधिक चिंता अमरीकी साम्राज्यवादियों के साथ परमाणु करार करने की है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश तथा निजीकरण को पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यह काम इन उपक्रमों की बेहतर कारगुजारी की अनदेखी करके किया जा रहा है। बीमार उपक्रमों का पुनरुद्धार करने के लिए सहायता देने के वादे तो किए जाते हैं पर इन पर शायद ही कभी अमल किया जाता हो। इसके कारण इन उपक्रमों में काम करने वाले लाखों कर्मचारियों के भविष्य संकट में पड़ गए हैं।

केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेन्शन योजना के खिलाफ कठोर संघर्ष कर रहे हैं। जहां छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय किया है वहीं वे इसके खिलाफ संयुक्त संघर्ष चलाने के लिए आगे आने पर मजबूर होना पड़ा है।

बैंक तथा बीमा कर्मचारी, प्रतिरक्षा कर्मचारी भी घरेलू सेक्टर में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश और निजीकरण के लिए जोरदार संघर्ष चला रहे हैं। चार करोड़ से अधिक मजदूर भविष्य निधि तथा पेन्शन निधि के जमा खातों पर ब्याज की उच्चतर दर के लिए संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री पी चिदाम्बरम ने उनके निवेशों अथवा उनकी जमा राशियों के लिए ब्याज की उचित दर देने से इन्कार कर दिया है।

श्रम कानूनों के धाराशायी हो जाने के परिणामस्वरूप मजदूरों की कामकाजी एवं जीवन स्थितियों के मामले में सभी तरह के कानूनी संरक्षण वापस लिए जा रहे हैं। मजदूरों से आठ की जगह दिन में बारह घण्टे काम लिया जा रहा है। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के सभी कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखा जा रहा है। हॉयर एण्ड फॉयर की नीतियों को लागू किया जा रहा है। कानूनी तौर पर कोई प्रावधान न होने पर भी नियमित रोजगार संविदा श्रमिकों को दिए जा रहे हैं और रोजगार के लिए आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है। कामकाजी महिलाओं को हमले का विशेष निशाना बनाया जाता है; कामकाजी स्थलों में उनका शौन शोषण एवं उत्पीड़न किया जाता है; भले ही सरकारी प्रवक्ता उनके लिए जबानी जमा खर्च करें और उनके साथ कोरी सहानुभूति क्यों न करें पर उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती चली जा रही है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए लाया गया विधेयक श्रम कानूनों का मजाक उड़ाता है।

भारत सरकार की ये सभी नीतियां भाजपा की मदद करने वाली हैं ताकि वह लोगों में पनप रहे रोष एवं आक्रोश का लाभ उठा कर उनका ध्यान असल मुद्दों से हटा कर अपने साम्प्रदायिक एजेंडे की ओर खींच सके। इस सब में सबसे असुखद बात तो यह है कि यूपीए सरकार इस कटु वास्तविकता को समझ नहीं रही है या समझना ही नहीं चाहती। वह समझ नहीं रही है कि ये स्थितियां विश्व बैंक तथा आइएमएफ के निदेशों पर लागू की जाने वाली भूमण्डलीयकरण की नीतियों के कारण ही पैदा हुई है।

हमारे पास इस समय दो सप्ताह से अधिक समय है। इस समय का लाभ उठा कर हमें हड़ताल की जोरदार तैयारियों में जुट जाना चाहिए। आईए, हमारे प्रत्येक यूनियन, सीआइटीयू का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ मजदूरों में प्रचार करने के काम में जुट जाए ताकि 20 अगस्त 2008 की देशव्यापी हड़ताल के लिए मजदूरों, कर्मचारियों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों की अधिक से अधिक लामबंदी की जा सके।

देश में बन रही राजनीतिक स्थितियों की मांग है कि हम दोगुणा ताकत के साथ अपनी गतिविधियां चलाएं ताकि यूपीए सरकार की प्रतिगामी नीतियों के खिलाफ अधिक से अधिक मजदूरों को सीधी कार्रवाईयों में शामिल किया जा सके।

आईए, हम समय की मांग पर पूरा उतरें ताकि देश के सभी कोनों में तेज होने जा रहे वर्गीय संघर्षो के लिए खुद को और मजबूत कर सकें।

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियो,

अध्यक्षीय भाषण में अक्टूबर 2007 को दिल्ली में आयोजित कार्य समिति की बैठक के बाद की अवधि में घटीं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं की पूरे विस्तार से चर्चा की गई है। इस अवधि में साम्राज्यवादी ताकतों ने विकासशील देशों को आर्थिक एवं राजनीतिक गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के हथकण्डे अपनाना जारी रखा है। इसके साथ ही दुनिया भर में अपनी सरदारी थोंपे जाने के साम्राज्यवादी ताकतों की कोशिशों के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष बढ़ रहा है। विरोधों की इस श्रृंखला में सबसे ताजा विरोध की कार्रवाई ईंधन के मूल्यों में बढ़ोतरी के खिलाफ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल, आस्ट्रिया, बेलजियम, नीदरलैंड, इटली इत्यादि देशों अर्थात् पूरे युरोप में किए गए व्यापक रोष प्रदर्शन हैं। हजारों मजदूर तथ मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों ने आगे बढ़ कर इन जुझारू संघर्षो में भाग लिया है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि सरकार पेट्रोलियम एवं ईंधन के मूल्यों को नियंत्रित रखने के लिए मजबूती से कार्रवाई करे और इसके लिए सब्सिडियों में बढ़ोतरी करे, करों के ढांचे में सुधार लाए तथा विदेशी पेट्रो कारोबारी इजारेदारों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे।

1.1 इस मध्यवर्ती अवधि में घटीं घटनाओं से एक और बुनियादी पहलू उजागर हुआ है। अपनी आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक सरदारी के बढ़ते विरोध और अलग थलग पड़ने की प्रक्रिया तेज होते देख कर अमरीका हड़बड़ा–सा गया है और वह दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में लगा हुआ है। उसने अब अपना पूरा ध्यान एशिया और भारतीय उप महाद्वीप पर केन्द्रित कर रखा है। जहां फलस्तीन में वह पूरी हठधर्मी के साथ अपने हथकण्डों को जारी रख रहा है; क्यूबा के खिलाफ क्रूर एवं गैर कानूनी आर्थिक नाकाबंदी को जारी रखे हुए है; ईरान के खिलाफ हमलावरी रुख अपना रखा है वहीं अमरीका भारतीय उप महाद्वीप सहित पूर्वी गोलार्धा में स्थिति विकासशील देशों में सत्ताधारी दलों पर अपना शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और इसके लिए वह कोई कोर कसर शेष नहीं छोड़ रहा। सामरिक सैनिक सहयोग तथा भारत–अमरीका परमाणु समझौता उसके इसी मनसूबों की अभिव्यक्ति करते हैं। अमरीकी साम्राज्यवाद ने भारत सहित दूसरे सभी विकासशील देशों में अपने हथकण्डों के खिलाफ वाम एवं दूसरी प्रगतिशील ताकतों के विरोध को कमजोर करने की साजिशें और तेज कर दी हैं अथवा उनमें दोगुणा बढ़ोतरी कर दी है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय तथा दूसरे मुद्दों से सम्बन्ध रखने वाले आंतरिक मामलों में अमरीका का दखल आने वाले समय में और बढ़ने की सम्भावना है। जब हम राष्ट्रीय स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो साम्राज्यवादी हथकण्डों के नए आयामों को समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है ताकि हम अपने सामने मुंह बाएं खड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त रणनीति बनाने के उद्देश्य से एक सही समझ बना सकें।

2. राष्ट्रीय एवं राजनीतिक परिदृश्य

2.1 कार्य समिति की पिछली बैठक में चिंता के साथ उल्लेख किया गया था कि यूपीए सरकार की विदेश नीति में बदलाव आ रहा है और यह नीति दक्षिण पंथी रुझान वाली होती चली जा रही है। इसका हमारे देश की आंतरिक स्थिति पर भी गहरा दुष्प्रभाव पड़ेगा। इस मध्यवर्ती अवधि में हालत बद से बदतर हुए हैं। यूपीए सरकार वाम पक्षी दलों द्वारा विरोध किए जाने पर भी और अधिक ताकत के साथ भारत–अमरीका परमाणु समझौते को आगे बढ़ा रही है जो नवम्बर 2007 में आयोजित यूपीए–वाम बैठक में व्यक्त की गई प्रतिबद्धता का घोर उल्लंघन है। वाम पक्षी दलों ने हमारे देश की सम्प्रभुसत्ता को अमरीका की गुलाम बनाए जाने के लिए बेशर्मी से किए जा रहे प्रयासों का लगातार विरोध किया है; वर्गीय तथा जन संगठनों ने भारत–अमरीका परमाणु समझौते के खिलाफ जनता को लामबंद करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिसके परिणामस्वरूप इसका विरोध व्यापक स्तर पर होने लगा है

और अनेक गैर वाम पक्षी दल भी समझौते का विरोध करने लगे हैं। सीआइटीयू ने भारत–अमरीका परमाणु समझौते के खतरनाक आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक दुष्प्रभावों के खिलाफ मजदूर वर्ग और जनता में जागृति लाने के काम में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब यूपीए सरकार समझौते को लागू करने की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आइएईए के साथ बचाव समझौते (Safeguard Agreement) को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। वाम पक्षी दलों ने इसके कारण यूपीए सरकार को दिया अपना समर्थन वापस ले लिया है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में समाजवादी पार्टी की घोर अवसरवादिता का नंगा खेल भी देखने को मिल रहा है। यह वही पार्टी है जो पहले जोरदार आवाज में भारत–अमरीका परमाणु समझौते का विरोध करती रही है और संसद के मंच पर उसके द्वारा इस समझौते को राष्ट्र विरोधी करार दिया गया था। अब उसने अपना मुंह फेर लिया है और पूरी बेशर्मी के साथ यूपीए सरकार को अपना समर्थन दे रही है ताकि यूपीए सरकार बेखौफ होकर अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ यह समझौता कर सके। इस तरह अमरीकी सरदारी को आगे बढ़ाने की खेल में भारत को उसका कनिष्ठ सहयोगी बनाया जा सके। सरकार के लिए समर्थन जुटाने अथवा खदीदने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किए जाने पर भी इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सरकार के भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी। परमाणु समझौते के प्रश्न पर सत्ताधारी गठबंधन की ये गतिविधियां राजनीतिक परिदृश्य पर हावी हो रही थीं।

2.2 भारत-अमरीका परमाणु समझौता

2.2.1 इस संदर्भ में, भारत–अमरीका परमाणु समझौते के असल चेहरे को बेनकाब किए जाने की जरूरत है। सत्ताधारी श्रेणियां प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से वाम पक्षी एवं प्रगतिशील ताकतों के खिलाफ दुर्भावना से भरा फूहड़ प्रचार कर रही हैं। वह इसलिए क्योंकि वे इस समझौते का विरोध करती हैं और उनका इस तरह फूहड़ प्रचार करना स्वाभाविक ही है क्योंकि भारत का सत्ताधारी वर्ग अपने संकीर्ण भ्रामक लाभों के लिए अमरीकी साम्राज्यवाद का कनिष्ठ सहयोगी बनने के लिए हाथ पांव मार रहा है।

2.2.2 भारत–अमरीका परमाणु समझौता रेल गाड़ी की बोगी की तरह जो पलेट फार्म पर अकेली खड़ी रहती है, का समझौता नहीं है। यह एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जो पूरे उप महाद्वीप में भारत को अमरीका के हितों का पहरेदार बनाती है। सरकार ने अमरीका के साथ सैनिक सहयोग, संयुक्त अभ्यास करने तथा रक्षा उपकरणों की आपूर्ति एवं उत्पादन की परिसम्पत्तियों के बारे में दूसरे समझौते भी किए हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कृषि, उद्योग, अंदरूनी ढांचे जैसे मामलों में भी अनेक समझौते कर रखे हैं। भारत की विदेश नीति को अमरीका की दुमछल्ला बनाया जा रहा है क्योंकि हाईड एक्ट यही निदेश तो देता है और यही एक्ट भारत–अमरीका परमाणु समझौते की जड़ है। किन्तु इस समझौते को लागू किए जाने से कहीं पहले भारत सरकार की ओर से विदेश तथा दूसरे नीतिगत मामलों में अमरीकी हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कबायद शुरू हो गई है अथवा शुरू की जा रही है। इस दिशा में उठाया गया प्रमुख कदम 10 वर्षों के लिए किया गया रक्षा समझौता है–"भारत–अमरीका रक्षा सम्बन्धों के लिए नया ढांचा।" इस समझौते पर जून 2005 में वाशिंगटन में हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की ओर से किए गए समझौते "सामरिक भागीदारी में अगला कदम" का विस्तृत रूप है। "भारत–अमरीका रक्षा सम्बन्धों का विचार स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा कानून का शासन में एक समान विश्वास और मिले जुले रक्षा हितों को आगे बढ़ाने" की धारणा से उत्पन्न हुआ है। यह एक अमरीकी धारणा है जिसका तात्पर्य "कानून के शासन" की नीति को "सत्ता में बदलाव" के लिए हमलावरी तरीके से लागू करना है अर्थात् एक ऐसी सत्ता लाना जो अमरीका के रक्षा हितों के अनुकूल हो और इसी धारणा के चलते भारत में यूपीए गठबंधन की सत्ता हो अथवा एनडीए गठबंधन की इन दोनों को ईरान पर अमरीकी हमला मंजूर है, पर कोई भी देशभक्त भारतीय इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता।

2.2.3 इसलिए, भारत सरकार तथा अमरीका के बीच परमाणु सहयोग पर 123 समझौता उस व्यापक एवं दूरगामी गठबंधन का एक हिस्सा है जो यूपीए सरकार ने अमरीका के साथ किया है। इसे और अधिक व्यापक दृष्टि से देखें तो पता चल जाएगा कि यह समझौता केवल व्यापक समझौते अथवा सहमति का एक अभिन्न अंग ही नहीं है बल्कि

कुल मिला कर नव–उदारीकरण की राजनीतिक एवं आर्थिक नीति का मकड़जाल है जिसमें अमरीका भारत को जकड़ लेना चाहता है। यह मकड़ जाल खुद अमरीका का बनाया हुआ है। भारत के शासक उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी भूमिका निभाते चले जा रहे हैं। अमरीका के साथ इस तरह के सामरिक गठबंधन में शामिल होना निश्चित रूप से उस राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम (एनसीएमपी) का घोर उल्लंघन है जिसके लिए यूपीए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। भारत–अमरीका परमाणु समझौते के बारीकी से जांच करने पर पता चल जाएगा कि परमाणु ईंधन की आपूर्ति जिसके लिए समझौते में वादा किया गया है, के मामले में भारत को होने वाला तथाकथित लाभ पूरी तरह अमरीका सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। अमरीकी कांग्रेस की ओर से ही इस हाईड एक्ट को पारित किया जाएगा और इसे नियमित बनाया जाएगा। हाईड एक्ट की पृष्ठभूमि में, अमरीका किसी भी समय समझौते को खारिज कर सकता है और भारत को परमाणु ईंधन देने से इन्कार कर सकता है किन्तु भारत लगातार आइएईए के प्रावधानों से बंधा रहेगा और नाभिकीय ऊर्जा के मामले में अमरीकी हितों की रक्षा करने का दायित्व सम्भाले रखने के लिए वह बाध्य होगा और उस पर अंकुश बने रहेंगे। समग्र रूप में परमाणु समझौता अपने मौजूदा स्वरूप में और हाईड एक्ट के संदर्भ में न केवल नाभिकीय परियोजनाओं के मामले में अपितु अमरीकी सरदारी के कुत्सित इरादों के लिए भारत को बड़ी आसानी से अमरीकी ब्लैंकमेलिंग का शिकार बना सकता है। इस तरह के साम्राज्यवादी मकड़ जाल में फंस जाने का गहरा दुष्प्रभाव हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीति प्रभुसत्ता पर पड़ेगा। श्रमिक आंदोलन अपने जोखिम पर ही इसकी अनदेखी कर सकता है।

2.2.4 परमाणु सहयोग समझौते के लिए बड़ी पिच तैयार कर ली गई है और कहा जा रहा है कि इससे भारत को अपनी परमाणु जरूरतें पूरी करने में सहायता मिलेगी। नाभिकीय ऊर्जा कुल मिला कर हमारे नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में मात्र 3 प्रतिशत का योगदान देगी और वर्ष 2020 तक यह योगदान 7 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। इस तरह सरकार इसके सीमित योगदान की अनदेखी कर रही है। नाभिकीय ऊर्जा के अत्यंत अल्प सम्भावित लाभ के लिए भारत की विदेश नीति और सामरिक स्वायत्ता को अमरीकी साम्राज्यवाद के आगे गिरवी रख देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी और अमरीका भूमण्डलीय दादागिरी स्थापित करने के अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए समय–समय पर जो आदेश देगा भारत उसका पालन करने के लिए बंध सा जाएगा।

2.2.5 संसद में इस मुद्दे पर 2007 में बहस हुई थी। उस बहस में से यह तथ्य उभर कर सामने आया था कि बहुसंख्या इस समझौते के खिलाफ है। यूपीए–वाम समन्वय समिति की नवम्बर 2007 में हुई बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि भारत सरकार उस समय तक इस समझौते को लागू करने की दिशा में काम नहीं करेगी जब तक अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आइएईए) में चल रही वार्ता का परिणाम सामने नहीं आ जाता और उसे समिति के सामने रखा नहीं जाता। किन्तु एक ड्राट के रूप में आइएईए की वार्ताओं का जो परिणाम निकला उसे वाम पक्षी दलों के बार–बार आग्रह किए जाने पर भी समिति के सामने पेश नहीं किया गया। इस पर भी सरकार ने आइएईए के माध्यम से इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। उसने वाम पक्षी दलों को आइएईए की वार्ताओं के परिणाम और सम्बन्धित ड्राट के मुद्दे पर पूरी तरह अंधेरे में रखा। असल बात तो यह है कि उस पर अमरीकी सिनेटरों और कार्पोरेट लाबी की ओर से जबरदस्त दबाव डाला गया कि वह आइएईए बोर्ड के माध्यम से इस समझौते को स्वीकृति दे क्योंकि यह समय उसे अमरीकी कांग्रेस में पेश करने और आगामी अमरीकी चुनावों में राष्ट्रपति बुश के हाथ मजबूत करने के मामले में अनुकूल है। पूरे देशवासियों ने देखा कि इस महान देश का प्रधान मंत्री किस तरह भयभीत हो कर राष्ट्रपति बुश के साथ किए गए अपने वादे को पूरा करने के लिए इस दबाव के आगे नत मस्तक हो गया और उसकी सरकार ने संसद में बहुमत द्वारा व्यक्त की गई राय की भी अनदेखी कर दी है और उसे अपने उस वादे का स्मरण भी नहीं रहा जो उसने यूपीए–वाम समन्वय समिति में किया था; प्रधान मंत्री अपनी ही सरकार को अस्थिर करने की सीमा तक चले गए और उन्होंने एक तरफा तौर पर जार्ज बुश से मिलने से पहले ही जी–8 बैठक में इस नाभिकीय समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। उन्होंने इस मामले में जो अनुचित उतावलापन दिखाया है और अमरीका के साथ इस बदनाम परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने के लिए जो चिंता भावना दिखाई है वह हमारे राष्ट्रीय हितों, प्रभुसत्ता और आत्म निर्भरता की जड़ों पर जोरदार प्रहार करती है; उनकी यह चिंता भावना देश के लोगों को ही दाव पर लगा देने वाली है जो पहले ही कमरतोड़ महंगाई के

बोझ तले कराह रहे हैं। यह पूरे देश के लिए शर्म की बात है जिसके वह प्रधान मंत्री हैं।

2.2.6 श्रमिक आंदोलन देश की स्वतंत्र विदेश नीति और प्रभुसत्ता को अमरीकी साम्राज्यवाद के हितों की गुलाम बनाने के यूपीए सरकार के हथकण्डों को मूक दर्शक बन कर देख नहीं सकता। वह चुप होकर नहीं बैठ सकता। साम्राज्यवादी ताकतें जिस हड़बड़ी और उतावली के साथ विकासशील देशों को अपने हुकुम के गुलाम बना लेना चाहते हैं, उस संदर्भ में परमाणु समझौते के असल चेहरे को बेनकाब करने के लिए श्रमिक आंदोलन को अपना अभियान तेज करना होगा; उसे यूपीए सरकार की इस तरह की राष्ट्र विरोध कार्रवाई का पूरी ताकत के साथ और संगठित रूप में विरोध करना होगा और श्रमिक वर्ग के बीच जाकर उसे इसकी वास्तविकता उजागर करनी होगी। वामपक्षी तथा देश में दूसरी देश भक्त ताकतों के विरोध करने पर भी यूपीए सरकार द्वारा परमाणु समझौते को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने के कारण उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरता जो बढ़ती चली जा रही है, की पश्ठभूमि में हमारे लिए यह सबसे बड़ा निर्णायक काम बन गया है।

2.3 वाम दलों के समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद की घटनाएं

वाम पक्षी दलों द्वारा यूपीए सरकार का समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद के बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के कारण आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मोर्चो पर विभिन्न प्रतिगामी कार्रवाईयों के लिए रास्ता साफ हो सकता है क्योंकि वाम पक्षी दल इन पर ब्रेक लगाने का काम करते थे; इस तरह की प्रतिगामी कार्रवाईयों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में विनिवेश, श्रम कानूनों में सेवायोजकों के पक्ष में बदलाव लाने, हॉयर एण्ड फॉयर की नीति लागू करने तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर अंकुश लगाने, पीएफआरडीए विधेयक, विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों का नैगमकरण किए जाने, बैंकिंग, बीमा तथा टेलीकाम सेक्टरों के नियमों–कानूनों में सार्वजनिक क्षेत्र विरोधी बदलाव लाए जाने, विदेशी और नैगमिक खिलाड़ियों को अपना बर्चस्व स्थापित करने और खुल खेलने की अनुमति देने, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अथवा एफडीआइ के खुदरा व्यापार के क्षेत्र में बेरोकटोक प्रवेश की अनुमति दिए जाने तथा इसका नैगमकरण करने इत्यादि नव–उदारीकरण की आर्थिक सूची की अनेक कार्रवाईयों को अब तक वाम पक्षी दल रोकते रहे हैं और यह सब सक्रिय श्रमिक आंदोलन की पश्ठभूमि में हो सका। सत्ताधारी श्रेणी एक बार फिर नयी ऊर्जा के साथ इस तरह की प्रतिगामी कार्रवाईयां कर सकती है। वाम पक्षी दलों द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के कारण पिछले चार वर्षो में आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक तथा जनता से जुड़े दूसरे मुद्दों पर जो भी जन पक्षीय कदम सरकार ने उठाए थे उन सबको बनाए रखने के लिए पूरी ताकत से लड़ना होगा और इन जन पक्षीय कार्रवाईयों को अलाभकारी बनाए जाने की कोशिशों का डट कर मुकाबला करना होगा। उद्योग एवं कामर्स के अनेक चैम्बर, सेवायोजकों के संगठन तथा प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के दैव सरकार की जन पक्षीय कार्रवाईयों के खिलाफ तरह तरह की टिप्पणियां करते रहे हैं और सरकार को सलाह देते रहे हैं कि वह अपने तथाकथित "आर्थिक सुधारों की अपूर्ण कार्यसूची" को पूरा करने के काम में तेजी लाए। वाम पक्ष के समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद विभिन्न प्रेस/मीडिया समाचारों में इस तरह के संकेत मिल रहे हैं जो यही संकेत देते हैं कि सुधारों की यह गाड़ी विनाशकारी दिशा की ओर चलने वाली है। देश के श्रमिक आंदोलन को इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा; उसे देशव्यापी संयुक्त संघर्ष चला कर पूरी दृढ़ता के साथ इस तरह की प्रतिगामी सम्भावनाओं का मुकाबला करना होगा। ये संघर्ष राष्ट्रीय तथा सेक्टर दोनों स्तरों पर करने होंगे।

2.4 भाजपा की संदिग्ध भूमिका

2.4.1 इस संदर्भ में, भाजपा की संदिग्ध भूमिका को पूरी गम्भीरता के साथ लेना होगा। वे समझौते का विरोध करने की खेल खेलते जा रहे हैं पर यह खेल एकतरफा है और उनके धिनावने मंसूबों का एक हिस्सा है। क्योंकि एक ओर तो वे खुले तौर पर कहते चले जा रहे हैं कि वे अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन करने के पक्ष में हैं जबकि दूसरी ओर वे परमाणु परीक्षणों के मुद्दे को लेकर समझौते पर अमरीका के साथ फिर से बात करने की मांग कर

रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यदि वे दोबारा सत्ता में आए तो इस प्रश्न पर अमरीका के साथ फिर से बातचीत करेंगे। जहां तक अमरीकी साम्राज्यवादियों के मंसूबों में शामिल होने, अमरीका के साथ सामरिक गठबंधन के माध्यम से भारत को उसका कनिष्ठ सहयोगी बनाने, पूरे भूमण्डल पर अमरीका की दादागिरी स्थापित करने, भारत के हितों की बली देकर उसके हितों को आगे बढ़ाने और भारत को उसकी गुलामी की ओर धकेलने का प्रश्न है भाजपा भी वहीं खड़ी है जहां आज वर्तमान प्रधान मंत्री और उनकी पार्टी खड़ी है।

2.4.2 यही नहीं एक प्रमुख विपक्षी दल के रूप में भाजपा तथा एनडीए में उसके सहयोगी दल समय समय पर महंगाई के खिलाफ शोर मचाने के अलावा यूपीए सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीति की कार्रवाईयों का विरोध करने में नाकाम रहे हैं। वास्तव में वित्तीय क्षेत्र के उदारीकरण, हवाई अड्डों के निजीकरण, भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण के स्वामित्व वाले हैदराबाद एवं बंगलौर के हवाई अड्डों को बंद किए जाने इत्यादि लगभग सभी जन विरोधी नीति के मुद्दों पर भाजपा ने व्यावहारिक तौर पर यूपीए सरकार का पक्ष लिया है। यहां उल्लेख किया जाता है कि ये अधिकांश नीतियां एनडीए के शासन काल में ही शुरू की गई थीं। भाजपा के वर्गीय चरित्र को देखते हुए इसे स्वाभाविक कहा जा सकता है क्योंकि इस मामले में वह कांग्रेस से अलग दल नहीं है। केवल वाम पक्षी दलों ने ही संसद के भीतर तथा बाहर दोनों जगह सरकार की जन विरोधी कार्रवाईयों का विरोध किया था और उन्होंने इन कार्रवाईयों के खिलाफ चले आंदोलनों का समर्थन किया था।

2.4.3 इसके साथ ही भाजपा महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी के कारण लोगों में यूपीए सरकार के खिलाफ पनप रहे रोष एवं आक्रोश का लाभ उठाना चाहती है जबकि इनका मूल कारण वहीं जन विरोधी आर्थिक नीतियां हैं जो भाजपा के नेतश्त्व वाले एनडीए के शासन काल में अपनाई गई थीं। वह कई बहाने बना कर अपने गुप्त साम्प्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है; इसे छुपाने के लिए कभी वह आतंकवाद की बातें करती है तो कभी राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि का रोना रोती है। क्योंकि हम अच्छी तरह और प्रभावशाली ढंग से भाजपा की इस संदिग्ध खेल के बारे में लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं और यह हमारी कमजोरी है इसलिए वह यूपीए सरकार के प्रति लोगों में उपजे आक्रोश का लाभ सफलतापूर्वक उठा रही है। अनेक राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों में भाजपा कांग्रेस को पराजित करने और सत्ता में आने में सफल रही है। दक्षिण भारत के एक राज्य कर्नाटक में वह पहली बार सत्ता में आई है। इन चुनाव परिणामों से उत्साहित होकर भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में अपनी सरकारों को बनाए रखने और दिल्ली जहां इसी साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं, में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होने के सपने देखने लगी है। उसे आशा है कि वर्ष 2009 के आम चुनावों के बाद वह केन्द्र में भी सत्ता में आ जाएगी।

2.4.4 यह स्थिति जनवादी आंदोलन और विशेष तौर पर श्रमिक आंदोलन के लिए अशुभ संकेत देने वाली है। हमें साम्प्रदायिक ताकतों के खतरनाक एजेंडे और हालत बद से बदतर बनाने की कार्रवाईयों के खिलाफ के खिलाफ श्रमिक वर्ग को जागरूक बनाना होगा। आतंकवादी और दूसरी विभाजनकारी ताकतों की प्रत्येक कार्रवाई के जवाब में लोगों में दरार डालने की साम्प्रदायिक ताकतों की कार्रवाईयों से भी लोगों को सजग बनाना होगा। महाराष्ट्र, हुबली और जयपुर में बम धमाके होने के बाद भाजपा ने पोटा को फिर से लागू करने की मांग करने में एक मिनट की भी देर नहीं की। राजस्थान में भाजपा की सरकार ने तथाकथित बंगला देशियों की संख्या बढ़ जाने के नाम पर मुसलिम फिरके के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। क्योंकि देश इस समय आम चुनावों की ओर बढ़ रहा है इसलिए भाजपा निश्चित रूप से आने वाले समय में साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम करेगी। हमें उसकी इस संदिग्ध खेल को बेनकाब करना होगा और मजदूर वर्ग एवं जन साधारण की एकता की रक्षा करने के लिए अपना पूरा जोर लगा देना होगा।

2.5 संकीर्ण प्रादेशिक झगड़े

2.5.1 इस मध्यवर्ती अवधि का एक और विचलित कर देने वाला पहलू संकीर्ण प्रादेशिक झगड़ों अथवा टकरावों का

है। ये टकराव विभिन्न मार्के की विभाजनकारी ताकतों ने देश के विभिन्न भागों में पैदा किए हैं। असम में हिन्दी भाषी प्रवासी मजदूरों पर हमले, महाराष्ट्र में शिव सेना से अलग हुए गुट के नेतृत्व में उत्तर भारतीयों पर हमले करना, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड का आंदोलन इत्यादि इस रुझान की कुछेक उदाहरणें हैं। ये ताकतें चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ चुकी बेरोजगारी और बढ़ती चली जा रही गरीबी का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही हैं। महाराष्ट्र तथा राजस्थान में बंगाली भाषी मजदूरों को बंगला देशियों की घुसपैठ रोकने अथवा आतंकवाद का मुकाबला करने के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन पर हमले करने वाले लोगों को राजस्थान सरकार सीधे तौर पर संरक्षण दे रही है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस तथा एनसीपी की सरकार भी विभाजनकारी ताकतों की गतिविधियों पर अवसरवादी रुख अपना रही है। मजदूर वर्ग के आंदोलन को इस खतरे को समझना होगा; इससे चौकस रहना होगा; यह सब मजदूर वर्ग की एकता और राष्ट्रीय अखण्डता को खतरे में डालने के लिए किया जा रहा है। मजदूर वर्ग को प्रभावशाली ढंग से इसका मुकाबला करना होगा।

2.5.2 भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान विधान सभा के पिछले चुनावों से पहले गुर्जरों को आरक्षण देने का आश्वासन दिया था। उसने अपना आश्वासन पूरा नहीं किया तो वहां गुर्जरों का आंदोलन शुरू हो गया जो राजस्थान के साथ–साथ पड़ोसी राज्यों में भी फैल गया था। भाजपा के पक्ष में गैर गुर्जर जनता के ध्रुवीकरण को यकीनी बनाने की कोशिशों में वसुंधरा राजे सिंधियां की सरकार ने पूरी बर्बरता के साथ इस आंदोलन को कुचलना चाहा और जब तक सरकार और गुर्जरों के बीच कोई समझौता होता तब तक चालीस लोग इस आंदोलन में अपने प्राण गंवा बैठे थे। याद रहे, पिछले साढ़े चार साल के शासन काल में भाजपा सरकार ने जन आंदोलनों के समय की गई बर्बर फायरिंग में 80 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं।

2.5.3 पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड आंदोलन का फिर से सिर उठाना और एक अलग राज्य की मांग करना इस तरह की विभाजनकारी और संकीर्ण प्रादेशिक राजनीति को प्रतिबिम्बित करता है। इसका उद्देश्य उस क्षेत्र में विशेष तौर पर चाय बगीचों, पर्यटन तथा दूसरी व्यापारिक स्थानों में मजदूर वर्ग की एकता का भंग करना है और वाम मोर्चे द्वारा शासित इस प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना है। यही इसका घृणित उद्देश्य है। कुछ बुर्जुआ दल सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप में इस आंदोलन की सहायता कर रहे हैं जिससे उनकी अवसरवादिता उजागर होती है। सीआइटीयू को आगे बढ़ कर इन विभाजनकारी ताकतों के साथ लड़ना होगा और मजदूर वर्ग तथा जन साधारण की एकता की रक्षा करनी होगी।

2.6 वाम पक्षी ताकतों के खिलाफ हमला

2.6.1 इसके साथ ही रेखांकित किया जाना होगा कि इन दिनों देश में प्रतिगामी ताकतों द्वारा वाम पक्षी ताकतों पर धावा बोला जा रहा है। इन ताकतों के युद्ध नाद की ध्वनि तथा उसके स्वर लगभग एक समान हैं और बुर्जुआ मीडिया भी पूरी लगन के साथ उनके ताल से ताल मिलाता चला जा रहा है। यह सिलसिला लम्बे समय से चल रहा है। हमने अक्टूबर 2007 में आयोजित अपनी कार्य समिति की बैठक के समय इसे रेखांकित किया था और इसका विश्लेषण भी किया था। श्रमिक आंदोलन वाम पक्षी दलों तथा वाम पक्षी ताकतों की जीवन रेखा है और वह इसका लगातार सामना कर रहा है। श्रमिक आंदोलन ने सरकार की जन विरोधी नव–उदारीकरण की नीतियों का लगातार विरोध किया है और जहां कहीं सम्भ्रव हो सका उस पर अमल करने के सरकार के प्रयासों को रोका गया है। क्योंकि यूपीए सरकार अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए वाम पक्षी दलों के समर्थन पर निर्भर करती थी इसलिए इस पूरी अवधि में श्रमिक आंदोलन की भूमिका और मुखर रूप में उभर कर सामने आई है। दूसरे वामपक्षी दलों ने सीधे और स्पष्ट तौर पर भारत–अमरीका परमाणु समझौते; अपने हित में भारत का सक्रिय सहयोग हासिल करने की साम्राज्यवादी ताकतों की खेल; समग्र रूप में एशिया महाद्वीप में अपनी राजनीतिक एवं सैनिक सरदारी को मजबूत करने की अमरीकी साम्राज्यवादियों की कोशिशों का विरोध किया है इसलिए साम्राज्यवादी ताकतें तथा भारत में उनके गुर्गे वाम पक्षी दलों से बेहद खफा हैं। इस स्थिति में यदि वाम पंथ विरोधी सारी ताकतें एकजुट होकर उसके खिलाफ अपने बाजू लहरा रही हैं और मिथ्या निंदा अभियान चला रही हैं तो इसमें हैरान होने की

कोई बात नहीं, यह स्वाभाविक ही है। जहां वाम पंथ पर इस तरह का जोरदार हमला हो रहा हो वहां साम्राज्यवादी ताकतें हाथ पर हाथ धर कर बैठी रहेंगी यह हो ही नहीं सकता। वाम पंथी दलों द्वारा यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिए जाने के बाद तो यह हमला और तेज हो गया है; वाम पंथी ताकतों के विरुद्ध कहीं अधिक व्यापक गिरोहबंदी देखने को मिल रही है। श्रमिक आंदोलन को बुर्जुआ मीडिया तथा सत्ताधारी श्रेणियों के दुर्भावना से ग्रसित इस मिथ्या प्रचार अभियान का मुंह तोड़ जवाब देना होगा; ताकतों का यह समीकरण देश को दक्षिण पंथी दिशा की ओर ले जाने के लिए हो रहा है।

2.6.2 वाम मोर्चे तथा वाम मोर्चे के नेतृत्व वाली सरकारों के खिलाफ चल रहे आक्रमक अभियान के असल अभिप्राय का विश्लेषण किया जाना चाहिए और इसी संदर्भ में इसे समझा जाना चाहिए। वर्तमान में तथाकथित वाम पंथी नारे लगा कर प्रमुख रूप से वाम पंथी सरकारों पर हाल ही में जो हमले किए गए उनका मुकाबला करते समय उनकी पोल खोलना भी जरूरी है। हमें यह रेखांकित करना होगा कि वाम पंथी ताकतों पर उसके दक्षिण पंथी तथा ''चरमपंथी'' विरोधियों द्वारा अपने ऊपर वाम पक्ष का बिल्ला चिपका कर जो हमले किए जा रहे हैं उनके चलते लोगों में कुछ भ्रांतियां पैदा होती हैं और आम लोगों के बीच कुछ सीमा तक गलत धारणा बन जाती है। पश्चिम बंगाल के पिछले पंचायत चुनावों में यह तथ्य प्रतिबिम्बित हुआ है। इस तरह की गलत धारणाओं को धैर्य के साथ दूर करने की जरूरत है और लोगों के बीच सघन सम्पर्क स्थापित करके इसे समझाने की जरूरत है। इसके लिए अभियान भी चलाए जाने चाहिएं। हमें राजनीतिक एवं विचारधारा की दृष्टि से अपनी समझ को पुख्ता करके लोगों के बीच जाना होगा और धैर्य के साथ साधारण जनता को अपनी बात समझानी होगी और उनमें पाई जाने वाली भ्रांतियों तथा संदेहों का निवारण करना होगा।

3. आर्थिक परिदृश्य

3.1.1 वर्ष 2008–09 के केन्द्रीय बजट में भले ही संसद के आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए जनता को कुछ राहत दी गई है किन्तु कुल मिला कर यह बजट सरकार की इसी मंशा को प्रतिबिम्बित करता है कि वह किसी भी हालत में भूमण्डलीयकरण की अपनी नीतियों पर चलना चाहती है। वर्तमान में जारी कुछ योजनाओं के लिए आबंटित धन में मामूली बढ़ोतरी की गई है पर महंगाई के लगातार बढ़ते चले जाने के कारण मुद्रा स्फीति (अथवा महंगाई) का दुष्प्रभाव इससे कम नहीं होता। जहां समेकित बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) के लिए आबंटित राशि में केवल 1,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है और जो इस सेवा का सार्वभौमिकीकरण करने की यूपीए की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दृष्टि से बहुत ही कम है वहीं रुपए की बढ़ती कीमत को देखते हुए निर्यातकों को राहत देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धन रखा गया है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से चलाए जा रहे आंदोलन के कारण उनके मानदेय में बढ़ोतरी की गई है पर यह बजट उन्हें न्यूनतम वेतन देने की गारंटी नहीं देता। निजीकरण पर बुनियादी जोर और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को शेयर बाजार की ओर धकेल कर संसाधन जुटाना इस सरकार का निदेशक सिद्धान्त है। इस बजट में भी इसी सिद्धान्त के अनुसार काम किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बहुत कम धन का आबंटन किया गया है; इतने कम धन से उसकी थोड़ी–सी जरूरत भी पूरी नहीं की जा सकती। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आबंटित धन में 7,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी इस प्रणाली का और विस्तार करने के लिए नहीं की गई बल्कि अनाज के आयात पर आने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए की गई है।

3.1.2 कृषि के लिए आबंटित धन पूरी तरह अपर्याप्त है। जरूरत इस बात की थी कि सिंचाई के लिए सरकारी भारी धन का निवेश करती किन्तु आबंटित धन बहुत कम है। किसानों के लिए ऋण माफी योजना केवल बैंकों और वित्तीय संस्थानों तक सीमित है जबकि कुल ऋण का दो तिहाई हिस्सा निजी सूदखोरों से लिए गए ऋणों का है। इससे यह भी पता चल जाता है कि वित्तीय संस्थानों से ऋण हासिल करना गरीब किसानों की पहुंच से बाहर की बात है। बजट में स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार काम नहीं किया गया जिसने किसानों

के लिए ऋण सुविधाओं में भारी बढ़ोतरी करने की सिफारिश की थी और इसके साथ ही ब्याज दर 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रखने को कहा था।

3.2 रुपए की कीमत बढ़ना और उससे सम्बन्धित मुद्दे

3.2.1 पूरे मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा सेक्टरों में निर्यातों को आक्रमक ढंग से बढ़ावा दिया जाना नव–उदारीकरण की नीतियों की सत्ता का एक अभिन्न अंग है। रुपए की कीमत में तथाकथित बढ़ोतरी हो जाने के कारण अब निर्यात क्षेत्र गम्भीर समस्याओं का सामना कर रहा है। इन समस्याओं को जड़ से मिटाने की बजाए हमारे नीति निर्धारक इसके दुष्प्रभावों से निपटने के लिए जिस दृष्टिकोण से काम ले रहे हैं वह पूर्वाग्रह से ग्रसित है। अमरीकी डालर का मूल्य न केवल रुपए बल्कि विश्व की प्रमुख मुद्राओं की तुलना में तेजी से गिर रहा है। सब प्राइम लैंडिंग संकट के चलते अमरीका में वित्तीय संकट पैदा हो चुका है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से अमरीकी अर्थव्यवस्था मंदे की मार झेल रही है। आइएमएफ की सूचना के अनुसार विश्व की विदेशी मुद्रा के आरक्षित भण्डार में अमरीका का हिस्सा मार्च 1999 में 71.1 प्रतिशत था और सितम्बर 2007 में यह गिर कर 63.8 प्रतिशत रह गया है। देश में मंदे की स्थिति से निपटने के लिए अमरीका मे ब्याज दरों में तीखी कटौतियां किए जाने के चलते डालर और कमजोर हो गया है। अमरीकी डालर के मूल्य में चल रही गिरावट को रोक पाना हमारे नीति निर्धारकों के बस की बात नहीं है। वाम पक्षी दलों ने इसके लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ सुझाव दिए थे पर वह उनकी किसी भी सलाह को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वाम पक्षी दलों का कहना था कि पोर्ट फोलियो निवेशों के रूप में, एफआइआइज़ तथा सट्टेबाजार के दूसरे रास्तों से भारतीय अर्थव्यवस्था में तरल धन के भारी प्रवाह पर अंकुश लगाने अथवा इसे नियमित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने दीर्घावधि के पूंजीगत लाभों पर कर लगाने, अल्पावधि के पूंजीगत लाभों पर कर की दरों को बढ़ाने, पार्टीसिपेटरी नोट के माध्यम से होने वाले निवेशों पर प्रतिबंध लगाने और मार्शियस इत्यादि देशों के साथ दोहरे काराधान से बचने के समझौते (डीटीएए) जो भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक निवेश अथवा रोजगार सृजन की दृष्टि से कोई योगदान नहीं देता, की समीक्षा करने का सुझाव भी दिया था।

3.2.2 इसका बुनियादी नुकता भारत की अर्थव्यवस्था में अनुत्पादक सट्टाबाजार की वित्तीय पूंजी के प्रवाह को रोकना एवं उस पर अंकुश लगाना था ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्पादक एवं रोजगार का सृजन करने वाली गतिविधियों का रक्षा की जा सके और सट्टाबाजार की ताकतों द्वारा लाए जाने वाले उतार–चढ़ाव और अस्थिरता से बचाया जा सके। यदि रुपए का मूल्य कम होने लग जाता है तो भी जैसा कि हाल ही के रुझानों से देखने को मिला है और इस तरह के अधोगामी रुझान जारी रहते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए सरकार को कड़ाई से काम लेते हुए सट्टाबाजार के धन के प्रवाह को नियमित करने के साथ–साथ उस पर अंकुश लगाना चाहिए।

3.2.3 दुर्भाग्यवश, सरकार में इस तरह के कदम उठाने की इच्छा नहीं पाई जा रही क्योंकि वह अमरीकी साम्राज्यवाद और बहुराष्ट्रीय निगमों को नाराज करना नहीं चाहती है। सट्टाबाजार के धन के मुक्त प्रवाह पर अंकुश लगाने की बजाए सरकार अपने राजकोष से औद्योगिक घरानों और व्यापारियों को भारी भरकम रियायतें देती चली जा रही है और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए उसने कई तरह के रिलीफ पैकेज शुरू कर दिए हैं। इस तरह एक वर्ष के भीतर उसने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की राहत इन बड़े घरानों एवं निगमों को पहुंचाई है। किन्तु समस्या हल फिर भी नहीं हुई और पिछले एक साल या इससे कम अवधि में अकेले कपड़ा उद्योग में चालीस लाख से अधिक मजदूर पहले ही अपना रोजगार खो चुके हैं। आइटी सेक्टर ने भी अर्थव्यवस्था पर अपना खराब असर डालना शुरू कर दिया है।

3.3 मूल्य वृद्धि

3.3.1 अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी होती चली जा रही है और मुद्रास्फीति की दर बढ़ कर 11.05 प्रतिशत तक पहुंच गई है जो पिछले 13 वर्षों में सबसे अधिक है; यह इस समस्या को एक और चौंका

देने वाला पहलू है। सरकार ने बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति का सबूत नहीं दिया है और न ही उसने जन साधारण को इससे राहत दिलाने के लिए कोई कदम उठाया है। उसने धन की आपूर्ति को नियमित करने और कुछेक वस्तुओं के निर्यात पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुछेक मौद्रिक एवं वित्तीय कदम उठाए हैं और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लाने के लिए कदम उठाने का दावा किया है पर अभी तक इनका परिणाम वही ढाक के तीन पात वाला रहा है। जब वित्तीय एवं उपभोक्ता वस्तुओं के बाजारों पर सट्टाबाजार की ताकतों का बर्चस्व स्थापित हो चुका हो तो इस तरह के अप्रत्यक्ष कदम धरे के धरे रह जाते हैं; यह स्वाभाविक ही है। सट्टाबाजार की ताकतें उपभोक्ता बाजार में कहर बरपा रही हैं पर सरकार उन पर कोई अंकुश लगाना नहीं चाहती। सरकार की इसी अकर्मण्यता के चलते एफसीआइ द्वारा की जा रही अनाजों की खरीद में गिरावट आई है जबकि इस क्षेत्र के निजी खिलाड़ियों जिनमें विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी शामिल हैं, के पास अनाज के विशाल गोदाम हैं। सरकार ने कुछ महीने पहले ही चावल तथा गेहूं के वादा व्यापार पर प्रतिबंध लगाया था और हाल ही में उसने और छःह वस्तुओं को भी इस प्रतिबंध में शामिल कर लिया है। वाम पक्षी दलों ने 25 कृषि उत्पादों के वादा एवं अग्रिम व्यापार पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी पर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी।

3.3.2 सरकार खाद्य पदार्थों के बढ़ते मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और यही कहती चली जा रही है कि विश्व भर में महंगाई बढ़ रही है और यह तो भूमण्डलीय संवृत्ति (अथवा phenomenon) है। विश्व स्तर पर जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, यह सत्य है किन्तु यह सब नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों का नतीजा है जहां कारोबारी एवं कार्पोरेट मुनाफे को जन साधारण की खाद्य सुरक्षा पर तरजीह दी जाती है। खाद्यान्नों के संकट ने विश्व भर में चौंका देने वाली स्थिति पैदा कर दी है। विश्व में खाद्यान्नों के उत्पादन की बजाए वाणिज्यक फसलों की काश्त होने लगी है; इस संकट के प्रधान कारणों में से एक कारण यह भी है। भारत में 80 लाख हैक्टेयर भूमि पर पहले खाद्यान्नों का उत्पादन होता था, अब उनकी जगह वाणिज्यिक फसलों ने ले ली है और इनका निर्यात किया जाता है। एक और महत्त्वपूर्ण कारण भी है; जैव ईंधनों के उत्पादन के लिए व्यापक स्तर पर और अधिकतर पश्चिम युरोप के उन्नत पूंजीवादी देशों में तेल बीजों और धान्यों इत्यादि का उपयोग किया जाता है। ऑक्सफैम द्वारा लगाए गए एक अनुमान के अनुसार जैव ईंधन खाद्यान्नों की भूमण्डलीय महंगाई के लिए 30 प्रतिशत जिम्मेदार हैं; इसके चलते विश्व भर में तीन करोड़ लोग घोर दरिद्रता की हालत में पहुंच गए हैं; आधे से अधिक जैव ईंधन का उत्पादन अकेले अमरीका में होता है। तेल बीजों और धान्यों की फसलों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए होने के कारण खाद्यान्नों का यह अभाव पैदा हुआ है। यह स्थिति कृषि व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय बहुराष्ट्रीय व्यापारियों के लिए बेहद लाभकारी है और वे लाखों–करोड़ों भूखे पेट रहने वाले लोगों की कीमत पर पैसे पर पैसा बनाते चले जा रहे हैं।

3.3.3 उदाहरण के लिए अमरीका की अरबपति दैव कम्चनी कारगिल ने भारतीय खाद्य निगम को किनारे करके वर्ष 2007 में हमारे अनज बाजारों पर धावा बोल दिया था। उसने अपने पिछले साल की तुलना में 2.34 बिलियन डालर का मुनाफा कमाया और इस तरह उसने अपने मुनाफे में 52 प्रतिशत की बढ़ोतरी की। वर्ष 2008 की पहली तिमाही में उसके मुनाफे ने एक और लम्बी छलांग लगाई जब उसमें 86 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी प्रकार कृषि उत्पादों की एक और व्यापारी कम्पनी आर्कर डेनियल मिडलैंड्स (अमरीका) ने अपने मुनाफे में 65 प्रतिशत, नोबले ग्रुप (हांग कांग) ने 95 प्रतिशत और बंगे लिमिटेड (ईयू) ने 50 प्रतिशत तक बढ़ोतरी दर्ज कराई है। बीजों का व्यापार करने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अपने मुनाफे में भारी भरकम बढ़ोतरी की है। अमरीका स्थित मोंसेन्टो वर्ष 2003 में घाटे में चल रही थी। उसने भी वर्ष 2007 में एक बिलियन अमरीकी डालर का मुनाफा कमाया है। उर्वरकों के क्षेत्र में दैव कम्पनी पोटाश कार्पोरेशन ऑफ कैनेडा और नार्वे की यारा प्रत्येक ने एक–एक अरब अमरीकी डालर का मुनाफा कमाया है जबकि अमरीका की अरिगम और इस्त्राइल की आइसीएल प्रत्येक ने आधा बिलियन अमरीकी डालर से अधिक मुनाफा कमाया है।

3.3.4 जहां अनाजों की मानव निर्मित कमी ने अनाज और उर्वरक (खाद) व्यापारियों का भाग्य चमका दिया है वहीं उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में सट्टेबाजारियों के मुनाफे बेतहाशा बढ़ गए हैं और ये चौंका देने वाले हैं। यह सब

विश्व स्तर पर हुआ है। उपलब्ध अनुमानों के अनुसार वर्ष 2000 में उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में सट्टाबाजारियों का निवेश 5 बिलियन अमरीकी डालर था और वर्ष 2007 में यह निवेश बढ़ कर 175 बिलियन डालर तक जा पहुंचा। विश्व में उपभोक्ता वस्तुओं के सबसे बड़े व्यापारिक केन्द्र शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की रिपोर्ट दर्शाती है कि जनवरी – अप्रैल 2008 के बीच दिन के व्यापार का आनुपातिक राष्ट्रीय मूल्य गेहूं के लिए 2.8 बिलियन अमरीकी डालर, मक्का के लिए 8.9 बिलियन अमरीकी डालर और सोयाबीन के लिए 11.2 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भूमण्डलीय स्तर पर उपभोक्ता वस्तुओं का कुल व्यापार 513 ट्रिलियन अमरीकी डालर रहा जो भूमण्डलीय जीडीपी से 10 गुणा अधिक और सट्टाबाजार में कुल व्यापार की अपेक्षा पांच गुणा अधिक था। उपभोक्ता बाजार में चल रही जुएबाजी के ये कुछेक चौंका देने वाले रहस्योद्घाटन हैं जब बुनियादी अनाजों के मूल्यों में वर्ष 2007 – 08 के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई और लाखों–करोड़ो गरीब लोग भूख के मारे तड़प कर मरने को मजबूर हुए। इससे पता चलता है कि भूमण्डलीयकरण के अन्तर्गत अनाज व्यापार का कितना अमानवीयकरण हुआ है।

3.3.5 किन्तु इसका मतलब यह कदापि नहीं कि अनाज के मूल्यों को बढ़ने से रोकना सम्भव नहीं है और न ही आम जनता को बढ़ती महंगाई की मार से बचाया जा सकता है। मूल्यों में तीखी बढ़ोतरी की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। बाजार की ताकतों को प्रभावित करने के लिए अप्रत्यक्ष मौद्रिक एवं वित्तीय कदम उठाने से मुद्रास्फीति काबू में नहीं लाई जा सकती। वाम पक्षी दलों ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सार्वभौमिकीकरण करने तथा इसका और विस्तार करके 15 अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं को पीडीएस प्रणाली के अन्तर्गत लाने, कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम करने और उपभोक्ता वस्तुओं के बाजारों में सट्टाबाजारी पर पूर्ण रोक लगाने की मांग की है पर सरकार ने इन मांगों को स्वीकार नहीं किया। सरकार पर इन मांगों को मानने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से हमें एक जोरदार देशव्यापी आंदोलन चलाना होगा ताकि सरकार को महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने पर मजबूर किया जा सके।

3.3.6 मुक्त बाजार के दर्शन प्रचारक तर्क पर तर्क दिए चले जा रहे हैं कि अग्रिम तथा वादा व्यापार किसान जनता के लिए उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार में उचित मूल्य को यकीनी बनाता है। इसी सिद्धान्त को आगे बढ़ाते हुए वे अपने इस तर्क को आगे बढ़ाते हैं और कृषि बाजारों में व्यापक स्तर पर निजी व्यापार की वकालत करते हैं। वे कहते हैं कि सरकार को "न्यूनतम समर्थन मूल्य" के आधार पर अनाज की खरीद के काम से हट जाना चाहिए। पिछले लगभग तीन वर्षो से सरकार अनिवार्य रूप से इसी नीति का अनुसरण कर रही है। इसके चलते सरकारी खरीद में कमी आई है और अपर्याप्त न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जा रही है जिसके कारण किसान निजी खरीद एजेंसियों के पंजे में फंस कर रह जाते हैं। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। कृषि अर्थव्यवस्था संकट में है; देश की किसान जनता के विशाल बहुमत के लिए खेती का धंधा लाभदायक नहीं रहा। कृषि उत्पादन और विशेष तौर अनाजों का उत्पादन लगातार कम होता जा रहा है। किसान जनता में व्यापक स्तर पर असंतोष पैदा हो रहा है और यह असंतोष किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं में प्रतिबिम्बित हो रहा है।

3.3.7 खेती के धंधे में लगे किसानों की हालत बद से बदतर बनाने, कार्पोरेट कृषि को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र के अंदरूनी ढांचे के लिए सार्वजनिक निवेश में असल अर्थो में कटौती करने के नव–उदारवादी दृष्टिकोण का परिणाम 1990 के दशक के शुरू से कृषि उत्पादन में मंदे के रूप में निकला है। सार्वजनिक क्षेत्र की अनेक उर्वरक एजेंसियों को सरकार की नीतियों ने बीमार बना डाला है और वे बंद हो गई जबकि सरकार दूसरे देशों से उर्वरकों का आयात करने के मामले में उदारता दिखा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के ऊंचे दामों के कारण उर्वरक पर दी जाने वाली सब्सिडी का बिल बढ़ रहा है। इसके कारण भी कृषि के दूसरे क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में कटौती को बढ़ावा मिला है। बिजली तथा पानी जैसी महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक उपभोक्ता सेवाओं के निजीकरण एवं उदारीकरण और बीजों एवं कीटनाशकों के बाजार में बहुराष्ट्रीय निगमों के मुक्त प्रवेश के परिणामस्वरूप खेती पर आने वाल खर्चा बढ़ता चला जा रहा है जिसे पूरा कर पाना लगभग असम्भव बन गया है। इसके चलते खेती का काम लाभदायक नहीं रहा अथवा गैर–वाजब बन चुका है।

3.3.8 यह संकट अब चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ चुका है। इससे हमारे देश की खाद्य सुरक्षा ही खतरे में पड़ गई है। भारत में 1980 के दशक के सुधारों से पहले के दौर में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि दर 2.8 प्रतिशत प्रति वर्ष थी और यह जनसंख्या में वृद्धि की दर लगभग 2 प्रतिशत से कहीं आगे थी। पर यही दर 1990 के दशक में गिर कर 1.7 प्रतिशत पर पहुंच गई और वर्तमान शताब्दी के पहले 6 वर्षों में यह और कम हो गई है अर्थात् 0.34 प्रतिशत के मामूली स्तर पर पहुंच गई है। स्वतंत्रता के बाद पहली बार प्रति व्यक्ति अनाज का उत्पादन 1990 के पूरे दशक में कम हुआ था और पिछले कुछेक वर्षों में यह और भी तेजी से कम हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में समय–समय पर महंगाई का विकराल रूप देखने को मिलता है अथवा मुद्रास्फीति की दर उछल कर ऊपर के आंकड़े को छूने लग जाती है और मेहनतकश जनता की तमाम श्रेणियों के लोगों की आय कम होती चली जाती है। वर्ष 2001 तथा 2008 के बीच अनाज के उत्पादन में वृद्धि 5 प्रतिशत से नीचे रही है और जनसंख्या में वृद्धि की दर 10 प्रतिशत से ऊपर रही है। इसके चलते बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई है जहां किसानों को खून पसीना एक करके भी भर पेट खाने को नहीं मिलता और साधारण उपभोक्ताओं को उन्हीं कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए बाजार में धक्के खाने पड़ रहे हैं क्योंकि बाजार पर व्यापारियों और सट्टाबाजारियों का कब्जा है।

3.3.9 वाम पक्षी दलों ने बढ़ते मूल्यों को काबू में लाने के लिए सरकार से तत्काल जरूरी कदम उठाने की मांग की है। इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा और यही हमारा तात्कालिक कार्य है। नव–उदारीकरण की नीतियों के अन्तर्गत पूंजीवादी व्यवस्था एक निरंकुश चरण में दाखिल हो गई है; श्रमिक आंदोलन को आगे बढ़ कर इसे बेनकाब करना होगा क्योंकि यह निरंकुशता सट्टाबाजारियों के भाग्य को संवारती है, उन्हें मालामाल करती है; खेती के धंधे में लगे किसानों और खेती से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे धंधों में लगे छोटे उत्पादकों को तबाह और बर्बाद करती है; हमारी विशाल जनता जो खेती के धंधे अथवा लघु औद्योगिक इकाईयों में काम करके किसी तरह जिंदा है, को घोर गरीबी की दलदल में फंसाती है; सभी जगह महंगाई की आग को हवा देती है; शहरों में रहने वाले लोगों को दरिद्र से घोर दरिद्र बनाती है और उस जगह पहुंचा देती है जहां से और नीचे गिरने के लिए कोई जगह ही नहीं रहती। खेती के धंधे में निवेश में निरंतर कमी आना; उर्वरकों के उत्पादन की स्वदेशी क्षमता की बर्बादी; उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के बढ़ता आयात; बहुराष्ट्रीय कम्पनियों देशी तथा विदेशी दोनों का कृषि उत्पादन, खरीद और व्यापार के क्षेत्र में दाखिल होना; न्यूनतम समर्थन मूल्य से कहीं ऊंचे दाम चुका कर उदारता के साथ अनाजों का आयात करना इत्यादि यह सभी भारत के सत्ताधारी वर्ग की नव–उदारवादी रणनीति का अभिन्न अंग है। यह रणनीति भूमण्डलीय रुझानों के अनुसार काम करने के लिए अपनाई जा रही है, पर किस कीमत पर? जनता की विशाल श्रेणियों को भूखों मार कर और उसे घोर दरिद्रता की दलदल में धकेल कर। नव–उदारीकरण के इस अमानवीय खेल को निर्णायक हार देने के लिए गांवों और शहरों दोनों स्थानों पर रहने वाले सर्वहारा का मिला जुला संघर्ष चलाना होगा; मजदूरों और किसानों को लामबंद करना होगा; यही समय की सबसे बड़ी मांग है।

3.4 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा खुदरा व्यापार के क्षेत्र में नैगम घरानों का दाखिल होना

3.4.1 खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का विरोध हो रहा है; यह विरोध बढ़ता चला रहा है; श्रमिक संघ, छोटे व्यापारी, सामाजिक कार्यकर्ता इत्यादि इसके खिलाफ देश भर में आवाज उठा रहे हैं; जनता की पुरजोर मांग है कि खुदरा व्यापार के क्षेत्र में तेजी से हो रहे नैगमकरण को नियंत्रण में लाया जाए और इसके लिए प्रभावी कानून बनाए जाएं किन्तु समय की सरकार बड़े कारोबारी एवं इजारेदार घरानों के हक में इस विनाशकारी प्रक्रिया को जारी रख रही है। वह केवल इसे जारी ही नहीं रख रही बल्कि इस मामले में बहुत सक्रिय है और इसे अपना संरक्षण प्रदान कर रही है जबकि कौन नहीं जानता इजारेदार घराने लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों के कारोबार पर अपना गलबा स्थापित करके भारी भरकम लाभ कमा रहे हैं। लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों से सम्बन्धित खुदरा व्यापार के क्षेत्र में नैगम सेक्टर के प्रवेश के खिलाफ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र इत्यादि राज्यों में विरोध की कार्रवाईयां हो रही हैं। हमें इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार ने खुदरा व्यापार में नैगम (संगठित) सेक्टर के प्रवेश के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक ICRIER का गठन किया था जिसने

अपनी रिपोर्ट दे दी है। ICRIER की रिपोर्ट ने खुदरा व्यापार के क्षेत्र में नैगम घरानों के प्रवेश से होने वाले महा विनाश की बात को पूरी तरह धो डाला है और खुदरा व्यापार के क्षेत्र में नैगम घरानों को संरक्षण दिए जाने की वकालत की है। इससे यही संकेत मिलता है कि सरकार देश में खुदरा व्यापार के व्यापक स्तर पर नैगमकरण को रोकने के लिए प्रभावी कानून बनाने की जनता की मांग की अनदेखी करने के लिए ICRIER के शोध कार्य का फायदा उठाएगी।

3.5 दीवालिया नीतियां

3.5.1 सकल घरेलू उत्पाद के बढ़ने पर भी गरीबी बढ रही है। यह है नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों का दीवालियापन जिसकी पोल लोगों के आगे दिन प्रतिदिन खुल रही है। बेरोजगार बढ़ती चली जा रही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार कम हो रहा है। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र में अल्प वेतनों वाले और घटिया गुणवत्ता वाले रोजगार में मामूली बढ़ोतरी हो रही है। इसके चलते श्रम लागत में कमी आ रही है। इससे असल अर्थो में आनुपातिक वेतनों में गिरावट का संकेत मिलता है। औद्योगिक क्षेत्र में पैदा किए जा रहे शुद्ध मूल्य में वेतनों का हिस्सा निरंतर कम होता चला गया है; यह हिस्सा 1981–82 में 30.28 प्रतिशत था और 2004–05 में गिर कर 12. 94 प्रतिशत रह गया। यह अधोगामी रुझान लगातार बना हुआ है जिसे ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दस्तावेज में भी स्वीकार किया गया था। इसका अर्थ यही है कि मजदूर वर्ग जो मूल्य पैदा करता है और जो सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिबिम्बित होता है, उसे अधिकतर देशी तथा विदेशी पूंजीपतियों की श्रेणी लूट ले जाती है।

3.5.2 यह रुझान सरकार द्वारा अपने आर्थिक सर्वेक्षण (2007–2008) के दस्तावेज में घोषित नीतिगत विकल्पों के चलते और भी बिगड़ जाएगा क्योंकि ये नीतिगत विकल्प बुनियादी तौर पर आर्थिक गतिविधियों के लाभों को सेवायोजकों की ओर तबदील किए जाने की गति को तेज करने वाले हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में अधोलिखित सिफारिशें की गई हैं:

"नीतिगत सुधारों के विकल्प (बाक्स 2.2)"

◆ कोयला उत्खनन – कोयला उत्खनन के क्षेत्र में नियमित निजी क्षेत्र को दाखिल होने की अनुमति देने के लिए कोयला राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन करो। पुरानी कोयला खदानों के पास 'बाकी रहते' कोयला भण्डारों में उत्पादन की स्थिति को सुधारने के लिए उनका निजीकरण करो; सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दों के मामले में व्यावसायिक स्वतंत्र नियामक की देख रेख में यह काम किया जाना चाहिए।

◆ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां – लाभ पर चलने वाली गैर नवरतन इकाईयों जिनका पहले से पता लगाया जा चुका है, की 5 – 10 प्रतिशत एक्विटी को बेचने की प्रक्रिया पूरी की जाए। जिन उपक्रमों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया उनकी सूची तैयार की जाए और उनकी कम से कम 10 प्रतिशत एक्विटी लोगों में बेच दी जाए। सार्वजनिक क्षेत्र की जिन इकाईयों का पुनरुद्धार नहीं किया जा सकता उन्हें नीलाम कर दिया जाए। जिन इकाईयों का शुद्ध मूल्य शून्य है, ऋण माफी के रूप में उनकी नकारात्मक (अथवा एक तरह से मुत में और कुछ पल्ले से देकर) बोली लगाई जाए।

◆ उद्योगों को नियंत्रण मुक्त करना – चरणबद्ध ढंग से चीनी, उर्वरक, दवा उद्योगों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाए।

◆ तेल – तेल निकालने की परिष्कृत एवं उन्नत तकनीक लाने के लिए पुराने तेल फील्ड निजी क्षेत्र को बेच दिए जाएं।

◆ खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश – खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी एक्विटी लाने की अनुमति दी जाए। विदेशी मार्के की और विशेषज्ञ खुदरा व्यापार की श्रृंखलाओं (अर्थात् ऐश्वर्य प्रसाधनों, उपभोक्ता स्थाई और अर्ध स्थायी वस्तुओं) के क्षेत्र में शत प्रतिशत विदेशी एक्विटी की अनुमति दी जाए।

♦ बीमा – बीमा क्षेत्र में विदेशी एक्विटी की सीमा बढ़ा कर 40 प्रतिशत कर दी जाए। विशेष श्रेणी की बीमा कम्पनियों जो गांवों में रहने वाले लोगों के लिए, एग्रो प्रोसैसिंग सहित कृषि से जुड़ी गतिविधियों के लिए सभी तरह की बीमा सेवाएं (अर्थात् स्वास्थ्य एवं मौसम) प्रदान करती हैं, में 51 प्रतिशत विदेशी एक्विटी की अनुमति दी जाए।

♦ बैंकिंग – ग्रीनफील्ड निजी ग्रामीण कृषि बैंकों में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाए। इस तरह के बैंक किसी भी ग्रामीण एवं अर्ध ग्रामीण क्षेत्र में जितनी चाहे शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे। वे कृषि तथा उससे जुड़े क्षेत्रों, एग्रो प्रोसैसिंग और देश में कहीं भी गैर शहरी क्षेत्र में स्थापित किसी भी उद्योग (नकारात्मक सूची) में ऋण देने के लिए स्वतंत्र होंगे। ये बैंक निजी क्षेत्र के दूसरे बैंकों का अधिग्रहण (उन्हें खरीदने) करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बैंकों के मामले में उदारीकरण की सामान्य नीति के लागू होने पर इन बैंकों को छोटे शहरों में अपनी गतिविधियों का प्रसार करने की अनुमति दी जाएगी।

♦ कारखाना अधिनियम – ओवर टाईम के माध्यम से मौसमी (अथवा ऋतुनिष्ठ) मांगों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक कामकाजी समय को 48 घण्टों से बढ़ा कर 60 घण्टे और दैनिक कामकाजी समय 12 घण्टे कर दिए जाएं।

♦ ऊर्जा – राज्य विद्युत नियामक आयोग वास्तविकता बन सकें और उन तक खुली पहुंच हो, इसके लिए तर्क संगत, विश्वसनीय एवं क्रास सब्सिडी के बारे में अधिसूचना जारी की जाए। खुली पहुंच से तात्पर्य है तारें लगाने अथवा जोड़ने के लिए बिजली के खम्बों का इस्तेमाल करने की छूट। इन तारों के लिए टी एण्ड डी (ट्रांसमिशन एवं वितरण) के घाटे की जवाबदेही अथवा जिम्मेदारी तारों के मालिकों की होगी। टावरों की मालिक वितरण कम्पनी इसके लिए जवाबदेह नहीं होगी। यदि एईआरबी (परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड) तथा एईसी (परमाणु ऊर्जा आयोग) का नियम है तो नाभिकीय (न्यूक्लीयर) ऊर्जा के क्षेत्र में निजी नैगम घरानों के निवेश की अनुमति दी जाए।

♦ रेलवे – फ्रेट कोरिडोरः सार्वजनिक क्षेत्र की रेल ट्रैक कम्पनी को नयी रेल लाईनों और सिग्नलों की मालिक बनाया जाए। रेल फ्रेट कम्पनियों में निजी क्षेत्र को प्रवेश करने तथा सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी की अनुमति दी जाए।

♦ शहरी सार्वजनिक परिवहन – महानगरों तथा बड़े शहरों में सार्वजनिक परिवहन (बस) प्रणाली का संचालन संगठित निजी कम्पनियों द्वारा किया जाए ताकि वे रास्तों की योजना बनाने एवं समय सारणी तैयार करने के लिए आधुनिक लौजिस्टिक तथा कार्यायलों का उपयोग कर सकें और मार्गों में सवारियों के घनत्व के उपलब्ध आंकड़ों तथा समेकित जन गतिविधि प्रणाली का विश्लेषण कर सकें। सड़कों पर पार्किंग के लिए एक व्यापक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए और इसे महानगरों तथा बड़े शहरों में लागू कर दिया जाना चाहिए।''

3.5.3 आर्थिक सर्वेक्षण से लिए गए उपरोक्त पैरे नव–उदारीकरण के सुधारों और सत्ताधारी वर्गो की कार्य सूची के नीतिगत दिशा निदेश हैं। श्रमिक आंदोलन को इसके खिलाफ लगातार संयुक्त प्रतिरोध का निर्माण करना होगा और पूरी ताकत के साथ इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष करना होगा।

3.6 पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी

3.6.1 सरकार जिस ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की समस्या से निपटती रही है और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी करती रही है उससे नीति का घोर दीवालिया पन उजागर होता है। वर्ष 2002 के बाद से कच्चे तेल की कीमतों में छः ह गुणा से भी अधिक बढ़ोतरी हो चुकी है जो इस समय 130 – 140 अमरीकी डालर प्रति बैरल है। इसका मुख्य कारण साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा अरब के तेल पर लगाए गए प्रतिबंधों की पश्ष्ठभूमि में विराट बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की ओर से नियंत्रित प्रमुख तेल उत्पादकों की इजारेदारी है। विश्व तेल उत्पादन के साथ–साथ मांग एवं आपूर्ति की कमी आनुमानित 2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ती मांग के साथ अब भी एक मामूली समस्या बनी हुई है। अराजक तरीके से मूल्य बढ़ा कर इसे तर्क संगत करार नहीं दिया जा सकता।

3.6.2 सरकार की नीति तेल की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को देश के तेल एवं गैस की सम्भावना वाले क्षेत्रों में मुक्त रूप से काम करने देने और भारी भरकम मुनाफा कमाने की इजाजत देने वाली है। देश के तेल एवं गैस क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा भाग पहले ही निजी क्षेत्र के बड़े खिलाड़ियों के नियंत्रण में जा चुका है। इनमें देशी तथा विदेशी दोनों तरह के खिलाड़ी शामिल हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के आयात के समान मूल्यन सत्ता कायम किए जाने और मूल्यन की प्रशाासित सत्ता को समाप्त किए जाने से तेल क्षेत्र में लाभ के भूखे भेड़ियों (बड़े इजारेदारों) के आगे सरकार द्वारा पूर्ण समर्पण किए जाने की पोल खुल गई है और वह अर्थव्यवस्था के इस बेहद महत्त्वपूर्ण क्षेत्र में उनके प्रवेश को सुगम बना रही है। अब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तीखी बढ़ोतरी होने पर सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की बढ़ोतरी को न्याय संगत करार दे रही है जिसका लाभ केवल और केवल तेल क्षेत्र के निजी खिलाड़ियों को होगा। इस तरह वे बड़ी बेशर्मी से यह तर्क दे रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को बढ़ते घाटे की मार से बचाने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों को बढ़ाना जरूरी हो गया है। श्रमिक संघों और वाम पक्षी दलों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में बढ़ोतरी का विरोध किए जाने पर भी सरकार ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए प्रति लीटर, डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर और रसोई गैस के दाम 50 रुपए प्रति सेलेण्डर बढ़ा दिए हैं। फिर भी वाम पक्षी दलों द्वारा निरंतर दबाव डाले जाने के कारण सरकार को कच्चे तेल पर सीमा शुल्क समाप्त करने और आबकारी शुल्क में एक रुपए की कमी करने के लिए मजबूर होना पड़ा। यदि वाम पक्षी और श्रमिक संघ विरोध न करते तो यह मूल्य वृद्धि इससे भी अधिक होती।

3.6.3 वास्तविकता क्या है? सरकार तथा मीडिया के एक वर्ग ने कुत्सा प्रचार का अभियान चला रखा है और उनकी ओर से कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसी) 2.2 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा झेल चुकी हैं। यह भारी भरकम राशि वसूल नहीं हुई अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर राष्ट्र को भारी वित्तीय क्षति हुई है और यह वास्तविक संचित घाटा नहीं है जिसे बैंलेंस शीट में दिखाया गया हो। उदाहरण के लिए आइओसी को वर्ष 2007–08 की पिछली तिमाही में 400 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा। यह घाटा तेल मूल्यों के कारण हुआ किन्तु समग्र रूप में पूरे वर्ष के दौरान कम्पनी ने 6,400 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। किन्तु इसी अवधि में जिस धन की वसूली नहीं हो पाई उसे कई हजार करोड़ रुपए के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह वह धन है जिसकी गणना उसी अवधि में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य और देश में बिक्री मूल्य के बीच के राष्ट्रीय अंतर को सामने रख कर की गई है। यह वास्तविक क्षति नहीं है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की दृष्टि से अपेक्षित लाभ में गिरावट का राष्ट्रीय आंकड़ा है। तथ्य तो यह है कि सरकार तथा निजी तेल कम्पनियां अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की लहर के कंधों पर सवार हो कर सरकार की रुपए पेट्रोलियम मूल्यन नीति के माध्यम से बहुत पैसा कमा रही हैं। वर्ष 2002 और 2007–08 के बीच तेल क्षेत्र से सरकार का कर राजस्व 73,800 करोड़ रुपए से बढ़ कर 1,64,000 करोड़ रुपए हो गया है अर्थात् इसमें 122 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। सरकार प्रत्येक वर्ष तेल क्षेत्र से अपने वार्षिक बजट के अनुमान से अधिक राजस्व कमाती है। वर्तमान में पेट्रोल के खुदरा मूल्य का लगभग 49 प्रतिशत भाग डीजल पर लगाए गए कर तथा शुल्क का होता है। सरकार का कर वाला वाला कारक बहुत ऊंचा अथवा 26 प्रतिशत है।

3.6.4 लोगों पर बुरा असर डाले बिना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वशद्धि की समस्या के निपटने के साधन तथा तरीके हैं। तेल उद्योग के विकास (ओआइडी) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड से हर वर्ष 7,500 करोड़ रुपए की वसूली की जाती है। इस धन का उपयोग पेट्रोलियम सेक्टर के विकास के लिए नहीं किया जाता। यह धन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को मूल्य स्थिरीकरण कोष के नाम पर दे दी जानी चाहिए। यही नहीं, आबकारी शुल्क में एक रुपया प्रति लीटर के स्थान पर तीन रुपए प्रति लीटर की कटौती करने से 12,000 करोड़ रुपए की राहत का मिलना यकीनी हो जाएगा। भारत की धरती पर चलने वाली निजी क्षेत्र की तेल शोध कम्पनियों जो देश के बाजार की जरूरतों को पूरा नहीं करतीं, के सुपर प्राफिट पर अप्रत्याशित कर (windfall tax) लगाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों को होने वाले घाटे (वसूल नहीं की गई राष्ट्रीय राशि नहीं जैसा कि कहा जा रहा है) को पूरा करने के लिए इस कर से मिलने वाली राशि काफी

होगी और यह काम तेल के मूल्य बढ़ाए बिना किया जा सकता है। वाम पक्षी दलों ने उपरोक्त विकल्पों के सुझाव सरकार को दिए थे ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में बढ़ोतरी को टाला जा सके। पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में वाम दलों के नेतृत्व वाली सरकारों तथा कुछ दूसरे राज्यों की सरकारों ने पेट्रोल तथा डीज़ल पर बिक्री कर में कमी की है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ने उनके अधिकांश सुझावों की अनदेखी कर डाली है और उसने पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्कों का फिर से निर्धारण करने के सुझाव को भी मानने से इन्कार कर दिया है।

3.6.5 जहां सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियां नियंत्रित मूल्य पर घरेलू जरूरतों को पूरा करने की अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं वहीं निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियां अपने पूरे उत्पाद ऊंचे अन्तर्राष्ट्रीय दामों पर निर्यात करके पैसे पर पैसा बना रही हैं अर्थात् भारी भरकम मुनाफे कमा रही हैं। उन्हें बिक्री कर और आयात शुल्क से छूट हासिल है क्योंकि यह कर तथा शुल्क निर्यातों पर नहीं लगता। इसके अतिरिक्त उन्हें और भी कई तरह से करों में छूट दी जा रही है। हाल ही में लगाए गए अनुमानों के अनुसार निजी क्षेत्र में एक प्रमुख तेल शोध कंम्पनी ने पिछले दो सालों के भीतर अपना मुनाफा दोगुणा कर लिया है। वर्ष 2005–06 में उसका मुनाफा 5,900 करोड़ रुपए था जबकि वर्ष 2007 में यह बढ़ कर 10,312 करोड़ रुपए हो गया है। मुनाफा दोगुणा हो जाना उनकी बेहतर कार्य प्रणाली का नतीजा नहीं है किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के मूल्यों में हुई असामान्य बढ़ोतरी के कारण उसकी जेब भारी होती चली जा रही है। इसका श्रेय अन्तर्राष्ट्रीय सट्टाबाजार और साम्राज्यवादी ताकतों के हथकण्डों को जाता है। जब उन्हें इस तरह छप्पर फाड़ मुनाफा हो रहा है तो उन पर छप्पर फाड़ टैक्स क्यों न लगाया जाए और टैक्स न लगाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। अमरीका में भी इस बात को स्वीकार किया जा रहा है। सीआइटीयू ने पहले ही प्रधान मंत्री को लिखे एक पत्र में यह मांग की है।

3.6.6 उदाहरण के लिए मंगोलिए विश्व का एक ऐसा देश है जिसने सफलता के साथ इस तरह के छप्पर फाड़ मुनाफे पर टैक्स लगाया है। उसने अपने यहां वर्ष 2006 से यह टैक्स लगाया था और इसका फैसला उसकी संसद ने किया था। चांदी और सोने के तेजी से बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से किराए की वसूली के लिए यह फैसला किया गया था। उसने चांदी और सोने के बुनियादी मूल्य निर्धारित कर दिए और उत्खनन कम्पनियों को बुनियादी मूल्य में बढ़ोतरी होने पर 68 प्रतिशत की दर से टैक्स का भुगतान करना पड़ता था। मंगोलिया की सरकार ने इस टैक्स के फलस्वरूप अपने पास उल्लेखनीय संसाधन जुटा लिए (2007 में सकल घरेलू उत्पाद का 7 प्रतिशत)। इसी तरह भारत में निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियां कच्चे तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोतरी के कारण होने वाले भारी भरकम मुनाफे का एक हिस्से का भुगतान कर सकती हैं।

3.6.7 अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों की भारी चंचलता अथवा अस्थिरता का एकमात्र समाधान पेट्रोलियम उत्पादों पर करों और शुल्कों के ढांचे का पुनर्गठन करना ही है। उत्पादन एवं तेल शोध में आने वाली वास्तविक लागत के साथ जुड़ी एक पारदर्शी मूल्यन नीति का पालन किया जाना चाहिए न कि आयात समानता की नीति का।

3.6.8 किन्तु आज की सरकार निजी क्षेत्र के अपने प्रिय खिलाड़ियों देशी तथा विदेशी दोनों पर कर लगाने की इच्छुक नहीं है और न ही वह कर सत्ता के ढांचे का पुनर्गठन करना चाहती है और वह मूल्यन के प्रश्न पर आयात–समानता की सत्ता को भी बदलना नहीं चाहती और पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ जाने से लोग कितना भी कष्ट क्यों न झेलें उसकी बला से। इसकी बजाए वह अथवा सरकार निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को देशी बाजार और उसके साथ–साथ अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने में सहयोग देने की गर्ज से देश में पेट्रोलियम के दाम आकर्षक बनाने के मनसूबे बनाए बैठी है।

3.7 विश्व व्यापार संगठन में हाल ही की घटनाएं

3.7.1 विश्व व्यापार संगठन में हाल ही घटी एक घटना से हमारी चिंता बढ़ जाती है। पता चला है कि विश्व व्यापार संगठन की ओर से कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों पर बातचीत एवं समझौते के लिए एक नया प्रारूप लाया जा रहा

है; यह प्रारूप संगठन की आगामी बैठक में आगे की चर्चा के लिए तैयार किया गया है। इस प्रारूप से विकासशील देशों पर लादी जाने वाली शर्तों भले ही उनका रूप थोड़ा अलग किस्म का होगा, के मामले में विकसित देशों विशेष तौर पर अमरीका तथा युरोपीय संघ के इरादों का पता चल जाता है। कृषि के मामले में वे अपनी खेतीबाड़ी में दी जाने वाली सब्सिडी के मौजूदा स्तर को बनाए रखना चाहते हैं और इसमें तबदीली की सम्भावना भी नहीं है। विकसित देशों ने इसके लिए विकासशील देशों को उनके स्वदेशी उत्पादकों की रक्षा के लिए कुछ विकल्पों / विधियों इत्यादि को अपनाने का सुझाव दिया है। किन्तु ये विकल्प बहुत कम चीजों के लिए हैं और उन्होंने जो शर्तें थोपी हैं उनके चलते व्यावहारिक तौर पर इन विकल्पों अथवा विधियों का कोई महत्त्व नहीं रह जाता। इसके बदले में वे चाहते हैं कि हमारे बाजारों के किवाड़ उनके लिए और अधिक खोल दिए जाएं और दूसरे क्षेत्रों के लिए भी भाड़ा दरों में कमी लाई जाए।

3.7.2 गैर कृषि विपणन सुलभता (एनएएमए) पर विश्व व्यापार संगठन का नया प्रारूप औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ का निर्धारण करने के लिए विकासशील देशों को दी गई लोचनीयता को सशर्त बनाने और टैरिफ कटौतियों के अनुपात से उसे जोड़ने का हठ करता है। वह चाहता है कि विकासशील देश उसी तरह अपने टैरिफ में कटौती करें जिस तरह विकसित देश कर रहे हैं। दोनों प्रारूप संदिग्ध हैं और उनकी शब्दावली भी संदेहास्पद है। जी–20 देशों के समूह में दरार डालने एवं पारस्परिक हितों का टकराव पैदा करने के मंसूबे से ये दोनों प्रारूप तैयार किए गए हैं। विशेष तौर पर दक्षिण अफ्रीका, चीन, वेनजुएला, ब्राजील तथा भारत जिन्होंने विश्व व्यापार संगठन के भीतर समान रुख अपनाया था, को सामने रख कर इस तरह के प्रारूप तैयार किए गए हैं। 'द टाईम्स ऑफ इंडिया' ने इस काम में लगे एक अधिकारी को उद्धृत करते हुए समाचार दिया है कि ''संशोधित प्रस्तावों पर अमरीकियों के दबाव की भूमिका रही है। भारत, चीन, ब्राजील तथा दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े विकासशील देशों पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वे अपने–अपने बाजारों का बलिदान करें पर विकसित देश खुद कोई बलिदान देने के लिए तैयार नहीं हैं।'' साम्राज्यवादी ताकतों का अगला हमला व्यापार के मोर्चे पर होगा, इससे यही स्पष्ट संकेत मिलता है। भारत सरकार ने विकसित देशों की आलोचना करते हुए कहा है कि वे विकासशील देशों में दरार पैदा करने के लिए 'फूट डालो और राज करो' की नीति पर चल रहे हैं। उसने घोषणा की है, ''यदि हमारे बुनियादी राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं की गई तो किसी तरह का कोई समझौता अथवा सौदा नहीं होगा।'' भारत सरकार के इस रुख का स्वागत किया जाना चाहिए। हमें सरकार पर अपना दबाव बनाए रखना होगा ताकि वह विकसित देशों के दबाव के आगे न झुके और अपने रुख पर कायम रहे।

4. मजदूरों की हालत

4.1 मजदूरों के अधिकारों पर हमले

4.1.1 इस अवधि के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की ऊंची दर होने पर भी मजदूर वर्ग की हालत बद से बदतर हुई है। बेरोजगारी तथा अर्ध रोजगारी की दर चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ती चली जा रही है। संगठित क्षेत्र में रोजगार सिकुड़ रहा है ओर जहां कहीं नए रोजगार का सृजन हो रहा है वहां बेहद कम वेतन दिया जा रहा है और वहां की कामकाजी स्थितियां बदतरीन होती हैं। सभी श्रम कानूनों विशेष तौर पर कामकाजी घण्टों, न्यूनतम वेतनों, रोजगार रजिस्टर बनाए रखने, पीएफ, ईएसआइ, संविदा श्रमिकों की नियुक्ति इत्यादि से सम्बन्धित कानूनों का बड़ी बेशर्मी से घोर उल्लंघन किया जाता है। वास्तव में, देश में होने वाले 90 प्रतिशत औद्योगिक विवाद तथा मालिक–मजदूर टकरावों का सीधा सम्बन्ध बुनियादी श्रम कानूनों के अमल के साथ होता है। अधिकांश राज्यों और उनके साथ–साथ केन्द्र के स्तर पर श्रम कानून लागू करने वाला सरकारी तंत्र पूरी तरह निष्प्रभावी हो चुका है।

4.1.2 जब मजदूर अपनी यूनियनों के माध्यम से एकजुट होकर सामूहिक तौर पर इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं; वे कुछ नहीं मांगते सिवाए इसके कि बुनियादी श्रम कानूनों पर अमल किया जाए तो उन पर बर्बर हमले किए जाते हैं। उनके जीवन तथा उनकी आजीविका को संकट में डाल दिया जाता है। इस मामले में सेवायोजक अथवा मालिक

लोग और प्रशासन आपस में घी–खिचड़ी होते हैं। देश भर में यह एक आम बात हो गई है। लगभग सभी राज्यों में निजी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकतर सेवायोजक अथवा मालिक विशेष तौर पर वे जो 1990 के दशक में उभरे हैं, कामकाजी स्थलों में यूनियन के गठन का पूरी ताकत से विरोध करते हैं; वे मजदूरों का बर्बर दमन करते हैं और सीधे तौर पर उनके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां करते हैं। राज्य का प्रशासन इस मामले में पूरी तरह उनकी पीठ पर होता है। इस तरह के कई उदाहरण देखने–सुनने को मिल जाते हैं जहां यूनियन का गठन होने के तत्काल पश्चात् मजदूरों के खिलाफ व्यापक स्तर पर प्रतिशोध की कार्रवाईयां की गईं; उन्हें काम से निकाला गया। केवल तमिलनाडु राज्य में यूनियनों के प्रमुख नेताओं सहित लगभग 360 मजदूरों को काम से निकाल दिया गया; उन पर झूठे आरोप लगाए गए; ये मजदूर दस प्रमुख निगमों में काम करते थे जिनमें ह्युंडाई मोटर्स तथा जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी और गोदरेज एवं सीआरआइ पम्पस जैसे भारतीय निगम भी शामिल हैं; इन मजदूरों को उनके कामकाजी स्थलों में यूनियनों का गठन होने अथवा उसके एक साल के भीतर काम से निकाला गया। इसके अलावा उनके खिलाफ प्रतिशोध की दूसरी कार्रवाईयां की गई; उनके वेतनों में कटौती की गई; उन्हें निलम्बित रखा गया। लगभग 109 मजदूरों पर फौजदारी मामले दर्ज कराए गए और वह भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अन्तर्गत। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा दूसरे राज्यों में मालिकों एवं प्रशासन के गठबंधन की यह बर्बरता रोजमर्रा की एक आम बात हो गई है। दिल्ली में दिल्ली मैट्रो रेल कार्पोरेशन (डीएमआरसी) जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की केन्द्रीय कम्पनी ने यूनियन का गठन हो जाने के बाद उसके अध्यक्ष को ही नौकरी से निकाल दिया था और यूनियन के दूसरे पदाधिकारियों भारी जुर्माना किया गया, उनके खिलाफ आरोप पत्र तैयार किए गए जो झूठ के पुलंदे थे। संक्षेप में, देश में औद्योगिक सम्बन्धों को बनाए रखने के लिए आज जिस तरह बर्बरता का सहारा लिया जा रहा है और जिसमें कानून के रक्षक तथा श्रम कानून लागू करने वाला सरकारी तंत्र मालिकों के हर सयाह–सफेद में शामिल होता है उसे देख कर कहा जा सकता है कि यदि श्रमिक आंदोलन को बने रहना है तो उसे इस तरह के बर्बर हमलों का सामना क़रने और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने तथा प्रतिरोध की जोरदार कार्रवाईयां करने के लिए तैयार बर तैयार रहना होगा।

4.1.3 निजी क्षेत्र के अधिकांश उद्योगों में रोजगार के जाली रजिस्टर रखे जाते हैं। उसमें कुल श्रम शक्ति का मात्र 30 प्रतिशत भाग दिखाया जाता है और बाकी मजदूरों के नाम रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किए जाते। मजदूरों की विशाल बहुसंख्या को कानूनी तौर पर मिलने वाले न्यूनतम वेतनों तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित रखा जाता है। भारत सरकार इस तरह की स्थिति में ही संसद में एक विधेयक लाई थी जिसका उद्देश्य उन उपक्रमों जिनमें काम करने वाले मजदूरों की संख्या 40 के लगभग है, के सभी मालिकों को नियमित रूप से श्रम विभाग के पास वार्षिक विवरणियां भेजने की अनिवार्यता से मुक्त करना और मौजूदा कानूनों के अनुसार रोजगार रजिस्टर जिनमें मजदूरों के रोजगार से सम्बन्धित सभी विवरण दर्ज हों, रखने से भी छुट्टी दे देना है। इसका अर्थ यह है कि साठ प्रतिशत से अधिक मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा प्रतिष्ठानों में के सेवायोजकों को सभी श्रम कानूनों की घोर अनदेखी करने की खुल छूट मिल जाएगी। वाम पक्षी दलों के सांसदों द्वारा विरोध किए जाने के चलते यह विधेयक विचार के लिए संसद में लाया नहीं जा सका। किन्तु वह अब भी कायम है और लम्बित पड़ा है ताकि किसी उपयुक्त समय पर उस पर विचार हो सके। तथ्य तो यह है कि नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की सत्ता में सरकार खुद ही श्रम कानूनों के उल्लंधन की कार्रवाईयों को बढ़ावा दे रही है और आगे चल कर उल्लंघन की इन कार्रवाईयों को कानून सम्मत बना देना चाहती है।

4.2 संविद्राकरण और आउटसोर्सिंग

4.2.1 मज़दूरों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है; इस पूरे घटनाक्रम का यह एक और अत्यंत महत्त्वपूर्ण पहलू है। व्यापक स्तर पर रोजगार का संविदाकरण किया जा रहा है; उपक्रमों तथा उद्यमों में स्थायी मजदूरों को काम पर रखने की बजाए आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है; सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी काम करने वाली लगभग 50 प्रतिशत श्रम शक्ति ठेके पर काम करती है या वह अस्थायी है या आकस्मिक है या आउटसोर्सिंग के माध्यम से बाहरी श्रमिकों से काम लिया जा रहा है। निजी क्षेत्र में नियमित मजदूरों की संख्या पहले ही बेहद कम

हो चुकी है; ठेका मजदूरों की तुलना में उनकी संख्या नगण्य रह गई है। संविदा रोजगार रोजगार अनुबंध तथा व्यावसायिक अनुबंध जैसे विभिन्न रूपों में चल रहा है और संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए प्रावधानों से बचने के लिए कई तरह की आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है।

4.2.2 यदि श्रमिक आंदोलन को प्रभावी बनाए रखना है अथवा उसे बनाए रखना है तो हमें अपने सांगठनिक एवं आंदोलनात्मक रणनीति में आमूल परिवर्तन लाना होगा; यही समय की मांग है। संविदा श्रमिकों की बहुसंख्या को श्रमिक संघों में संगठित करना अभी बाकी है और यह तथ्य अपने स्थान पर बना हुआ है। सार्वजनिक इकाईयों में संविदा श्रमिकों को कम से कम आंशिक तौर पर संगठित किया जा सका है किन्तु जहां कहीं भी उन्हें संगठित किया गया है वहां उनकी यूनियनों को नियमित श्रमिकों जिनकी स्थिति उनकी अपेक्षा बेहतर होती है, की यूनियनों से सक्रिय एवं प्रभावी सहयोग अभी मिल नहीं पा रहा। अनेक स्थानों पर सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित श्रमिकों की यूनियनें घोर अवसरवादिता का शिकार हो गई हैं और उन्होंने संविदा श्रमिकों की मूल मांगों के प्रति उदासीन रुख अपना रखा है। वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि सभी सार्वजनिक इकाईयों में नियमित श्रमिकों की संख्या में तेजी से गिरावट आने की स्थिति में संविदा श्रमिकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यदि संविदा श्रमिकों को नियमित श्रमिकों के आंदोलन के साथ नहीं जोड़ा गया और यदि नियमित श्रमिकों की यूनियन संविदा श्रमिकों के हितों के लिए नहीं लड़ेगी; उनकी मांगों को नहीं उठाएगी और इस मामले में गम्भीर नहीं होगी तब उनकी यूनियन अप्रासंगिक बन कर रह जाएगी। विभिन्न सार्वजनिक इकाईयों के बारे में हमारा जमीनी अनुभव बताता है कि जिन जिन उद्योगों में हम संविदा श्रमिकों को श्रमिक संघों के झण्डे तले संगठित कर पाए हैं और जहां–जहां संविदा श्रमिकों की यूनियनों तथा नियमित श्रमिकों की यूनियनों ने एक दूसरे के साथ सहयोग किया है तथा मिल कर काम किया है वहां कुल मिला कर श्रमिक आंदोलन की स्थिति मजबूत हुई है और संविदा श्रमिकों की कामकाजी स्थितियों में भी उल्लेखनीय सुधार लाया जा सका है। इस्पात, तेल तथा बीएचईएल की कुछ विशेष इकाईयों में आंदोलन को सफलताएं हासिल हुई हैं; कुछ हद तक संविदा श्रमिकों के वेतनों एवं कामकाजी स्थितियों में सुधार लाया जा सका है और आंदोलन की इसी प्रक्रिया में संविदा श्रमिकों को श्रमिक संघों में संगठित किया जा सका है। हमें इस अनुभव से सबक सीखना होगा और जैसा कि सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने निदेश दिया था, सार्वजनिक क्षेत्र में नियमित श्रमिकों के आंदोलन को पहलकदमी करके संविदा श्रमिकों को पीएसयू ट्रेड यूनियन आंदोलन में लाना होगा, उन्हें संगठित एवं एकजुट करना होगा।

4.2.3 वर्तमान परिस्थितियों में कामकाजी स्थलों में की जाने वाली पहलकदमी के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी पहलकदमियां किए जाने की जरूरत है ताकि विभिन्न स्वरूपों में चल रहे घोर संविदाकरण के खिलाफ और मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए लड़ा जा सके। सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन द्वारा दिए गए दिशा निदेश के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों के आंदोलन के संयुक्त मंच की कार्यसूची में इन मुद्दों को शामिल करने के लिए पहलकदमी की है। श्रमिक संघों की आयोजन समिति के झण्डे तले संविदा श्रमिकों की एक अखिल भारतीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया है जिसमें उसी तरह की मांगों को पारित किया गया जिस तरह की मांगें बारहवें महाधिवेशन में संविदा श्रमिकों पर गठित कमिशन में पारित की गई थीं। सीपीएसटीयू ने भी एक प्रस्ताव पारित करके नियमित श्रमिकों के साथ–साथ संविदा श्रमिकों के वेतन मानों में संशोधन करने और सम्बन्धित राज्यों में न्यूनतम वेतन की बजाए संविदा श्रमिकों को उद्योग स्तरीय न्यूनतम वेतनों का भुगतान करने की मांग की थी। श्रमिक संघों की आयोजन समिति ने भी सार्वजनिक इकाईयों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के वेतनों में साथ–साथ संशोधन करने की मांग को उन मांगों में शामिल किया है जिनके आधार पर 20 अगस्त, 2008 को अखिल भारतीय हड़ताल होने जा रही है। हमारे श्रमिक संघों को इकाई स्तर पर इसके लिए सघन प्रचार अभियान चलाना होगा और संविदा श्रमिकों में इन मांगों को लोकप्रिय बनाने के लिए काम करना होगा।

4.2.4 इस अभियान का उपयोग संविदा श्रमिकों को मजदूरों के संयुक्त आंदोलन में संगठित करने के लिए करना होगा ताकि इन मुद्दों पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के प्रबंधनों और उनके साथ–साथ सरकार पर दबाव बढ़ाया जा सके। उद्योग स्तरीय बातचीत के मंचों पर भी हमारे प्रतिनिधियों को इन मांगों पर स्पष्ट और दृढ़ रुख अपनाना

चाहिए। चाहे प्रबंधन इस बात का विरोध करे पर इस पर भी उन्हें संविदा श्रमिकों के मुद्दों पर उसे गम्भीर मंत्रणा के लिए मजबूर करना चाहिए। दूसरी यूनियनें भी इस प्रक्रिया में शामिल हों इसके लिए हमें गम्भीरता से प्रयास करने चाहिए और संविदा श्रमिकों के मुद्दे को पूरे समझौते का एक भाग बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिएं। सार्वजनिक इकाईयों के श्रमिकों के आंदोलन में हमारे सामने यह सबसे निर्णायक महत्त्व का काम है जिसके चलते संगठित क्षेत्र में चल रहे श्रमिक आंदोलन की संरचना में गुणात्मक तबदीली आ जाएगी। जनरल कौंसिल को इन मुद्दे पर विचार करना होगा और उद्यम स्तर पर काम करने वाले हमारे साथियों तथा विभिन्न शीर्ष मंचों पर हमारे प्रतिनिधियों दोनों के लिए एक दिशा का निर्धारण करना होगा।

4.3 आइसीडीएस के निजीकरण की कोशिश

4.3.1 नव–उदारीकरण की आर्थिक नीति के एक भाग के रूप में राज्य (अथवा सरकार) अपनी कल्याणकारी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है और सरकार ने विश्व बैंक के निदेशानुसार समेकित बाल विकास सेवाओं (आइसीडीएस) को पुनगर्ठित करने का फैसला किया है। उसने आइसीडीएस में सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी लाने का फैसला किया है और गैर सरकारी संस्थाओं अथवा एनजीओज़ को इस काम में शामिल किया जा रहा है। आइसीडीएस के एक अंग बच्चों को स्कूलों में भेजने की अवस्था से पहले शिक्षा देने के काम का निजीकरण किया जा रहा है और बच्चों में पूरक पौष्टिक आहार के वितरण एवं आपूर्ति का काम स्वयं सहायता करने वाले समूहों अर्थात् सेल्फ हैल्प ग्रुप एवं एनजीओज को दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप अंत में आइसीडीएस का विखण्डन हो जाएगा जिसका गहरा दुष्प्रभाव न केवल आंगनवाड़ी कर्मचारियों की स्थिति बल्कि बच्चों एवं महिलाओं विशेष तौर वे जो गरीब हैं या एसटी, एससी तथा समाज के दूसरे पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं, की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। हमें आइसीडीएस का पुनर्गठन करने के प्रयासों का पूरी ताकत के साथ विरोध करना होगा और महिलाओं, किसानों तथा खेत मजदूरों जो इससे लाभान्वित होते हैं, के दूसरे संगठनों को अपने साथ लेकर इसके खिलाफ जोरदार संयुक्त आंदोलन चलाने के लिए पहलकदमी करनी होगी।

5. असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007

5.1 कार्य समिति की पिछली बैठक में हमने पूरे विस्तार से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा विधेयक 2007 में और सुधार लाने के लिए सरकार को मजबूर करने के उद्देश्य से संयुक्त अभियानों एवं गोलबंदियों में और तेजी लाने का फैसला किया था। यह विधेयक उस समय श्रम पर स्थाई संसदीय समिति के विचाराधीन था। हमने पहलकदमी करके इस मामले में दूसरे श्रमिक संघों को भी शामिल किया और अंत में सभी श्रमिक संगठनों ने एक साथ मिल कर साझा रुख अपनाया और सरकार से मांग की कि असंगठित क्षेत्र के उपक्रमों पर राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) की सिफारिशों के अनुसार विधेयक में सुधार लाया जाए।

5.2 सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम पर स्थायी संसदीय समिति के सामने यह मांग उठाई। उनके इस रुख से इस मुद्दे पर श्रमिक आंदोलन की संयुक्त आवाज प्रतिबिम्बित हुई। स्थायी समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि एनसीईयूएस की अनेक स्थापनाओं (सुझावों) को विधेयक में जोड़ा जाए। उसने सिफारिश की थी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सामाजिक सुरक्षा के लाभ प्रदान किए जाएं और इन मजदूरों की सभी श्रेणियों को इस प्रस्तावित कानून के घेरे में लाया जाए। स्थायी समिति की सिफारिशों का सार पहले ही सभी राज्य समितियों को भेजा जा चुका है।

5.3 किन्तु सरकार ने संसद के पिछले बजट अधिवेशन में विचार के लिए इस विधेयक को पेश करते समय स्थाई समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों की पूरी तरह अनदेखी कर दी। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर सीपीआइ (एम) की ओर से कुछ संशोधन पेश किए गए थे। किन्तु इस विधेयक को संसद के उस सत्र में विचार के लिए लाया नहीं गया।

5.4 इस विधेयक की वर्तमान में जो वर्तमान संरचना अथवा ढांचा और स्वरूप हैं उसके चलते कहा जा सकता है कि इस मामले में घोषित लक्ष्यों से इस विधेयक का दूर तक कोई वास्ता नहीं है और न ही यह लाभान्वित होने वाली सम्भावित श्रेणियों को कोई लाभ पहुंचाता है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं जो लोर स्तर पर मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के कदम उठाने और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों को इस नए प्रस्तावित कानून के घेरे में लाने के लिए मजबूर कर सकता हो और न ही इसमें इसके लिए फण्ड उपलब्ध कराने के प्रश्न पर कोई परिभाषा दी गई है और न ही इसे लागू करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है। यदि इस तरह की बुनियादी बातें ही इस विधेयक में नहीं होंगी तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता।

5.5 यही नहीं, वृद्धावस्था पेन्शन योजना, आम आदमी बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना इत्यादि ये सभी सामान्य कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों अथवा बीपीएल श्रेणियों के लिए हैं। बीपीएल श्रेणी अथवा गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय के मानदण्ड ग्रामीण इलाकों में 356.30 रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 538.60 रुपए को देखते हुए कहा जा सकता है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की किसी भी श्रेणी को उन योजनाओं जिनकी सूची विधेयक में दी गई है, कोई लाभ नहीं होगा। चाहे वे ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर हों या रिक्शा चलाने वाले या स्वः रोजगार पर लगे फेरी लगाने वाले मजदूर ही क्यों न हों।

5.6 सार रूप में कहा जा सकता है, यह विधेयक व्यावहारिक तौर पर मैन्युफैक्चरिंग एवं सेवा क्षेत्रों में समाज के लिए परिसम्पत्तियों अथवा सम्पत्तियों का निर्माण करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की विशाल संख्या को किसी भी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभों के घेरे से बाहर निकाल देता है। यदि यह अपने मौजूदा स्वरूप में पारित हो जाता है तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों जो जीडीपी में लगभग 65 प्रतिशत योगदान देते हैं, के साथ इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं होगा। हमें इस मुद्दे को तृण मूल स्तर पर ले जाकर इस पर सघन अभियान चलाना होगा ताकि श्रम पर स्थायी संसदीय समिति की सर्वसम्मत सिफारिशें स्वीकार करने तथा संसद के अगले सत्र में यह विधेयक पेश करने के लिए सरकार को मजबूर किया जा सके। जनरल कौंसिल को इस मामले में अपने रुख का निर्धारण करना होगा।

6. भविश्य निधि में श्रमिकों की बचतों के शुद्ध मूल्य का क्षरण

6.1 मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ने के कारण पिछले कई वर्षो से भविष्य निधि में जमा श्रमिकों की बचतों के शुद्ध मूल्य का जबरदस्त क्षरण हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय बोर्ड में शामिल श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने इस क्षरण को रोकने के उद्देश्य से भविष्य निधि बचतों पर ब्याज की दर बढ़ाने की मांग बार–बार की है और वे समय–समय पर सरकार को इसके लिए प्रेरित भी करते रहे हैं; वे चाहते हैं कि श्रमिकों के गाढ़े खून–पसीने की कमाई में से इकट्ठी की गई इस राशि के क्षरण को रोका जाए किन्तु सरकार उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मजदूरों के प्रतिनिधियों की राय की अनदेखी करके भविष्य निधि की ब्याज दरें 8.5 प्रतिशत निश्चित की गई। जहां मुद्रा स्फीति की दर 11.5 प्रतिशत' हो वहां भविष्य निधि की ब्याज दर 8.5 प्रतिशत रखने का अर्थ है मजदूरों की बचतों के शुद्ध मूल्य में 3 प्रतिशत का क्षरण होना। और मुद्रा स्फीति अथवा महंगाई की दर बराबर बढ़ती चली जा रही है। यह रुकने का नाम नहीं ले रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार भविष्य निधि की बचत राशि का शुद्ध मूल्य नकारात्मक हुआ है। यदि कम से कम 12 प्रतिशत ब्याज दिया जाता है तो किसी सीमा तक इसके शुद्ध मूल्य को बनाए रखा जा सकता है। यदि हम चाहते हैं कि बचत का शुद्ध मूल्य की स्थिरता बनी रहे और इसमें और गिरावट न आए तो भी यह अंक गणित की साधारण गणना का प्रश्न है। सीआइटीयू ने पिछली 5 जुलाई 2008 को आयोजित भविष्य निधि न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठक में मांग की थी कि वर्ष 2008–09 के लिए भविष्य निधि की जमा राशियों पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाए ताकि जमा राशियों के शुद्ध मूल्य में और क्षरण को रोका जा सके। इंटक के प्रतिनिधि ने सीआइटीयू के प्रतिनिधि की इस मांग का समर्थन नहीं किया था जबकि एटक और एचएमएस ने हमारी मांग का समर्थन किया है। सीआइटीयू तथा दूसरी

दो और यूनियनों के प्रतिनिधियों ने मांग की थी कि इस गम्भीर समस्या पर विचार करने के लिए प्रधान मंत्री के साथ बैठक की जाए। इसलिए वर्ष 2008–09 के लिए ब्याज दर के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया जा सका।

6.2 इसी बीच श्रमिकों के मामले पर विचार करने के लिए प्रधान मंत्री की ओर से बनाई गई त्रिपक्षीय समिति ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि यदि किसी कारखाने अथवा उपक्रम में मजदूरों की संख्या केवल दस अथवा उससे अधिक है तो भी उन मजदूरों को भविष्य निधि का सदस्य बनाया जाए। मौजूदा संख्या 20 अथवा उससे अधिक है। उसकी ओर से 12 मई 2008 को पेश की गई रिपोर्ट के आधार पर सरकार इसे लागू करने के लिए सहमत हो गई थी। भविष्य निधि न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड अथवा सीबीटी में उन कारखानों के मजदूरों को भविष्य निधि योजना के सदस्य बनाने पर सर्वसम्मति से सहमति हो गई थी जहां काम करने वाले मजदूरों की संख्या दस तक है।

7. कामकाजी महिलाएं

7.1 सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन ने सभी राज्यों में कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों का गठन करने और कामकाजी महिलाओं के बीच काम करने के लिए उपयुक्त संख्या में कार्यकर्ताओं का आबंटन करने के फैसले को दोहराया था। उसने उन सभी सम्बद्ध यूनियनों तथा औद्योगिक महासंघों में कामकाजी महिलाओं के लिए उपसमितियों का गठन करने के फैसले को भी दोहराया था जहां कामकाजी महिलाओं की एक बड़ी संख्या काम करती है। इस मामले में जो प्रगति हुई है वह उत्साहवर्धक नहीं।

बारहवें महाधिवेशन ने विभिन्न स्तरों पर कामकाजी महिलाओं की समन्वय समितियों की भूमिका एवं कार्यों पर हमारे सदस्यों के बीच सामान्य समझदारी को विकसित करने के महत्त्व को भी रेखांकित किया था। सीआइटीयू. के साथियों को इसके लिए कुछ प्रयास करने होंगे और ये प्रयास जारी रखे जाने की जरूरत है।

7.2 महिलाओं के बीच बेरोजगारी की गम्भीर समस्या बनी हुई है और उन्हें अपने परिवारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ कमाने की जरूरत होती है; सरकार उनका शोषण करती है; उन्हें काम तो दिया जाता है पर उसके लिए गरिमापूर्ण वेतन अथवा पारिश्रमिक नहीं दिया जाता; उन्हें न पक्का किया जाता है और न ही उनके लिए निश्चित आय की गारंटी दी जाती है। सीआइटीयू को इस स्थिति में आगे बढ़ कर महिलाओं को संगठित करके उन्हें श्रमिक आंदोलन की पंक्तियों में शामिल करना चाहिए। लाखों महिलाओं को चुना जाता है; उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है; फिर उनकी भर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम आशा अथवा मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए की जाती है; देश के 18 राज्यों में इस कार्यक्रम को अमल में लाया जा रहा है। ये महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं और उनमें से अधिकतर सामाजिक तौर पर दबी कुचली श्रेणियों के साथ सम्बन्ध रखती हैं। उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। केवल प्रोत्साहन दिया जाता है। और प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी नियमित रूप से नहीं किया जाता। अनेक राज्यों में हमारी राज्य समितियों की ओर से 'आशा' कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा रहा है। उनकी मांगों पर कुछ आंदोलन भी चलाए गए हैं।

7.3 इसी प्रकार लाखों महिलाएं भारत सरकार के दोपहर के खाने की योजना के अन्तर्गत दोपहर का खाना देने वाले कार्यकर्ताओं के रूप में काम कर रही हैं। कुछ राज्यों में उन्हें इसके लिए अत्यंत अल्प वेतन दिया जाता है जबकि दूसरे राज्यों में यह काम "अपनी सहायता खुद करने वाले समूहों" अर्थात् सेल्फ हैल्प ग्रुप्स को दे दिया गया है किन्तु उन्हें समुचित अंदरूनी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस काम में लगी महिलाओं को न वेतन दिया जाता है और न ही उनके बिलों का भुगतान नियमित रूप से किया जाता है। अनेक राज्यों में हमारी राज्य समितियों की ओर से दोपहर का खाना देने वाले कार्यकर्ताओं को संगठित किया जा रहा है।

7.4 सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल ने आशा तथा दोपहर का खाना देने वाले कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर विचार किया है और कामकाजी महिलाओं की इस श्रेणी की मांगों को लेकर देशव्यापी आंदोलन विकसित करने के महत्त्व को रेखांकित किया है। सीआइटीयू की राज्य समितियों को जहां कहीं सम्भव हो सके 'आशा' तथा दोपहर का खाना देने वाले कार्यकर्ताओं को संगठित करने के प्रयास करने चाहिएं। कामकाजी महिलाओं की इन श्रेणियों को संगठित करने के काम में आंगनवाड़ी कर्मचारी भी सहायता कर सकते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी, 'आशा' और दोपहर का खाना देने वाले कार्यकर्ता एकजुट होकर ग्रामीण स्तर पर सीआइटीयू की गतिविधियों का केन्द्रीय धुरी बन सकते हैं।

8. आने वाले संघर्ष

8.1.1 इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान जो घटनाएं घटी हैं उनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय घटना पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के मूल्यों में बढ़ोतरी किए जाने के सरकार के फैसले के खिलाफ उपजी विरोध की सहज स्वाभाविक कार्रवाईयां हैं। सरकार ने 4 जून 2008 को मूल्य बढ़ाने की घोषणा की थी और उसके अगले दिन अर्थात् 5 जून को ही लोगों के सहज स्वाभाविक विरोध कार्रवाईयों की झड़ी लग गई; अनेक स्थानों पर विरोध प्रदर्शन किए गए; जगह जगह सड़कों पर यातायात ठप्प किया गया; रेलें रोकी गईं; धरने दिए गए और दूसरे ढंग से विरोध व्यक्त किया गया। इस तरह की कार्रवाईयां श्रीनगर से लेकर कन्या कुमारी तक देश के सभी राज्यों में हुई और मजदूर वर्ग ने इनमें अग्रणी भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में 5 जून को ही पूर्ण बंद का आयोजन किया गया। इसके बाद वाम पक्षी दलों के आह्वान पर जोरदार हड़तालें की गईं; आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में 6 जून को; तमिलनाडु में 7 जून को; असम में 9 जून को; बिहार तथा झारखण्ड में 10 जून को हड़ताल का आयोजन किया गया जिसमें मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इन सभी राज्यों में हड़ताल को जनता का शानदार प्रत्युत्तर मिला।

8.1.2 इस मध्यवर्ती अवधि में अनेक सेक्टर वार संघर्ष भी होते देखे गए और श्रमिक संघों द्वारा पहलकदमियां किए जाने के फलस्वरूप विरोध की अनेक राज्य स्तरीय़ कार्रवाईयां भी की गई। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपयुक्त कानून बनाने की मांग को लेकर चलाया गया अभियान उन सभी कार्रवाईयों में उल्लेखनीय रहा जिसकी चरम परिणति 19 फरवरी 2008 को रैलियों एवं प्रदर्शनों के आयोजन के माध्यम से मनाए गए अखिल भारतीय मांग दिवस के रूप में हुई। 19 दिसम्बर, 2007 को आयोजित संविदा श्रमिकों की अखिल भारतीय कन्वेंशन मे लिए गए निर्णय के अनुसार 7 जनवरी 2008 को पूरे देश भर में संविदा श्रमिकों की ओर से अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया गया तथा संयुक्त अभियान चलाया गया।

8.1.3 आंगनवाड़ी कर्मचारियों की ओर से 18 फरवरी, 2008 को संसद के समक्ष विशाल प्रदर्शन किया गया। उन्होंने इस अवसर पर अपनी मांगों के पक्ष में दो करोड़ लोगों के हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका भेंट की गई। इसका आह्वान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की अखिल भारतीय फैडरेशन द्वारा किया गया था। फैडरेशन नियमितीकरण, न्यूनतम वेतनों, सेवा निवश्ति के लाभों जैसी आंगनवाड़ी कर्मचारियों की मांगों को पूरा कराने के लिए और अभियान एवं संघर्ष चलाने की योजना बना रही है।

8.1.4 बैंक कर्मचारियों की ओर से भी युनाइटिड फोर्म ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशव्यापी प्रदर्शनों का आयोजन किया गया और मार्च 2008 में प्रस्तावित दो दिवसीय हड़ताल के लिए जोरदार अभियान चलाया गया। इंडियन बैंकस् एसोसिएशन्स द्वारा मांगों पर बातचीत करके समाधान निकालने का आश्वासन दिए जाने पर यह हड़ताल वापस ले ली गई थी।

8.1.5 केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से छटे वेतन आयोग की रिपोर्ट जिसे हाल ही में सरकार को भेंट किया गया है, की पक्षपाती एवं नकारात्मक सिफारिशों के विरोध में संघर्ष की तैयारी की जाती रही है। देशव्यापी

विरोध की कार्रवाईयां पहले ही हो चुकी हैं और अनेक स्थानों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी उन कार्रवाईयों में भाग लिया। आयोग की सिफारिशें घोर पक्षपाती हैं और जहां तक मजदूरों और कर्मचारियों का सम्बन्ध है, उसने उनके लिए बहुत कम वेतन वृद्धि की सिफारिश की है जबकि शीर्ष स्तर पर बैठे नौकरशाहों के वेतनों में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। आयोग ने संविदाकरण और सम्बन्धित रोजगारों में आउटसोर्सिंग के लिए मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से ग्रुप डी पदों को समाप्त करने की सिफारिश की है। आयोग ने अपने विचारार्थ विषयों से बाहर जाकर असला कारखानों और रेलवे का नैगमकरण करने की सिफारिश कर डाली है ताकि उनके निजीकरण का रास्ता साफ किया जा सके। सीजीएचएस योजना को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने की मांग की गई। आयोग की सिफारिशों के कई और नकारात्मक पहलु हैं। सरकारी कर्मचारियों को देशव्यापी संघर्ष चला कर उनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ये मुद्दे गम्भीर तथा महत्त्वपूर्ण हैं। भले ही ये सीधे तौर पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अपनी चपेट में नहीं लेते पर राज्य सरकार के कर्मचारियों, अध्यापकों तथा राज्यों के विभिन्न उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तो तथा वेतनों पर असर जरूर डालते हैं।

8.1.6 कोयला मजदूरों द्वारा संविदाकरण तथा आउटसोर्सिंग के खिलाफ उद्योगवार आंदोलन एवं संघर्ष चलाए गए। उनमें सबसे उल्लेखनीय कार्रवाई वेस्टर्न कोलफील्डस् में हड़ताल की सफल कार्रवाई रही है जिसके कारण प्रबंधन को आंशिक तौर पीछे हटने पर मजबूर हो जाना पड़ा।

8.1.7 टेलीकाम कर्मचारियों ने भी बीएसएनएल के शेयर बेचे जाने की सरकार की कार्रवाई के खिलाफ हड़ताल की संयुक्त कार्रवाई करने के लिए पहलकदमी की है और इस तरह उन्होंने सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जून मास में टेलीकाम कर्मचारियों ने उस समय एक बार फिर देशव्यापी प्रदर्शन किए थे जब सरकार ने बीएसएनएल को स्टाक एक्सचेंज की सूची में शामिल करने की घोषणा की थी।

8.1.8 एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात् भारतीय वायुपत्तण प्राधिकरण के कर्मचारियों की ओर से देश के सभी हवाई अड्डों पर हड़ताल की दो दिवसीय कार्रवाई की गई। वे बंगलौर तथा हैदराबाद में एएआइ के हवाई अड्डों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए जाने के खिलाफ अपने विरोध का इजहार कर रहे थे। हड़ताल में शत प्रतिशत कर्मचारियों ने भाग लिया। इस संघर्ष में सीआइटीयू के नेतृत्व ने सक्रिय भूमिका निभाई और उसने इस मुद्दे को सरकार तथा प्रबंधन के पास उठाया। यद्यपि इन हवाई अड्डों को बंद होने से रोका नहीं जा सका।

8.1.9 दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद तथा नोएडा में 24 तथा 25 अप्रैल, 2008 को दो दिवसीय औद्योगिक हड़ताल की गई। हड़ताल करने वाले मजदूर मांग कर रहे थे कि उनके न्यूनतम वेतनों में बढ़ोतरी की जाए और सभी श्रम कानूनों को लागू किया जाए। यह हड़ताल सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति की पहलकदमी पर हुई थी जो मध्यवर्ती अवधि की एक उल्लेखनीय कार्रवाई है। लगभग सात लाख मजदूरों ने हड़ताल की इस कार्रवाई में भाग लिया था जिसका दिल्ली तथा इसके साथ लगते क्षेत्रों के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

8.1.10 सीआइटीयू की आंध्र प्रदेश राज्य समिति की ओर से दूसरे जन संगठनों के साथ मिल कर सरकार की आर्थिक नीति के खिलाफ सघन अभियान चलाया गया। यह अभियान फरवरी में शुरू हुआ था और इसकी चरम परिणति 19 मार्च, 2008 को हैदराबाद में आयोजित एक विशाल मार्च से हुई जिसमें 25000 से भी अधिक मजदूरों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों ने भाग लिया। दूसरे जन संगठनों के सदस्यों ने भी इस मार्च में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। इस कार्यक्रम के बाद 26 मार्च 2008 को सभी जिलों में जिला कलेक्टर के कार्यालयों के आगे सामूहिक धरने दिए गए। इसी प्रकार सीआइटीयू की हरियाणा राज्य समिति की ओर से तीन महीने तक अभियान चलाया गया जिसकी चरम परिणति 6 अप्रैल 2008 को हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय रैली के साथ हुई। इसी राज्य में फरवरी–अप्रैल के दौरान ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूरों की ओर से विरोध की विभिन्न कार्रवाईयां की गई जिनमें चौदह जिलों में दो एवं तीन दिवसीय हड़ताल भी शामिल है। इसी हड़ताल के फलस्वरूप यूनियन तथा भट्ठा मालिकों एवं उनकी एसोसिएशन के बीच वेतनों को अंतिम रूप दिए जाने का समझौता

सफलतापूर्वक हो सका था। पानीपत में धागा मिलों के 30000 मजदूरों ने अप्रैल 2008 में जोरदार हड़ताल की जिसके कारण सेवायोजकों तथा प्रशासन को कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतन, आठ घण्टे के कामकाजी दिवस, पीएफ, ईएसआइ इत्यादि पर मजदूरों की मांगें मान लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वेतनों की ऊपरी सीमा में संशोधन तथा श्रम कानूनों को लागू किए जाने की मांग को लेकर दो महीनों तक अभियान चलाया गया जिसकी चरम परिणति 12 जून 2008 को रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रैली के साथ हुई।

8.1.11 हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा तथा कुछ और राज्यों से भी सीआइटीयू की पहलकदमियों पर ट्रेड यूनियन संघर्षो के समाचार मिले हैं। इनकी रिपोर्ट अलग से दी जा रही है।

8.1.12 संघर्ष की इन सभी कार्रवाईयों का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय पहलु यह रहा कि मजदूरों की ओर से सीआइटीयू के सभी आह्वानों का जोरदार प्रत्युत्तर दिया गया। जहां कहीं भी हमने मजदूरों की विशेष समस्याओं का समाधान ढूंढ निकालने के उद्देश्य से मजदूरों के साथ सम्पर्क स्थापित किया और उनकी मांगों को उठाया है वहां उनकी ओर से व्यापक स्तर पर सीआइटीयू की पहलकदमियों का प्रत्युत्तर दिया गया। न्यूनतम वेतनों को लागू किए जाने और श्रम कानून लागू करने के लिए चलाए गए अभियानों में मजदूरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चाहे दिल्ली जिसमें गाजियाबाद, फरीदाबाद और नोएडा भी शामिल है, में दो दिवसीय औद्योगिक हड़ताल रही हो, पानीपत में हड़ताल हुई हो अथवा हिसार में रैली का आयोजन किया गया हो, उन सब में मजदूरों की जबरदस्त भागीदारी रही है। हमें मजदूर वर्ग की ज्वलंत समस्याओं को उठाना चाहिए और विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले मजदूरों की मांगों को लेकर सेक्टरवार संघर्ष के कार्यक्रमों एवं राज्यव्यापी आंदोलनों की योजना बनानी चाहिए। हमें कुछ विशेष उद्योगों पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा। इस तरह हम राज्यव्यापी संघर्षो के माध्यम से सरकार पर दबाव डाल सकेंगे। इनके फलस्वरूप मजदूरों विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों में संघर्ष के प्रति विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस अवधि में विभिन्न सेक्टरों और राज्यों में चलाए गए संघर्षो एवं आंदोलनों का हमारा अनुभव यही दर्शाता है।

8.2 सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का संयुक्त आंदोलन

8.2.1 प्रधान मंत्री के साथ 28 अप्रैल, 2008 को हुई मुलाकात के फलस्वरूप 7 मई की प्रस्तावित हड़ताल को वापस ले लिए जाने के बाद सीपीएसटीयू के आह्वान पर सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिकों का संयुक्त आंदोलन एक नए चरण में दाखिल हो चुका है।

8.2.2 सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन वार्ता के सातवें चक्र के संदर्भ में पीएसयू श्रमिकों के आंदोलन के संयुक्त मंच सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संघाों की समिति अर्थात् सीपीएसटीयू अधोलिखित बुनियादी मांगों के आधार पर वर्ष 2007 में पूरा समय प्रचार एवं आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम चलाती रही है; इसकी सूचना पहली बैठकों में दी जाती रही है: 1) समझौते की अवधि किसी भी कीमत पर पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, 2) श्रमिकों एवं कार्यकारी अधिकारियों के वेतनों एवं भत्तों के बीच के अंतर को पहले की अपेक्षा तर्क संगत बनाना जिसके चलते पिछली वेतन वार्ताओं पर व्यापक तौर पर इसका खराब प्रभाव पड़ा था, 3) मूल वेतन की प्रतिशतता के रूप में वार्षिक वेतन वृद्धि की गणना प्रत्येक वर्ष संचित राशि के आधार पर की जाए, 4) सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उपक्रमों के कर्मचारियों के वेतनों में संशोधन किया जाए और इन इकाईयों के पुनरुद्धार के लिए वित्तीय एवं नीतिगत सहायता दी जाए, 5) सार्वजनिक इकाईयों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाए; उन्हें कम से कम सम्बन्धित इकाईयों में काम करने वाले स्थायी श्रमिकों को मिलने वाले न्यूनतम वेतन और दूसरे सेवा लाभ उपलब्ध कराए जाएं, 6) मौजूदा मूल वेतन के पचास प्रतिशत के बराबर राशि को मूल वेतन में विलीन किया जाए जो 1–4–2004 से प्रभावी हो, 7) सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की नयी भर्ती करके सभी रिक्त पदों को भरा जाए।

8.2.3 पिछले एक वर्ष अथवा लगभग इतने ही समय से सार्वजनिक उपक्रमों में सक्रिय श्रमिक संघों की तीन राष्ट्रीय स्तर की बैठकें हो चुकी हैं। इनका आयोजन 11 मार्च 2007, 16 सितम्बर 2007 तथा 17–18 फरवरी 2008 को दिल्ली, नासिक तथा हैदराबाद में किया गया था। हैदराबाद में फरवरी 2008 को आयोजित पीएसयू की बैठक में नियमित श्रमिकों की यूनियनों के नेताओं के साथ–साथ संविदा श्रमिकों के नेताओं ने भी भाग लिया था। हैदराबाद कन्वेंशन में 7 मई, 2008 को सार्वजनिक इकाईयों में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। हड़ताल की तैयारी के लिए आंदोलन एवं अभियान के अनेक कार्यक्रमों का निर्धारण भी किया गया था। सीपीएसटीयू के प्रतिनिधिमण्डल के प्रधान मंत्री से भेंट किए जाने के बाद 7 मई की हड़ताल के कार्यक्रम को निलम्बित रखा गया था। इस बैठक के बाद सरकार ने आखिरकार एक दिशा निदेश जारी कर ही दिया जिसमें वेतन समझौते की अवधि पांच वर्ष रखने की अनुमति दी गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के संघर्ष की यह एक उल्लेखनीय सफलता थी, इसमें संदेह नहीं। किन्तु इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं। इनमें केन्द्रीय मुद्दा सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के वेतनों में संशोधन करने का है जिसे नियमित श्रमिकों के वेतनों में संशोधन के साथ–साथ किया जाना चाहिए। विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में आगामी वेतन वार्ताओं के समय इस अत्यंत महत्त्वपूर्ण मांग को आगे बढ़ाने के लिए सीआइटीयू को आगे आकर पहलकदमी करनी होगी। इसके लिए उद्योग एवं उद्यम स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर नियमित एवं संविदा श्रमिकों के संयुक्त आंदोलनों को विकसित करना होगा।

8.3 देशव्यापी संयुक्त आंदोलनों के लिए पहलकदमी

8.3.1 इस मध्यवर्ती अवधि में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में उन क्षेत्रों पर नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के दुष्प्रभावों के खिलाफ और उसके साथ–साथ मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त संघर्ष चलाए गए। उन संघर्षों में सबसे अधिक उल्लेखनीय पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, महाराष्ट्र तथा कोयला खदानों के क्षेत्रों में चलाया गया संयुक्त संघर्ष और लामबंदी है। बैंकों, बीमा, टेलीकाम, बंदरगाहों, परिवहन तथा दूसरे क्षेत्रों में भी इसी तरह के संघर्षों के लिए संयुक्त रूप से पहलकदमियां की गई। सीआइटीयू तथा हमारी आंगनवाड़ी फैडरेशन की ओर से आइसीडीएस के तथाकथित पुनर्गठन, विनियमन तथा निजीकरण के खिलाफ संयुक्त संघर्ष को विकसित करने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं।

8.3.2 देश के विभिन्न भागों में हुए सेक्टरवार संघर्षों के साथ–साथ हमें जन विरोधी आर्थिक नीतियों के खिलाफ संयुक्त अभियानों एवं आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी। ट्रेड यूनियनों की आयोजन समिति राज्य एवं उद्योग स्तरीय कन्वेंशनों तथा दूसरे कार्यक्रमों के माध्यम से दो महीने तक अभियान चलाए जाने के बाद 4–5 दिसम्बर 2007 को व्यापक स्तर पर सत्याग्रह के लिए आह्वान किया गया था। सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ निदेशित बीस सूत्रीय मांगों के आधार पर चलाए गए अभियान के एक भाग के रूप में विशाल रैलियों, धरनों, सड़क जाम तथा गिरतारियां देने जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे।

8.3.3 आयोजन समिति ने बजट पूर्व विचार विमर्श के समय सरकार के सामने पेश किए गए मुद्दों पर सामान दृष्टिकोण अपनाया था। उसने सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों के संयुक्त संघर्ष जिसमें हड़ताल भी शामिल है, के प्रति एकजुटता का इजहार करने का फैसला भी किया था।

8.3.4 श्रमिक संघों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 13 मई को नयी दिल्ली में किया गया था। इस सम्मेलन में संघर्ष के नए चरण का कार्यक्रम बनाया गया। कन्वेंशन ने 20 अगस्त को अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल करने का निश्चय किया और उससे पूर्व 30 जुलाई को राज्य स्तरीय कन्वेंशनों तथा राज्य स्तरीय विशाल प्रदर्शनों का आयोजन करने का फैसला किया गया। कन्वेंशन की ओर से निम्नलिखित मांगों के लिए हड़ताल और संघर्ष के दूसरे कार्यक्रम चलाने का आह्वान किया गया: 1. (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पूरे देश में लागू करके और इस प्रणाली के माध्यम से सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुएं नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध करा कर, (ख) सभी अनिवार्य

उपभोक्ता वस्तुओं के वादा एवं अग्रिम व्यापार पर प्रतिबंध लगा कर, (ग) पेट्रोल तथा डीज़ल पर करों का बोझ कम करके, (घ) गल्ला खोरी और काला बाजारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाना। 2. सभी श्रम कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए विशेष तौर पर न्यूनतम वेतन, काम के घण्टों, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षा से सम्बन्ध रखने वाले कानूनों के उल्लंघन के सभी मामलों में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। 3. असंगठित क्षेत्र में चलने वाले उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस) और श्रम सम्बन्धी स्थायी समिति की ओर से सर्वसम्मति से की गई सिफारिशों के अनुसार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए असंगठित क्षेत्र से सम्बन्धित सामाजिक सुरक्षा विधेयक जो अभी तक पारित नहीं किया गया तथा संसद में लम्बित पड़ा है, को और व्यापक बनाया जाए। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी मजदूरों एवं कामगारों को इसके दायरे में लाया जाए भले ही वे गरीबी की रेखा के नीचे अथवा गरीबी की रेखा के ऊपर क्यों न रह रहे हों। इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कोष में से धन दिया जाए। 4. किसानों की ऋण माफी योजना को निजी क्षेत्र के सूदखोरों से लिए गए ऋणों पर भी लागू किया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कम ब्याज दरों पर किसानों को आसान ऋण उपलब्ध कराया जाए। 5. सरकारी सेवाओं में नयी भर्ती पर लगा प्रतिबंध समाप्त किया जाए; छटे वेतन आयोग की सिफारिशों के उस भाग को रद्द कर दिया जाए जो न केवल नकारात्मक है बल्कि भेदभावपूर्ण भी है और कर्मचारियों के संगठनों के साथ विचार विमर्श करने के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाए। 6. सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए वेतन वार्ता जल्द से जल्द शुरू की जाए और इन उपक्रमों में काम करने वाले ठेका श्रमिकों के मुद्दे को भी बिना शर्त इन वार्ताओं में लिया जाए।

8.3.5 राज्य स्तरीय संयुक्त कन्वेंशनों में मजदूरों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों की जोरदार भागीदारी हो और इसके लिए आंदोलन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तृण मूल स्तर पर सघन एवं स्वतंत्र अभियान चलाने के उद्देश्य से सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों, सम्बद्ध यूनियनों तथा औद्योगिक फैडरेशनों को अनिवार्य रूप से पहलकदमियां करनी होंगी और उसके बाद देशव्यापी हड़ताल के लिए संयुक्त अभियान चलाना होगा। 30 जुलाई को सभी राज्यों तथा औद्योगिक केन्द्रों में आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय प्रदर्शनों में मजदूरों की जोरदार भागीदारी हो, हमें इसे यकीनी बनाना होगा। एक जोरदार और प्रभावशाली हड़ताल के लिए यह काम निर्णायक महत्त्व का है।

9. दो अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन

9.1 इस मध्यवर्ती अवधि में देश में दो महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया और सीआइटीयू ने इनके आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई है। इन दोनों सम्मेलनों में सीआइटीयू ने बड़ी सांगठनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। सम्बन्धित सेक्टरों और क्षेत्रों में सक्रिय अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन भाईचारे की हमसे यही अपेक्षा थी और हमने प्रभावशाली तरीके से अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा किया है। इन अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों के निष्कर्षों का निर्धारण करने में भी हमने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

9.2 कोयला खनिकों के अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 14–16 दिसम्बर 2007 को कोलकाता में किया गया था। विश्व के चौदह देशों के एक सौ से भी अधिक प्रतिनिधियों ने आइसीटीयू अथवा डब्ल्यूएफटीयू की सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन ने भूमण्डलीयकरण के संदर्भ में कोयला खनिकों तथा कोयला उद्योग के सामने उपस्थित विभिन्न चुनौतियों पर विचार किया। सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया, बेलजियम, कैनेडा, कोलम्बिया, फ्रांस, जर्मनी, मंगोलिया, न्यू जीलैंड, पोलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, युनाइटिड किंगडम तथा भारत का प्रतिनिधित्व हुआ।

9.3 भूमण्डलीयकरण के खिलाफ तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों के लिए दक्षिण की पहलकदमी (सिगटुर) के सम्मेलन का आयोजन 19–23 अप्रैल 2008 को कोची में किया गया। इस सम्मेलन में भारत सहित 19 देशों के प्रतिनिधियों

ने भाग लिया। अनेक यूनियनें आइटीयूसी (पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं के बर्चस्व वाली), डब्ल्यूएफटीयू (श्रेणी आधारित वाम पंथी ट्रेड यूनियन संगठन) के साथ सम्बद्ध थीं तथा अनेक यूनियनें स्वतंत्र यूनियनें थीं। उन सब की ओर से साम्राज्यवादी भूमण्डलीयकरण के खिलाफ एक समान रुख अपनाया गया। यह सिगटुर आंदोलन की सफलता है। इससे यह तथ्य और जोरदार तरीके से उभर कर सामने आता है कि भूमण्डलीयकरण विरोधी आंदोलन विश्व के सभी महाद्वीपों में दिन प्रतिदिन मजबूत होता चला जा रहा है।

10. सीआइटीयू की पत्रिकाएं

10.1 सीआइटीयू केन्द्र की ओर से चार पत्रिकाओं – द वर्किंग क्लास, द वॉयस ऑफ वर्किंग विमन (दोनों अंग्रेजी में), सीटू मजदूर तथा पत्रिका (दोनों हिन्दी में) का प्रकाशन किया जा रहा है। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन नियमित रूप से किया जा रहा है और सीआइटीयू केन्द्र इनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहा है। इन पत्रिकाओं को अधिक सूचना परक, आकर्षक तथा शिक्षाप्रद बनाने के लिए यत्न किए जा रहे हैं। तथापि इन पत्रिकाओं की प्रसार संख्या चिंता का विषय बनी हुई है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा इत्यादि राज्य समितियों की ओर से स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है। किन्तु हिन्दी भाषी क्षेत्र में किसी राज्य समिति की ओर से इस समय किसी पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जा रहा। इन राज्यों में सीआइटीयू पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए बहुत कम प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी पत्रिका सीटू मजदूर की सबसे अधिक प्रसार संख्या पश्चिम बंगाल में है और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक प्रतियां जाती हैं जो अपेक्षाकृत एक छोटा राज्य है। यह एक सर्वाधिक उल्लेखनीय तथ्य है। दूसरे बड़े हिन्दी भाषी राज्य इस मामले में बहुत पीछे हैं। इस प्रसार संख्या (सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाने वाले सीटू मजदूर के अलावा) पर नजर डालें तो पता चल जाएगा कि हमारी राज्य समितियों/अनेक उद्योग स्तरीय नेताओं और समितियों के अनेक सदस्य द वर्किंग क्लास तथा सीटू मजदूर नहीं मंगाते। इस तरह की कमियों का हमारे आंदोलन के निर्णायक पर चलाए जाने वाले अभियानों की गुणवत्ता पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारे संगठन भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। यह हमारी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या की पुरानी समस्या है जो पत्रिकाओं की निर्णायक भूमिका के बारे में हमारे भीतर समझ की भारी कमी को दर्शाती है। हम समझ नहीं पाते कि हमारे पत्रिकाएं हमारे संगठन तथा आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। यह कमजोरी एक और तथ्य के रूप में भी प्रतिबिम्बित होती है; हमारी अधिकांश राज्य समितियां अपनी गतिविधियों, आंदोलनों तथा दूसरे कार्यक्रमों के समाचार सीआइटीयू की पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए नहीं भेजती हैं।

10.2 पत्रिकाओं के प्रकाशन एवं प्रसार संख्या के मुद्दे पर सीआइटीयू सचिव मण्डल में विचार किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में सीआइटीयू की सभी राज्य स्तरीय पत्रिकाओं के सम्पादकों एवं प्रभारी साथियों की एक बैठक 7 जुलाई, 2008 को बुलाई गई थी। इस बैठक में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि पांच राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में बहस के दौरान उपरोक्त मुद्दे पूरे विस्तार में उभर कर सामने आए। केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य समितियों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सभी पत्रिकाओं की मिली जुली प्रसार संख्या एक लाख के लगभग है। इसे उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता। श्रमिकों की विशाल संख्या में हमारी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या बढ़ाने के लिए तत्काल रूप से एक संगठित अभियान चलाए जाने की जरूरत है। यह काम एक निश्चित समय सीमा में करना होगा ताकि यूनियन स्तर पर हमारे पढ़े लिखे साथी सीआइटीयू की पत्रिकाओं के ग्राहक बन सकें। सीआइटीयू केन्द्र तथा राज्यों में काम करने वाले सभी साथियों द्वारा पत्रिकाओं के उचित एवं नियमित सम्पादन, प्रत्येक मुद्दे पर विषय सूची के निर्धारण, गतिविधियों के समाचारों में संतुलन बनाए रखने, प्रासंगिक सूचनाओं, घटनाओं तथा लेखों को पत्रिकाओं की विषय सूची में शामिल किए जाने के मामले में पाई जाने वाली गम्भीर कमियों की ओर ध्यान दिलाया गया। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए सभी स्तरों पर पूरी गम्भीरता के साथ अभियान चलाने का फैसला किया गया ताकि केन्द्र एवं राज्यों की ओर से प्रकाशित की जाने वाली पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के साथ–साथ हमारे साथियों तथा मजदूरों के लिए शिक्षाप्रद बनाया जा सके। इकाई स्तर से लेकर राज्य केन्द्र और राज्य केन्द्र से लेकर सीआइटीयू के अखिल भारतीय केन्द्र

में नियमित रूप से समाचारों/लेखों इत्यादि को भेजा जाए तथा पत्रिकाओं की प्रसार संख्या को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया जाए इसके लिए भी पूरी गम्भीरता के साथ अभियान चलाने का निश्चय भी किया गया।

11. सदस्यता

11.1 यद्यपि केन्द्र के पास अभी वर्ष 2007 के लिए वार्षिक विवरणियां तथा सम्बद्धता शुल्क हासिल करने का समय है; केन्द्र को अभी तक वर्ष 2006 के सदस्यता की वार्षिक विवरणियां पूरी तरह प्राप्त नहीं हुई हैं और उनका बड़ा हिस्सा (वर्ष 2005 की तुलना में) अभी मिलना शेष है; इसलिए यह एक गम्भीर चिंता का विषय बना हुआ है। एक बार फिर कहेंगे हमें वर्ष 2006 के लिए काफी संख्या में वार्षिक विवरणियां हासिल हुई हैं किन्तु उनके लिए सम्बद्धता शुल्क का भुगतान नहीं किया गया।

11.2 उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कैलण्डर वर्ष के लिए सम्बन्धित राज्य के श्रम विभाग के पास अगले वर्ष के अप्रैल मास तक सदस्यता की वार्षिक विवरणियां भेजना कानूनी तौर पर अनिवार्य है। अब 2008 का जून मास भी बीत चुका है और अभी तक हमारी यूनियनों ने वर्ष 2006 के लिए भी वार्षिक विवरणियों की प्रतियां हमें नहीं भेजी है। इतना बड़ा बैकलाग इस तरह के संदेह को जन्म देता है कि क्या हमारी यूनियनों ने सम्बन्धित अधिकारियों को वर्ष 2006 के लिए वार्षिक विवरणां भेजी भी हैं? यह एक गम्भीर मामला है क्योंकि सीआइटीयू हाल ही में प्रकाशित वेरिफिकेशन नतीजों में लगभग 8 लाख की सदस्यता को खो चुका है। इस गम्भीर क्षति का एक प्रमुख कारण यही रहा कि हमारी यूनियनों ने समय पर अपनी सदस्यता की वार्षिक विवरणियां, सदस्यता रजिस्टर इत्यादि सम्बन्धित अधिकारियों के पास नहीं भेजे और न ही उन्होंने सदस्यों का भौतिक रूप में सत्यापन कराने के लिए सरकार द्वारा भेजी गई सूचनाओं का समय पर जवाब दिया है। वेरिफिकेशन के नतीजे आघातपूर्ण हैं और यह दुर्भाग्य का विषय है कि यूनियन स्तर पर हमारा नेतत्त्व इस पुरानी बीमारी से छुटकारा हासिल करने के मामले में संजीदा एवं संवेदनशील नहीं हुआ है।

11.3 केन्द्र को वर्ष 2006 के लिए 30 जून 2008 तक मिली वार्षिक विवरणियों के अनुसार पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अण्डेमान, छत्तीसगढ़, पंजाब तथा झारखण्ड ने वर्ष 2006 के लिए वार्षिक विवरणियां भेज दी हैं जिनसे पता चलता है कि उनकी सदस्य संख्या उतनी या उससे अधिक है जो वर्ष 2005 में थी। हिमाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक की ओर से 2006 के लिए वार्षिक विवरणियों में 75 प्रतिशत से अधिक 2005 की सदस्यता आ जाती है जबकि केरल में लगभग 30 प्रतिशत पुरानी सदस्यता है। उसकी ओर से 2006 के लिए वार्षिक विवरणियां अभी केन्द्र को नहीं मिली हैं। हरियाणा में उनके लगभग 75 प्रतिशत सदस्यों (2005) के वर्ष 2006 के लिए वार्षिक विवरणियां और सम्बद्धता शुल्क का के बकाया हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, गुजरात जैसे राज्यों की स्थिति और भी खराब है।

11.4 हमने वर्ष 2007 के लिए हमारी कुल सदस्य संख्या की लगभग 50 प्रतिशत वार्षिक विवरणियां हासिल की हैं और वह भी पंजाब, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक से। पश्चिम बंगाल ने अपनी 2007 की सदस्यता की लगभग सभी वार्षिक विवरणियां भेज दी हैं।

11.5 उपरोक्त स्थिति इकाई स्तर पर हमारे काम में गम्भीर कमियों को दर्शाती है और इससे यह भी पता चलता है कि केन्द्र सहित सभी स्तरों पर हमारी उच्चतर समितियों की ओर से इस अपरिहार्य काम की नियमित रूप से मानिटरिंग नहीं की जाती। हमारी यह कमी बनी रहती है ओर सदस्यता में बढ़ोतरी करने के असल काम की ओर हम उचित ध्यान नहीं देते। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बारहवें महाधिवेशन में हमने सीआइटीयू की सदस्य संख्या को 50 लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया था और सीआइटीयू कार्य समिति की पिछली बैठक में भी अनेक राज्य समितियों ने इसके लिए आश्वासन दिए थे और कहा था कि हम इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। समय पर वार्षिक विवरणियां न भेजने और यूनियन स्तर पर सदस्यता का रिकार्ड ठीक ढंग से न रखने की कमजोरी को हमें दूर करना होगा ताकि हम सदस्यता बढ़ाने के अपने अभियान को प्रभावशाली एवं धारणीय बना सकें। जनरल कौंसिल को इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

12. हमारे आगामी कार्य

12.1 देश की राजनीतिक स्थिति इस समय बदल रही है। साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा प्रायोजित नव–उदारीकरण के दर्शन के प्रणय बंधन में बंधा सत्ताधारी गठबंधन के काम की दिशा दक्षिणपंथ की ओर अग्रसर होने के संकेत मिल रहे हैं। यह गठबंधन दिन ब दिन आक्रमक होता चला जा रहा है। उसके बदलते मिजाज और हावभाव से यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रशासन को चलाने के मामले में उसके काम की दिशा क्या होगी। आर्थिक मोर्च पर निजीकरण का हमला तेज हुआ है तथा नव–उदारीकरण के दूसरे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि देशी तथा विदेशी नैगम घराने और सट्टाबाजारियों की लाबी और अधिक हमलावरी तरीके से भारत के लोगों को लूट सके। मजदूर वर्ग पहले ही इन हमलों का केन्द्र बन चुका है। हमें इस दमन एवं हमलों का डट कर मुकाबला करना होगा। नीति में दक्षिणपंथी बदलाव का रुझान आ जाने के कारण अनिवार्य रूप से लोगों के खिलाफ सत्ताधारी वर्ग और अधिक मुखर होगा। पूंजीवाद काम किस तरह करता है; यह इसी का प्रमाण है।

12.2 इसके साथ ही वाम पंथी ताकतें भी साम्राज्यवादी अभिकरणों अथवा एजेंसियों और उनके साथ–साथ नैगम घरानों के हितों तथा राजनीतिक एवं मीडिया के मोर्चे पर उनके प्रचारकों के हमलों के केन्द्र में रहेंगी। क्योंकि मजदूर वर्ग की लामबंदी से समर्थन प्राप्त वाम पंथ इन ताकतों के खिलाफ लड़ाई का पुरोधा रहा है और उसने नव–उदारीकरण तथा सरकारी तंत्र में बैठे उसके संचालकों के दमन एवं लूट और जन हित की रक्षा करने के लिए तशणमूल एवं नीति दोनों स्तरों पर जोरदार संघर्ष चलाया है। उसने प्रतिपक्ष में रह कर संघर्ष किया है और कुछ राज्यों में सत्ता में होते हुए भी इस संघर्ष को आगे बढ़ाया है। वाम पंथी ताकतें एक बार फिर विकासशील देशों के खिलाफ साम्राज्यवादी ताकतों के हथकण्डों का मुकाबला सभी स्तरों पर करने के लिए तत्पर एवं प्रतिबद्ध हैं।

12.3 यूपीए सरकार के शासन काल का यह अंतिम वर्ष है। अगले साल देश में चुनाव होने जा रहे हैं। सत्ताधारी श्रेणियां ताकतों के समीकरण को दक्षिण पंथी दिशा की ओर आगे बढ़ाने मे कोई कोर–कसर शेष नहीं छोड़ेंगी। वाम पंथी ताकतों जिनके लिए मजदूर वर्ग का आंदोलन जीवन रेखा है, के खिलाफ हमले और तेज एवं आक्रमक होते चले जाएंगे और उसके खिलाफ कुत्सा प्रचार अभियान भी चलाया जाएगा। देशी बुर्जुआजी और उसके साथ–साथ साम्राज्यवादी ताकतें इस अभियान का नेतृत्व करेंगी। जहां वाम पंथ को हमलों का निशाना बनाया जाएगा वहां साम्प्रदायिक एवं विभाजक ताकतें महंगाई, बेरोजगारी और दोष पूर्ण नीतियों के गलत नतीजों से उपजे जन असंतोष का लाभ उठा कर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने का मौका हाथ से जाने नहीं देंगी। वे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ाने के लिए हर मौके का लाभ उठाने का यत्न करेंगी।

12.4 मजदूर वर्ग को इन हमलों का मुकाबला करने के लिए कमर कस लेनी होगी; उसे दक्षिण पंथी ताकतों के राजनीतिक हमलों का असरदार तरीके से मुकाबला करने और साम्प्रदायिक एवं विभाजक ताकतों के खिलाफ संघर्ष चलाने के अपने राजनीतिक दायित्व को पूरा करना होगा। इसके साथ ही उसे मजदूरों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों की व्यापक लामबंदियों को यकीनी बना कर नव–उदारीकरण की सत्ता के सभी पहलुओं के खिलाफ अपने संघर्षो में और तेजी लानी होगी। इससे वाम पंथी रुख को स्पष्ट रूप में सही करार देने और वाम पंथी ताकतों पर होने वाले हमलों का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी।

12.5 वाम पंथ और मजदूर वर्ग के खिलाफ सत्ताधारी वर्ग के हमले का और असरदार तरीके से मुकाबला करने के इस निर्णायक काम को पूरा करने के लिए श्रमिक आंदोलन को अपनी गतिविधियों का घेरा और विशाल बनाना होगा साम्राज्यवाद के निकट सहयोग व निगरानी में चल रहे पूंजीपति वर्ग के हमले और लूट के खिलाफ जन संघर्षो को विकसित करने के काम में दखल देना होगा। पूंजीवाद, नव–उदारीकरण तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ लोगों की संयुक्त लामबंदी एक निर्यायक ऐतिहासिक जिम्मेदारी बन गई है और मौजूदा हालतों में इस जिम्मेदारी का बोझ मजदूर वर्ग के कंधों पर है। हमारे संघर्ष की प्रत्येक कार्रवाई सार्माज्यवाद, साम्प्रदायिक एवं विभाजक ताकतों को बेनकाब करने की कार्रवाई के साथ जुड़ी होनी चाहिए और सांगठनिक दृष्टि से हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

12.6 सीआइटीयू के लिए आगामी कार्यो को गिनाने से पहले हम सीआइटीयू कार्य समिति की अक्टूबर 2007 में आयोजित बैठक की कार्रवाई के एक अंश का उल्लेख करेंगे, "मुख्य मुद्दा यह है कि श्रमिक आंदोलन को एक ऐसा केन्द्रीय स्थल बनाया जाए जहां मजदूर वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों के लोग आएं और जन विरोधी आर्थिक नीतियों की सत्ता के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करें। अनेक सेक्टरवार संघर्ष हर ओर उभर रहे हैं। सीआइटीयू को इन सेक्टरवार संघर्षों में समन्वय स्थापित करना है ताकि मेहनतकश अवाम की ओर से की जाने वाली संघर्ष की देशव्यापी संयुक्त कार्रवाईयों के लिए व्यापक से व्यापक लामबंदियां की जा सकें। सीआइटीयू को और अधिक ताकत के साथ अपनी पहलकदमियां जारी रखनी होंगी और जनता की साझी मांगों पर खेत मजदूरों एवं किसानों को साथ लेकर आंदोलन एवं अभियान के संयुक्त मंच का गठन करना होगा।" यह दिशा आज भी प्रासंगिक है और हम इसे एक बार फिर दोहराते हैं।

12.7 इस संदर्भ में सीआइटीयू को किसानों एवं खेत मजदूरों के संगठनों के साथ मिल कर देशव्यापी अभियान चलाने और लामबंदियां करने के लिए संयुक्त कार्यक्रम बनाने के उद्देश्य से पहलकदमी करनी होगी। इस संयुक्त अभियान में आर्थिक नीति से जुड़े मुद्दों को लिया जाए और उन मुद्दों को भी लिया जाए जो सामाजिक महत्त्व के हैं। मज़दूरों–किसानों की संयुक्त रैलियों में महंगाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सभी जगह लागू करने, आइसीडीएस को मजबूत बनाने, कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने और खेत मजदूरों, सीमांतक किसानों तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए सर्वसमावेशी कानून बनाने जैसी मांगों को केन्द्रीय मुद्दे बनाना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन से विचार विमर्श करके इन मुद्दों पर आगे भी संघर्ष चलाया जा सकता है।

12.8 हमारे सामने तात्कालिक कार्य 20 अगस्त की देशव्यापी हड़ताल का है। बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में बीस अगस्त की हड़ताल का आह्वान निर्णायक महत्त्व का है। हमें इस हड़ताल के मुद्दे पर अपने स्वतंत्र अभियान में तेजी लानी होगी और संयुक्त कन्वेंशनों तथा राज्य स्तरीय लामबंदियों के लिए प्रभावशाली लामबंदी करनी होगी जिसकी परिणति हड़ताल के रूप में हो। संयुक्त कार्रवाईयों के साथ–साथ हमें श्रमिक वर्ग तथा समाज के प्रत्येक क्षेत्र में मेहनतकश अवाम की व्यापक से व्यापक श्रेणियों के बीच पहुंचने के लिए स्वतंत्र रूप से पहलकदमी करनी होगी। हमें हड़ताल के लिए तैयारी अभियान में अपने भातृ संगठनों का समर्थन भी हासिल करना होगा।

12.9 सीआइटीयू को इस दिशा में श्रमिक आंदोलन की मुख्य धारा को लामबंद एवं एकजुट करने के लिए आगे बढ़ कर पहलकदमी करनी होगी और इसके लिए उसका सांगठनिक तौर पर मजबूत होना जरूरी है। हम यहां सीआइटीयू के बारहवें महाधिवेशन द्वारा निर्धारित दिशा का स्मरण करेंगे जिसमें कहा गया है, "पहलकदमी तृणमूल स्तर पर की जानी चाहिए। हमारी राज्य समितियों, जिला समितियों तथा उद्यम स्तरीय यूनियनों को जनता की दूसरी श्रेणियों तथा उनके जन संगठनों को आने वाले संघर्षों में एकजुट करने के लिए जागरूक प्रयास करने होंगे। हमारा अनुभव यही दर्शाता है कि जहां कहीं भी गम्भीर प्रयास किए गए हैं वहां श्रमिक आंदोलन असरदार तरीके से किसानों, छात्रों, युवाओं इत्यादि का समर्थन संयुक्त संघर्षों के लिए हासिल कर सका है।"

12.10 हमें सभी स्तरों पर खुद को मजबूत बनाना होगा; विचारधारा के शस्त्र से सुसज्जित होना होगा और दूसरे लोगों को संघर्ष के लिए लामबंद करने में समर्थ होना होगा। एक मजबूत सीआइटीयू के बिना प्रभावशाली तरीके से ट्रेड यूनियन संघर्ष चलाया नहीं जा सकता और न ही एक व्यापक जन संघर्ष चलाना सम्भव है। हमें एक शक्तिशाली जन आंदोलन चलाने एवं संगठित करने के काम में अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करना होगा और सीआइटीयू संगठन को और अधिक ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए पूरी गम्भीरता के साथ अभियान चलाना होगा ताकि हम आगामी चुनौतियों का सामना कर सकें।

हमें आशा है कि आखिर में जीत हमारी होगी।

क्रांतिकारी अभिनंदन के साथ,

मोहम्मद अमीन
महासचिव